संशोधित प्रति
30 जून, 2002

सर्व शिक्षा अभियान

जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्ययोजना (2002–2007)

जनपद – सहारनपुर

NIEPA DC
D11483

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11483
DOC, No .....
Date 09-07-2002.

सहारनपुर

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–7
2.	शैक्षिक परिदृश्य	8–16
3.	नियोजन प्रक्रिया	17–32
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	33–40
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	41–47
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय)	48–53
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	54–74
8.	ठहराव में वृद्धि	75–114
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	115–160
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	161–184
11.	परियोजना लागत	185–198

अध्याय - 1

जिले की पृष्ठभूमि

1.1 परिचयः-

सहारनपुर को शाहहारून चिश्ती नामक मुस्लिम संत ने बसाया था। कालान्तर में यही सहारनपुर के नाम से जाना जाता है।

1.2 भौगोलिक परिदृश्यः-

जनपद के उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों पर देहरादून, दक्षिण में जिला मुजफ्फरनगर, पूरब में हरिद्वार, पश्चिम में जिला करनाल और यमुनानगर स्थित है, इसके उत्तर में उत्तरांचल राज्य प्रारम्भ हो जाता है। उत्तर की ओर शिवालिक श्रेणियाँ आच्छादित है। यह जिला उत्तर प्रदेश का सीमान्त जिला है। इसका विस्तार पूरब से पश्चिम तक 60 कि0मी0 तथा उत्तर से दक्षिन तक 70 कि0मी0 है। कुल क्षेत्रफल 3860 वर्ग कि0मी0 है। यह नगर गंगा एंव यमुना नदी के दोआब में बसा हुआ है। जनपद के भौगोलिक दर्शीकरण से विदित होता है कि इसमें काफी भिन्नताऐं है। सढोली कदीम एंव मुजफ्फराबाद विकास खण्ड भाभड़ क्षेत्र से आच्छादित है। सढोली कदीम का 80 प्रतिशत भूभाग तथा मुज़फ्फराबाद का 50 प्रतिशत भूभाग उबड़-खाबड़ एंव नदी नालों से आच्छादित है। यहाँ पर बरसात में बाढ़ का भय बना रहता है और गर्मी में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। सरसावा, नकुड़ एंव गंगोह विकास खण्ड का पश्चिमी भाग यमुना के खादर क्षेत्र में आता है जहाँ प्रतिवर्ष बरसात में बाढ़ आती रहती है। [illegible]

उबड़-खाबड़ एंव नदी नालों वाले भूभाग में सड़कों की सुविधा अपेक्षाकृत कम है। इन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार अपेक्षाकृत कम है।

1.3 आर्थिक परिदृष्यः-

इसके पश्चिम में यमुना से पूर्वी यमुना नहर तथा पूरब में गंग नहर से सिंचित क्षेत्र बड़े उपजाऊ है जिसके कारण जनपद कृषि प्रधान है। यहाँ गेंहू, चावल, गन्ना, उड़द, चना एंव तिलहन की प्रमुख फसलें होती हैं। वेहट क्षेत्र में दशहरी एंव कलमी आम, यहाँ का बालम खीरा और लोकाट फल प्रसिद्ध है। गन्ने की प्रचुरता के फलस्वरूप 6 चीनी की मिलें व खांडसारी कुटीर उद्योग है। यहाँ पर प्रसिद्ध आई0टी0सी0 (इन्डियन टुबेको कम्पनी) एंव एशिया प्रसिद्ध स्टार पेपर मिल स्थापित है। यहाँ की गयी लकड़ी पर नक्काशी विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखती है।यहाँ का यह कार्य जगप्रसिद्ध है। यहाँ से लकडी की नक्काशी की बनी वस्तुओं का देश-विदेशों में निर्यात किया जाता है।

यहाँ से उत्तर की ओर मंसूरी, देहरादून, चकराता, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि धार्मिक/ पर्यटक स्थलों की ओर जाने का मार्ग प्रारम्भ होता है। कुम्भ नगरी हरिद्वार यहाँ से लगा हुआ है। यहाँ शाकुम्भरी देवी, मेला गुघाल एंव बाला सुन्दरी के प्रसिद्ध मेले लगते है। कम्पनी गार्डन, बाबा लाल दास का बाड़ा, भूतेश्वर मन्दिर, नौगजापीर आदि भी दर्शनीय स्थल है। जिले के फैज़ाबाद क्षेत्र में शाहजहाँ के महलों के खण्डहर, देववंद में मुगलों के थाने की पुरानी इमारत, मराठों का किला (जहाँ आजकल जेल बनी हुई है) ऐतिहासिक महत्व के है। इस प्रकार यहाँ पर्यटन की भी सम्भांनाऐं विद्यमान है। यहाँ देवबंद के दारूल उलूम विश्वविधालय में देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने आते है। एशिया प्रसिद्व डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र भी यहाँ है।

1.4 प्रशासनिक इकाइयांः-

जनपद को प्रशासनिक आधार पर 4 तहसीलों में बाटाँ गया है। विकास के आधार पर 11 विकास खण्डों में बाँटा गया है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र 5 नगर पालिका एंव 6 टाउन एरिया में बटाँ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 113 न्याय पंचायत, 1276 राजस्व ग्राम, 329 गैरआबाद ग्राम एंव 2 वन ग्राम हैं। जनपद की प्रशासनिक इकाइयों को सारणी रूप में दिखाया गया है-

सारणी 1.1

जिले की प्रशासनिक इकाइयॉं

क्र0स0	प्रशासनिक इकाइयां	संख्या
1	तहसील	4
2	विकास खण्ड	11
3	न्याय पंचायत	113
4	ग्राम सभायें	----
5	राजस्व ग्राम	781
6	बस्तियों की संख्या	1276 आबाद ग्राम, 329 गैरआबाद ग्राम, 2 वनग्राम
7	नगरीय क्षत्र	11
8	नगर निगम	-
9	नगर महापालिका	-
10	नगरपालिका	5
11	टाउन एरिया	6

स्रोत - सांख्यिकी पत्रिका 1998 के आधार पर

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 2848152 है। जिसमें 1525096 पुरूष 1323056 महिलाएं हैं। 0–6 वर्ष के बच्चों की संख्या 501713 है जो आबादी का 17.6 प्रतिशत है। जनपद की वृद्धिदर 2.1% है।

1.5 जनसंख्याः–

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जनपद सहारनपुर की कुल आबादी 23,09,029 है। इन में कुल 12,47,254 पुरूष तथा 10,61,775 महिलाएं थी, जो कि 2001 में कुल अनुमानित 28,48,475, जिसमें से 15,38,113 पुरूष तथा 13,10,362 महिला होने का अनुमान है। जो जनसंख्या का 23 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति में कुल जनसंख्या 6,39,000 है, कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक है। वर्ष 2001 की

जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 2848152 है, जिसमें से पुरूष 1525096 तथा महिलाओं की संख्या 1323056 है। जनपद में 0–6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या 501713 है। जनपद सहारनपुर में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के सापेक्ष 898 महिला है। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 689 प्रति वर्ग किमी. है। इसे सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 1.2

जनपद की जनसंख्या

	1991 के अनुसार		2001 के आधार पर
	पुरुष	1247254	
	महिला	1061775	
	योग	2309029	
2001 में अनुमानित	पुरुष	1538135	1525096
	महिला	1310362	1323056
	योग	2848475	2848152
वृद्धि दर		2.20	~~2.40~~
लिंग अनुपात	1000 पुरुषों पर 951 महिलायें		898
जनसंख्या घनत्व	738 प्रति वर्ग किमी.		689
अनुसूचित जाति	पुरुष	347350	
	महिला	291697	
	योग	639000	
अनुसूचित जनजाति		285	
अल्प संख्यक वर्ग	जनसंख्या में कुल 37 प्रतिशत		
नगरीय जनसंख्या	26 प्रतिशत		
ग्रामीण जनसंख्या	74 प्रतिशत		

सांख्यकी पत्रिका जनपद सहारनपुर वर्ष 1998 के आधार पर

1.6 विकास खण्डवार जनसंख्याः-

सहारनपुर जनपद में 11 विकास खण्ड़ है और जनसंख्या के मामलें में इनमें काफी विशेषताऐं है। जहॉ एक ओर विकास खण्ड़ नानौता की जनसंख्या 1,14,217 है वही पर विकास खण्ड मुजफफराबाद की जनसंख्या 2,00,386 है। विकास खण्डवार जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति की संख्या के आकड़ें सारणी (1.3) में दिये गये हैं।

सारणी 1.3

2001 की अनुमानित जनसंख्या पर विकास खण्डवार अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या के सापेक्ष प्रतिशत

क0	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या (अनुमानित)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (अनुमानित)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल में %
1.	सा0कदीम	136581	31980	21
2.	मुजफफराबाद	244471	55248	23
3.	पुवारंका	219911	70109	32
4.	बलियाखडी	222726	81277	37
5.	सरसावा	197235	53114	27
6.	नकुड	181476	43286	24
7.	गंगोह	214342	29970	14
8.	रामपुर	144031	45627	32
9.	नागल	195508	60424	31
10.	नानौता	139344	41815	30
11.	देववंद	181211	53687	30
12	वनग्राम	4165	527	13
	योग	2098101	567074	27

स्रोत :- सांख्यिकी पत्रिका जनपद सहारनपुर वर्ष 1998 के आधार पर

नोटः वर्ष 2001 की जनगणना की विकास खण्डवार एंव जातिवार सारणी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है इसलिये अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

तारणी (1.3) से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत विकास खण्ड, बलियाखडी में 37 प्रतिशत तथा तथा सबसे कम विकास खण्ड गंगोह में 14 प्रतिशत है तथा ही वनग्राम में 13 प्रतिशत है।

1.7 नगर क्षेत्र की जनसंख्याः-

तालिका (1.4) से स्पष्ट है कि नगर क्षत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत टी0 ए0 चिलकाना में 31 प्रतिशत तथा सबसे कम न0 पा0 देवबंद में 5 प्रतिशत है।

सारणी 1.4

नगर क्षेत्रवार जनसंख्या (प्रक्षेपित 2001)

क0	नगरक्षत्र	कुल जनसंख्या (अनुमानित)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (अनुमानित)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल में %
1.	न0पा0देववंद	80774	3679	5
2.	न0पा0गंगोह	50262	4009	8
3.	न0पा0नकुड	18522	2395	13
4.	न0पा0बेहट	17774	2261	13
5.	न0पा0सरसावा	15108	2579	17
6.	टी0ए0चिलकाना	15438	4656	31
7.	टी0ए0नानौता	15851	1054	7
8.	टी0ए0अम्बेहटा	12562	11525	13
9.	टी0ए0रामपुर	25844	7688	30
10.	टी0ए0तीतरों	9815	1843	19
11.	टी0ए0सहारनपुर	488433	44648	10
	योग	750374	46491	7

स्रोत :- सांख्यिकी पत्रिका जनपद सहारनपुर वर्ष 1998 के आधार पर

1.8 विकास खण्ड़वार एंव नगर क्षेत्रवार जनसंख्याः-

विकास खण्ड़वार एंव नगरक्षत्र वार प्रक्षेपित जनसंख्या सारणी (1.5) में दर्शाया गया है।

सारणी 1.5

विकास खण्डवार व नगर क्षेत्रवार 1991 की जनगणना के आधार पर व 2001 के लिये अनुमानित जनसंख्या की तालिका

क्र0सं0	विकास क्षेत्र	जनगणना 1991						जनगणना 2001					
		कुल जनसंख्या			अनु0जाति की जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0जाति की जनसंख्या		
		पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
1	साढ़ौली कद.	68214	57754	125968	14278	11722	26000	83221	70460	153681	17562	14418	31980
2	मुजफ्फराबाद	107537	92849	200386	24442	20475	44917	131195	113276	244471	30064	25184	55748
3	पुवारका	97228	83027	180255	30797	26202	56999	118618	101293	219911	37881	32228	70109
4	बलियाखेड़ी	98723	83856	182579	35918	30161	66079	120422	102304	222726	44179	37098	81277
5	सरसावा	87480	74188	161668	23463	19719	43182	106726	90509	197235	28859	24255	53114
6	नकुड़	80787	67964	148751	19212	15980	35192	98560	82916	181476	23631	19655	43286
7	गंगोह	95621	80069	175690	13260	11106	24366	116558	97684	214342	16310	13660	29970
8	रामपुर	64460	53598	118058	20324	16771	37095	78641	65390	144031	24999	20628	45627
9	नागल	87619	72634	160253	26842	22283	49125	106895	88613	195508	33016	27408	60424
10	नानौता	61447	52770	114217	18410	15586	33996	74965	64379	139344	22644	19171	41815
11	देवबन्द	80691	67843	148534	23727	19921	43648	98443	82768	181211	29184	24503	53687
	वन विभाग	1801	1217	3018	241	188	429	2680	1485	4165	296	231	527
	योग	931608	787769	1719377	250914	210114	461028	1137024	961077	2098101	308625	258439	567064
	नगरीय क्षेत्र												
1	न0पा0 देवबन्द	36828	29380	66208	1609	1382	2991	44930	35844	80774	1979	1700	3679
2	न0पा0 गंगोह	22204	18994	41198	1753	1506	3259	27089	23173	50262	2156	1853	4009
3	न0पा0 नकुड़	11290	9894	21184	2409	2069	4478	13774	12070	25844	2963	2545	7688
4	न0पा0 बेहट	8186	6996	15182	1047	900	1947	9987	8535	18522	1288	1107	2395
5	न0पा0 सरसावा	7674	6895	14569	989	849	1838	9362	8412	17774	1216	1045	2261
6	टा0ए0 चिलकाना	6748	5899	12647	1037	890	1927	8233	7196	15429	1275	1095	4656
7	टा0ए0 नानौता	6983	6010	12993	462	395	857	8519	7332	15851	568	486	1054
8	टा0ए0 अम्बेहटा	5489	4808	10297	667	573	1240	6697	5865	12562	820	705	1525
9	टा0ए0 रामपुर	6767	5617	12384	1177	1011	2188	8256	6852	15108	1448	1243	2579
10	टा0ए0 तीतरों	4267	3778	8045	806	692	1498	5206	4609	9815	991	852	1843
11	टा0ए0 सहारनपुर	199210	175735	374945	19529	16770	36299	259036	229397	488433	24021	20627	44648
	योग	315646	274006	589652	31485	27037	58522	401089	349285	750374	38725	33258	46491
	कुल नगरीय क्षे0 योग	315646	274006	589652	31485	27037	58522	401089	349285	750374	38725	33258	71983
	कुल ग्राम क्षे0 योग	931608	787769	1719377	250914	210114	461028	1137024	961077	2098101	308625	258439	567064
	जनपद का योग	1247254	1061775	2309029	282399	237151	519550	1538113	1310362	2848475	347350	291697	639047

स्रोत : जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिका 1998 के आंकड़ों के आधार पर

अध्याय - 2

शैक्षिक परिदृष्य

2.1 प्रस्तावनाः-

आर्थिक दृष्टि से विकसित होने के बावजूद महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम होने के कारण वर्ष 1993 में 'उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना' द्वारा चयनित किया गया था। परियोजना वर्ष 1993 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2000 में पूर्ण हो चुकी है। उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत 260 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 120 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, पुर्ननिर्माण के अर्न्तगत 124 प्राथमिक विद्यालय, 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 851 एक अतिरिक्त, 50 दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 782 शोचालय, 466 पेयजल सुविधा हेतु इन्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प तथा दशमवित्त आयोग के अर्न्तगत 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया। इन संसाधनों से जनपद में प्रायमिक शिक्षा के भौतिक संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत 100 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का सुदृढिकरण किया गया।अनौपचारिक शिक्षा के लिये 3 विकास क्षेत्रों में शिक्षा घर संचालित किये गये। परियोजना के अर्न्तगत बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से दो विकास क्षेत्रों में मार्गदर्शी कार्यक्रम के रूप में कार्यानुभव योजना तैसार की गयी। राज्य की साक्षरता दर जनपद की साक्षरता दर के सापेक्ष ही है । जनपद में महिला साक्षरता विशेषकर ग्रामीण महिला साक्षरता बहुत ही कम है। कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण महिला साक्षरता दर शोचनीय है। यहॉ पर कुल आबादी का 37 प्रतिशत अल्प संख्यक वर्ग से आच्छादित है जिसमें आज भी पर्दाप्रथा प्रचलित है और इस वर्ग में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार भी अपेक्षाकृत कम है। जनपद की साक्षरता दर अगले पृष्ठ पर दर्शायी गयी है।

जनपद की साक्षरता दर

क0स0	साक्षरता	राज्य की साक्षरता दर (1991)	जनपद की साक्षरता दर (1991)	जन0 2001 के अनुसार
1	कुल साक्षरता	41.60	42.10	57.36
2	ग्रामीण साक्षरता	36.66	36.00	
3	नगरीय साक्षरता	61.03	59.50	
4	कुल पुरूष साक्षरता	55.73	53.80	70.23
5	कुल महिला साक्षरता	25.31	28.10	42.98
6	ग्रामीण पुरूष साक्षरता	52.05	49.30	
7	ग्रामीण महिला साक्षरता	19.02	19.90	
8	नगरीय पुरूष साक्षरता	69.68	66.80	
9	नगरीय महिला साक्षरता	50.38	50.90	

स्रोत:- जनपद की 1991 की जनगणना के आधार पर।

जनपद की 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 57.36 है एंव पुरूष साक्षरता दर 70.23 एंव महिला साक्षरता दर 42.28 हो गयी है। विगत दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

2.1.1 जनपद की विकास क्षेत्र एंव नगर क्षेत्रवार साक्षरता दर:-

जनपद की ग्रामीण क्षेत्र में विकास क्षेत्र नानौता की कुल साक्षरता दर 43.90 प्रतिशत सर्वाधिक है जिसमें पुरूष साक्षरता 58.80 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 26.40 प्रतिशत है। जबकि जनपद में न्यूनतम साक्षरता दर का विकास क्षेत्र साढाली कदीम है।जिसकी कुल साक्षरता दर 22.1 है। जिसमें पुरूष साक्षरता दर 30.80 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 11.50 प्रतिशत है। जनपद की विकास खण्डवार एंव नगर क्षेत्रवार साक्षरता वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निम्नवत है:-

सारणी 2.1

विकास खण्डवार एंव नगर क्षेत्रवार साक्षरता

क0स0	विकास क्षेत्र	पुरूष	महिला	योग
1	साढाली कदीम	30.8	11 5	22.1
2	मुजफफराबाद	50.6	20.4	36.8
3	पुंवारका	48.3	17.9	34.4
4	बलियाखर्डा	52.4	19.3	37.3
5	सरसावा	45.2	19.1	33.4
6	नकुड	53.9	22.4	39.7
7	गंगोह	44.8	16.2	31.8
8	रामपुर	57.0	22.8	41.6
9	नागल	51.1	20.6	37.4
10	नानौता	58.8	26.4	43.9
11	देवबंद	51.5	24.0	39.1
12	नगरक्षत्र सहारनपुर	66.8	50.9	59.5
	योग	49.3	19.90	36.8

स्रोत : जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका 1998

नोटः- जनगणना 2001 की विकास खण्डवार एंव नगरक्षेत्र वार कुल साक्षरता दर एंव पुरूष/महिला साक्षरता दर उपलब्ध नही है। इसलिये वर्ष 1991 के आकडें प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

विकास खण्डों की साक्षरता दर विशेषकर महिला साक्षरता दर में अत्यधिक विषमता देखी जा सकती साढाली कदीम पिछड़ा क्षत्र है। इसकी जिलें में न्यनतम महिला साक्षरता दर है। इसी प्रकार गंगोह में महिला साक्षरता दर 16.2 है। इसका मुख्य करण अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षत्र का होना है।

2.2. शैक्षिक संस्थायें:-

जनपद में विभिन्न आयु वर्ग के बालक बालकों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी, अर्द्धसरकारी, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाऐं संचालित है। इन शिक्षण सस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। 2001 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 1505 व्यक्ति पर एक प्राथमिक विद्यालय तथा 1831 की जनसंख्या पर 1 प्राथमिक विद्यालय के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के 5056 व्यक्तियों पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा नगर क्षेत्र में 2671 व्यक्ति पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। जनपद की शिक्षण सस्थाओं का सक्षिप्त विवरण सारणी (2.2) में प्रर्दशित है-

2.3 परीषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाऐं:-

जनपद में 1221 परीषदीय प्राथमिक विद्यालय संचालित है। नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एंव किराये के भवन होने के कारण 65 विद्यालय भवनहीन है। द्विपाली व किराये के भवनों में चलने वाली प्राथमिक विद्यालयों को मलिन बस्तियों में पुर्नस्थापित किया जायेगा । विद्यालय भवन निर्माण के लिये भूमि की व्यवस्था हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (DUDA) तथा सहारनपुर विकास अभिकरण (SDA) से सम्पर्क कर भूमि की व्यवस्था की जायेगी। जनपद के कुल परीषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 16 एक कक्षीय, 281 दो कक्षीय, 520 तीन कक्षीय , 196 चार कक्षीय, 116 पॉच कक्षीय तथा 32 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पॉच कक्षा कक्षों से अधिक कक्षो की सुविधा उपलब्ध है। शौचालय एंव हैण्डपम्पों की सुविधा क्रमशः 92 एंव 96 प्रतिशत विद्यालयों में 'उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना' द्वारा करायी गयी है। कक्षवार विद्यालयों का विवरण सारणी 2.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 2-2

जिले की शैक्षिक संस्थाऐं

क्रमांक	शैक्षिक संस्थाओं के प्रकार	परीषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्राथमिक विद्यालय	1119	102	1221	275	308	583	1394	410	1804
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्रा0 अनुभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	230	11	241	110	118	228	340	129	469
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उ0प्रा0 अनुभाग	4	5	9	75	73	148	79	78	157
5	केन्द्रीय विद्यालय	0	1	1	0	0	0	0	1	1
6	नवोदय विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हाई स्कूल	3	3	6	36	34	70	39	37	76
8	इन्टरमीडिएट	1	2	3	35	34	69	36	36	72
9	डिग्री कालेज	0	1	1	2	0	2	2	1	3
10	स्नातोकोत्तर महाविद्यालय	0	0	0	0	5	5	0	5	5
11	विश्व विद्यालय	0	0	0	0	1	1	0	1	1
12	तकनीकी संस्थान 1. आई0टी0आई0	0	2	2	1	2	3	3	2	5
	2. पोलीटेक्निक	1	0	1	0	1	1	1	1	2
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाऐं	0	0	0	0	13	13	0	13	13
14	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	946	95	1041	0	0	0	946	95	1041
15	मकतब/मदरसे	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	संस्कृत पाठशालायें	1	1	2	0	0	0	1	1	2
17	मूक बधिर विद्यालय	0	2	2	0	0	0	0	2	2
18	बाल श्रमिक	10	30	40	0	0	0	10	30	40
19	खण्ड संसाधन केन्द्र	3	8	11	0	0	0	3	8	11
20	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	113	0	113	0	0	0	113	0	113
21	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1	0	1	0	0	0	1	0	1

2.4 परीषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाऐं:-

11 से 14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये जनपद में 241 विद्यालय ग्रामीण एंव नगर क्षेत्र में संचालित हैं। नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एंव किराये के भवन होने के कारण 2 विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन नही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में दों तथा नगर क्षेत्र में 1 विद्यालय जर्जर अवस्था में हैं। जिनका पुर्ननिर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक कक्षीय विद्यालय कोई नही है। 3 दो कक्षीय विद्यालय , 35 तीन कक्षीय विद्यालय , 126 चार कक्षीय, 55 पॉच कक्षीय तथा 16 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पॉच कक्षा कक्षों से अधिक कक्षो की सुविधा उपलब्ध हैं।शौचालय एंव हैण्डपम्पों की सुविधा क्रमशः 97 एंव 95 प्रतिशत विद्यालयों में 'उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना' एंव दशम वित्त आयोग द्वारा करायी गयी है।विस्तृत विवरण सारणी (2.4) में दर्शाया गया है।

2.5 विद्यालयों में उपलब्ध पेयजल एंव शौचालय की उपलब्धता:-

सारणी 2.3 में प्राथमिक विद्यालयों तथा सारणी 2.4 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध पेयजल एंव शौचालयों का विवरण दिया गया है।

2.6 बेसिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार:-

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत शिक्षा में गुणात्मक सुधार को दृष्टिगत रखते हुये शैक्षिक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण व सहयोग हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर खण्ड संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। शिक्षा सम्बन्धी समस्याऐं एंव उनके निराकरण के लिये विद्यालय---एन0पी0आर0सी0---बी0आर0सी0---डाइट में समन्वयन स्थापित किया गया है ।इसके

अर्न्तगत प्रत्येक स्तर पर निरीक्षण, पर्यवेक्षण, कार्यशालाऐं, गोष्ठी, बैठकें व अभिनव प्रयासों का आदान-प्रदान करने के लिये पूर्ण रूप से संस्थागत क्षमता सम्वर्धन व भौतिक रूप से सुदृढ़ किया गया है ।

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान(डायट)	-	**1**
खण्ड संसाधन केन्द्र(बी0आर0सी0)	-	**11**
न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0)	-	**113**

2.7 शिक्षको की उपलब्धताः-

परीषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 6-11 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय पर एक प्रधानाध्यापक व तीन सहायक अध्यापक अनुमन्य हैं। परन्तु जनपद में 1221 विद्यालयों के सापेक्ष शिक्षको के 4429 पद सृजित है । इस प्रकार जनपद में 455 अध्यापको की कमी है । जनपद में 30 सितम्बर 2000 के अनुसार परीषदीय विद्यालयों का नामांकप· 2,24,431 था जिसके सापेक्ष 3,166 अध्यापक कार्यरत थे इस आधार पर जनपद में अध्यापक छात्र का अनुपात 1:71 है। इस अनुपात में सुधार लाने हेतु प्राथमिकता पर नवीन, एकल तथा पी0टी0आर0 के आधार पर जनपद में 242 शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की गयी। परन्तु इस व्यवस्था के उपरान्त भी मानक अनुरूप अतिरिक्त शिक्षा मित्रों के पदों की स्वीकृति अति आवश्यक है। उपरोक्त विवरण को सारणी 2.5 में प्रर्दशित किया गया है।

सारणी - 2.3

परीषदीय प्राथमिक विघालयों में सुविघाऐं 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार

		कुल विघालय		भवन की स्थिति		कक्षा कक्षों की स्थिति						शौचालय		हैण्डपम्प		मरम्मत		चाहरदीवारी	
क्र0स0	विकास क्षेत्र	संख्या	भवनयुक्त	भवनहीन	जर्जर	एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांच कक्षीय	पांच से अधिक कक्षीय	युक्त	विहीन	युक्त	विहीन	लघु	वृहत	युक्त	विहीन
1	सांढोली कदीम	79	79	0	6	0	36	17	11	8	5	77		61	16	7	-	46	31
2	मुजफ्फराबाद	131	130	1	3	0	45	48	25	8	5	131		131		-	-	10	121
3	पुवारका	111	111	0	0	0	47	31	17	13	3	111		110	1	-	-	34	77
4	बलियाखेड़ी	97	97	0	0	1	51	30	8	5	2	86	11	96	1	7	2	60	37
5	सरसावा	106	106	0	1	1	21	45	24	14	1	99	7	100	6	10	2	26	80
6	नकुड	102	102	0	2	0	10	57	19	15	1	102		99	3	-	2	51	51
7	गंगोह	121	121	0	1	0	1	120	0	0	0	118	3	116	5	-		3	118
8	रामपुर मनिहारन	85	85	0	2	1	27	28	20	7	2	83	2	85		4	3	42	43
9	नागल	100	100	0		10	32	43	12	2	1	98	2	100	4	5	-	22	78
10	नानौता	81	80	1	6	3	2	38	22	12	4	80	1	77	2	4	11	31	50
11	देवबंद	87	87	0	4	0	2	38	22	20	5	77	10	85		-		38	49
	योग	1100	1100	2	25	16	274	495	180	104	29	1062	36	1060	38	37	20	363	735

नगरक्षेत्र

1	देवबंद	14	7	7			2	6	1	4	1	5	9	10	3			13	1
2	गंगोह	6	2	4			2		1	1		2	4	2	4			2	4
3	रामपुर मनिहारन	4	4					1	1	2		4		4		1			4
4	नकुड	3	3		1			3				3		3				3	
5	बेहट	2	2					1			1	2		2				2	
6	चिलकाना	3	2	1					1	1		2		2				2	
7	नानौता	2	2								1	2		2				1	1
8	अम्बेहटा	2	2					2				2		2				2	
9	सरसावा	2	1	1						1		1		1				1	
10	तीतरो	2	1	1					1			1		1					2
11	सहारनपुर	80	29	51	3		3	12	11	3		22	43	24	42	7	5	16	51
	योग	120	55	65	4	0	7	25	16	12	3	46	56	53	49	8	5	42	63

* स्रोत:-विभागीय आंकडों के अनुसार।

सारणी - 2.4

परीषदीय उच्च प्राथमिक विधालयों में सुविधाऐं 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार

		कुल विधालय	भवन की स्थिति			कक्षा कक्षों की स्थिति						शौचालय		हैण्डपम्प		मरम्मत		चाहरदीवारी	
क्र0सं0	विकास क्षेत्र	संख्या	भवनयुक्त	भवनहीन	जर्जर	एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांच कक्षीय	पांच से अधिक कक्षीय	युक्त	विहीन	युक्त	विहीन	लघु	वृहत	युक्त	विहीन
	खतौली कदीम	13	13	0	0	0	0	9	3	1	0	13	0	7	6	0	1	5	8
1	जफफरावाद	27	27	0	0	0	2	12	11	2	0	27	0	22	5	0	0	4	23
.	ग्रांका	21	21	0	0	0	2	11	6	2	0	21	0	18	3	0	0	6	15
3	लेपाखेडी	17	17	0	0	0	1	11	5	0	0	14	3	17	0	1	0	7	10
4	र.दसाना	21	21	0	0	0	1	13	5	2	0	16	5	16	5	0	1	5	16
5	कुड	24	24	0	0	0	0	18	4	1	1	24	0	23	1	0	0	13	11
6	.ोह	24	24	0	0	0	0	17	2	4	1	24	0	24	0	0	0	12	12
7	.पुर मनिहारन	18	18	0	0	0	3	13	1	0	1	17	1	14	4	0	0	8	10
8	ल	22	22	0	0	0	1	10	7	2	2	22	0	22	0	1	0	6	16
9	ौता	16	15	0	1	0	0	0	14	1	1	15	1	16	0	0	1	6	10
10	.बंद	20	19	0	1	0	2	13	4	1	0	20	0	20	0	1	0	11	9
11	[illegible]	223	221	0	2	0	12	127	62	16	6	213	10	199	24	3	3	83	140

नगरक्षेत्र

	देवबंद	3	3	0	0		0	2	0	1	0	3	0	3	0	0	0	3	0
1	.ाह	1	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	पुर मनिहारन	1	1	0	0		0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
3	ुड़	2	2	0	0		0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
4	द.	1	1	0	0		0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
5	रफाना	1	0	1	0		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
6	ौता	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	चिलकाना	1	1	0	0		0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
8	सरसावा	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ारौं	1	1	0	0		0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
10	र.ारनपुर	8	8	0	1		0	3	4	1	0	8	0	8	0	2	1	5	3
11	[illegible]	19	17	2	1	0	1	8	5	3	1	17	1	17	1	2	1	13	5

स्रोत:-वि िय आंकडों के अनुसार।

सारणी 2.5

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति

	सृजित		कार्यरत		रिक्त		स्वीकृत शिक्षामित्रों
विद्यालय	प्र0अ	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0	प्र0	स0अ0	की संख्या
प0 प्रा0वि0 1.ग्रामीण	1102	2721	1053	1817	49	904	23
2.नगरीय	02	504	96	200	6	304	6

परीषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 11-14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के उददे्श्य से प्रत्येक विद्यालय पर एक प्रधानाध्यापक व चार सहायक अध्यापक अनुमन्य हैं। पांच अध्यापको में से ही विज्ञान/गणित एंव त्रिभाषा (संस्कृत, उर्दू एंव अंग्रेजी) अध्यापक संख्या सम्मिलित है। परन्तु जनपद में 241 विद्यालयों के सापेक्ष शिक्षको के 1016 पद सृजित है । इस प्रकार जनपद में 189 अध्यापको की कमी है ।उपरोक्त विवरण को सारणी 2.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.6

उच्च प्राथमिक विद्यालयों मेंअध्यापकों की स्थिति

	सृजित		कार्यरत		रिक्त	
विद्यालय	प्र0अ	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0	प्र0	स0अ0
परीषदीय उ0प्रा0वि0 1. ग्रामीण	161	778	73	729	88	49
2. नगरीय	11	66	7	61	4	5

2.7 प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धताः-

राज्य सरकार के मानक के अनुसार जनसंख्या 300 तथा 1.5 कि0मी0 की दूरी पर उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। मानक के अनुसार जनपद सहारनपुर में असेवित ग्रामों तथा बस्तियों की संख्या का विवरण सारणी 2.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.7

परीषदीय प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

ग्राम/बस्ती	1.0 कि0मी0 से कम की दूरी पर	1 कि0मी0 से अधिक किन्तु 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर	1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आवादी 300 से अधिक है	816	1	8
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आवादी 300 से अधिक है	474	3	15

2.8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धताः-

राज्य सरकार के मानक के अनुसार जनसंख्या 800 तथा 3.0 कि0मी0 की दूरी पर उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विकास खण्डवार मानक के अनुसार असेवित ग्रामों तथा बस्तियों की संख्या का विवरण सारणी 2.8 में दर्शाया गया है।

सारणी-2.8
परीषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

ग्राम/बस्ती	3.0 कि0मी0 से कम की दूरी पर	3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर	उ0प्रा0 तथा प्रा0 वि0 अनुपात 1: 2 करने हेतु आवश्यक उ0प्रा0वि0
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आवादी 800 से अधिक है	756	83	233
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आवादी 800 से अधिक है	125	12	-

1: 2 के आधार पर

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

1.	कुल परीषदीय प्राथमिक विद्यालय	1221
2.	कुल प्रस्तावित परीषदीय प्राथमिक विद्यालय	23
3	याग (क्रम संख्या 1 एंव 2)	1244
4.	(कुल परी0प्रा0वि0 एंव कुल प्र0प्रा0वि0)/2	622
5.	कुल परीषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	241
6.	आवश्यकता (क्रम संख्या 4 ---5)	381
7.	11 वें वित्त आयोग में स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या	16
8.	वांछित उच्च प्राथमिक विद्यालय (क्र0स0 '6' -- क्र0स0 '7')	365

नोटः- विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में लक्ष्य निर्धारित है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स

जनपद–सहारनपुर

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कन्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य करती रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व बी0ई0पी0 परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1998-99	1999-2000	2000-01
कक्षा 1	87529	90011	82821
कक्षा 2	63647	64158	66215
कक्षा 3	47040	53570	53374
कक्षा 4	36459	40542	45080
कक्षा 5	30456	32677	35881
योग	265131	280958	283371
जी0ई0आर0			
कुल	85.27	92.71	94.16
बालिका	80.68	88.61	91.61
एन0ई0आर0			
कुल	78.64	87.57	87.37
बालिका	74.61	83.92	85.16

जनपद के नामांकन में औसतन 3.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालकों के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	961	1221	27.1
प्राथनिक अध्यापक (परिषदीय)	3543	4429	25.01

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 3.86 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 3.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कुल	बालिका
1998	32.34	19.64	16.40	8.64	61.2	58.3
1999	25.09	15.78	12.65	8.08	50.1	48.1
2000	15.55	8.78	8.97	4.30	34.7	29.4

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार उल्लेखनीय कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 61.2 प्रतिशत से घटकर 34.7 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालिकाओं की ड्राप आउट दर में तीव्रता से कमी आयी है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	3.59	8.05
1999	1.03	6.92
2000	3.69	6.27

रिपीटीशन दर मात्र 3.69 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.27 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 — **1 : 58**

एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 — **12.87**

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) — **1 : 46**

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:58 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:46 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–सहारनपुर

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	11711	8775	8592	29078	-
1999-2000	15932	12559	9573	38064	30.90
2000-2001	19115	16635	11217	46967	23.38

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यकमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	20598	11711	-
1999-2000	22288	15932	77.1%
2000-2001	27143	17088	76.6%

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण लगभग 24% बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	121	241	99.17%
उच्च प्राथमिक अध्यापक	635	1016	60%

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	1119	230	101	331	3.38 : 1
नगर क्षेत्र	102	11	47	58	1.76 : 1
योग	**1221**	**241**	**148**	**389**	**3.14 : 1**

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:3.4 है।

अध्याय - 3

नियोजन प्रक्रिया

3.1 सर्व शिक्षा अभियानः-

सर्व शिक्षा अभियान सर्व व्यापी प्रारभिक शिक्षा का पहला समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा पोषित होगा । सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001-2002 से 2010-2011 तक की दीर्घकालीन योजना है। जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार की साझेदारी है। एक सुनिश्चित समयबद्ध तरीके से शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करने एंव विधालय के प्रति स्व की भावना का विकास करने तथा योजना का विकेन्द्रीकरण इस अभियान का लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा का एकीकृत कार्यक्रम है, जिसमें शिक्षा की प्रगति के लिये किये गये अब तक के सभी प्रयासों को एक जुट करते हुये बस्ती स्तर की शिक्षा योजना तैयार करके उन्हे विकास खण्ड स्तर पर एकीकृत किया जायेगा तथा विकास खण्डों की योजनाओं को एकीकृत करके जिला स्तर की योजना तैयार की गयी है। संस्थागत क्षमता का विकास कर गुणात्मक सुधार किया जायेगा। शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाया जायेगा। योजना बनाने में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु बस्ती को योजना निर्माण की ईकाई माना गया है। अभी तक जो भी योजना बनायी जाती रही है वें सभी जिले स्तर पर ही बनायी जाती रही है। वर्तमान में नवीन प्रवेश पर तो बल दिया जाता है परन्तु शालात्यागी बच्चों की ओर कोई ध्यान नही दिया जाता । क्षेत्र विशेष के लिये प्रासंगिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा । इस परियोजना में शिक्षाविद, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, स्वैच्छिक संगठन एंव भारत सरकार के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके परियोजना को पारदर्शी बनाया गया है।

3.2 परियोंजना का स्वरूपः-

सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप की विस्तृत जानकारी एंव दीर्घकालीन प्लान की तैयारी हेतु निम्न तिथियों तथा विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण एवं कार्यशालायें आयोजित की गयी । जिनमें जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा डायट के कर्मियों को [illegible] प्रशिक्षित किया गया है। कार्यशालाओं का विवरण अग्रलिखित है:-

3.2.1 सीमेट,इलाहाबाद : दिनांक 30, जनवरी से 1 फरवरी 2001:-

सर्व शिक्षा अभियान की कार्यशाला में निदेशक प्राथमिक शिक्षा मानव संसाधन विकास मत्रांलय,भारत सरकार ने अभियान के सन्दर्भ में भारत सरकार के दिशा निर्देशों की विसतृत चर्चा की गयी। निदेशक, सभी के लिये परियोजना परिषद, उ0प्र0 ने प्लान की तैयारी हेतु आवश्यक आकडों के संकलन एंव नियोजन के सन्दर्भ में विस्तार से बताया। कार्ययोजना के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने अपने-अपने विषयों की जानकारी प्रतिभागियों को दी।

12-14 फरवरी तथा 26-28 फरवरी, 2001 :-

राष्ट्रीय जन सहयोग एंव बाल विकास संस्थान, लखनऊ में दिनांक में प्रोस्पेक्टिव प्लान की तैयारी हेतु कार्यशाला दिनांक 12-14 फरवरी तथा 26-28 फरवरी, 2001 तक आयोजित की गयी जिनमें राज्य परियोजना निदेशक, अपर राज्य परियोजना निदेशक एंव अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा जनपदों के प्रोस्पेक्टिव प्लान की तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

3.2.2 जिला स्तर एंव नीचे के स्तरों पर कार्यशालयें एंव एफ0जी0डी0 :-

जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में जनपद के शिक्षा विभाग एंव परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सर्व शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में दीर्घकालीन योजना तैयार करने हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया तथा विकास खण्ड,न्याय पंचायत एंव ग्राम/बस्ती स्तर पर विभिन्न तिथियों में सर्व शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में फोकस ग्रुप डिस्कशन के आयोजन हेतु विभिन्न अधिकारियों के बीच कार्य का आंवटन किया गया और योजना तैयार करने की मैथोडोलोजी तय की गयी।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्रान के लिये निम्नलिखित सूचन एकत्रित की गई

- ग्राम मे 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथनिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र – अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक– युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सन्निलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजनाः तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही

3.4 स्कूल चलों अभियानः-

शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों में नवीन प्रवेश तथा विद्यालय बीच में छोडने वाले 6-14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के उददेश्य से जौलाई 2000 में स्कूल चलों अभियान चरणवद्ध रूप में चलाया गया।

प्रथम चरण के प्रथम सप्ताह (1 से 9 जोलाई 2000 तक) में वातावरण सृजन हेतु ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर एंव जनपद स्तर प्रभात फेरी, रैली, गोष्टियों का आयोजन किया गया। दिनांक 7 जौलाई 2000 को जनपद स्तर पर छात्रों की रैली निकाली गयी। रैली से पूर्व जिले के प्रभारी मंत्री (माननीय दृग्ध विकास मंत्री, उ0 प्र0 सरकार) के द्वारा सम्बोधित किया गया। रैली में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एंव माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के द्वारा प्रतिभग किया गया।

द्वितीय चरण (10 से 15 जौलाई 2000) में विद्यालय न जाने वाले व शिक्षा अपूर्ण छोडने वाले छात्रों को चिन्हीत कर सूची बनायी गयी।

तृतीय चरण(16 से 31 जौलाई 2000) में चिन्हीत लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत नामांकन हेतु सार्थक प्रयास किये गये। ततपश्चात दिनांक 16 से 18 अगस्त 2000 में विशेष चरण की अवधि में शत-प्रतिशत नामांकन हेतु शेष बच्चों को प्रवेश दिलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने में ग्राम

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्र0	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एंव संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	ग्राम स्तर	3-2-01	पूर्वमा0वि0टिटरौली,नानौता	अधिकारी-3	1. विद्यालय बस्ति से दूर स्वच्छ वातावरण मे हो।
				गणमान्य व्यक्ति- 4	2. अध्यापक कर्तव्यनिष्ठ,प्रतिभावान हो।
				ग्राम प्रधान - 1	3. बच्चे देख मे विद्यालय आये।
				अभिभावक(महिला) - 3	4. उ0प्रा0वि0 मे महिला शिक्षिका की व्यवस्था हो।
				अध्यापक - 2	5. प्रांगण मे फूलो के पौधे, वृक्षारोपण हो।
2	ग्राम स्तर	5-2-01	पूर्वमा0वि0 चौरा, नानौता	अधिकारी-2	1. बच्चो के लिये व्यापक शिक्षा एव खेल सामग्री की व्यवस्था हो।
				गणमान्य व्यक्ति- 4	2. निःशुल्क वर्दी की बच्चो के लिये व्यवस्था हो।
				ग्राम प्रधान - 1	3. चाहरदीवारी की व्यवस्था हो।
				अभिभावक-5(3-पु0,2-म)	
				अध्यापक - 3	
3	ग्राम स्तर	6-2-01	पंचायतघर,दगरकडी,पुवांरका	अधिकारी-1	1. अध्यापक द्वारा अन्य सरकारी कार्य करने से शिक्षण
				गणमान्य व्यक्ति- 1	कार्य ठीक नही होता।
				जनप्रतिनिधि - 3	2. आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बच्चो से कार्य
				अभिभावक -6	कराना पडता है।
				ग्राम प्रधान - 1	3. माता-पिता मे बालिकाओ के लिये असुरक्षा की भावना
4	नगरक्षेत्र	7-2-01	न0पा0 परिषद,देवबद	अधिकारी-2	1. शिक्षा की गुणवत्ता मे कमी।
				गणमान्य व्यक्ति- 2	2. विद्यालय भवनो मे बिजली की व्यवस्था हो।
				जनप्रतिनिधि - 3	3. अनुपस्थित छात्रो को उपस्थित कराने हेतु प्रयास किये जाये।
				अभिभावक-14(अल्प0-5)	4. महिलाओ मे पर्दा प्रथा है, अपनी बात ठीक से नही करती।
				अध्यक्ष न0पा0परि0 - 1	
5	नगरक्षेत्र	9-2-01	पूर्वमा0वि0 अलीपुरा, सरसावा	अधिकारी-3	1. समय विभाग चक्र बनाया जाये।
			प्रा0वि0 चन्दसाली, सरसावा	गणमान्य व्यक्ति- 8	2. अध्यापक विद्यालय मे ठहरे।
			प्रा0वि0 कुतुबपुर	जनप्रतिनिधि - 2	3. भवन की मरम्मत की जाये।
				अभिभावक -9	4. छात्रवृति के आधार पर पंजीकरण किया जाये।
				सदस्य ग्राम0शि0समिति-16	5. अभिभावक से सम्पर्क लगातार किया जाये।
					6. प्रत्येक कक्ष के लिये पंखा तथा प्रकाश की व्यवस्था हो।

क्र0 सं0	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
6	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा0वि0 मुडी, देवबंद	ग्राम प्रधान - 2	1. छात्रों को प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाये, जिसे
			प्रा0वि0साढ़ननकुर्द,देवबंद	प्रधानाध्यापक - 2	प्रतिदिन चेक करें।
				अभिभावक -6	2. पोषाहार समय से वितरित हो।
7	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा0 वि0 रामपुर	ग्राम प्रधान - 1	1. अध्यापकों का छात्रों के प्रति व्यवहार अच्छा हो।
				सदस्य ग्राम पंचायत-3	2. शिक्षण स्तर में सुधार की आवश्यकता है।
				अभिभावक -2(महिला)	3. बालक, बालिकाओं में भेद-भाव रखा जाता है।
				अध्यापक-3	4. बालिकाओं को पढ़ने से रोका जाता है।
				अधिकारी- 1	
8	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा0वि0 शाहजहाँपुर, पुवांरका	ग्राम प्रधान - 7	1. बच्चे समय से स्कूल आवें।
			प्रा0वि0 मदनपुरा, पुवांरका	गणमान्य व्यक्ति- 19	2. विज्ञान की सामग्री हो।
			प्रा0वि0 रसौली, पुवांरका	अभिभावक -28	3. बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाये।
			पूर्व मा0 वि0पाली, पुवांरका	अध्यापक-8	4. बच्चों की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
			प्रा0वि0 बहटनवाला पुवांरका	अधिकारी- 2	5. पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जावे।
			प्रा0वि0 घडकोली, पुवांरका	ग्राम शि0स0सदस्य- 19	6. छात्र संख्या के आधार पर कक्षा कक्षों की व्यवस्था हो।
			प्रा0वि0 जमालपुर, पुवांरका	जनप्रतिनिधि - 3	7. विद्यालय परिसर के आस-पास खाद आदि न हो
			प्रा0वि0 मंसूरशाहपुर, पुवांरका		ध्यान दिया जाये, अनुपस्थित न हो।
					8. अभिभावक को शिक्षित किया जायेगा।
					9. अभिभावक सहयोग करें।
					10. बच्चों को नियमित उपस्थिति के लिये प्रतिदिन कुछ खाने को
					मिले, न कि पोषाहार।
					11. बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, जिससे बच्चे आदर्श नागरिक
					बन सकें।
					12. शिक्षा को रोजगार से जोड़ना चाहिये।
					13. भट्टे आदि पर कार्य करने के लिये चलते फिरते स्कूल खोले जायें।

क्र0 सं0	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
9	ग्राम स्तर	9-2-01	पंचायत घर, खुडाना, नानौता	ग्राम प्रधान - 1	1. नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाये।
				अध्यापक-3	2. विषय अध्यापक की व्यवस्था हो।
				अधिकारी- 1	3. पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं मिलती,ऐसी पढ़ाई
				पं0सदस्य - 2	से क्या लाभ।
10	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा0वि0 बीराखेड़ी, गंगोह	गणमान्य व्यक्ति- 3	1. नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाये।
				अध्यापक-3	2. विषय अध्यापक की व्यवस्था हो।
				अधिकारी- 1	3. बालक, बालिकाओं में भेद-भाव रखा जाता है।
				पं0सदस्य - 5	4. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रूढ़िवादिता है।
9	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा0वि0 बुढ़नपुर, गंगोह।	गणमान्य व्यक्ति - 2	1. विद्यालय में बतायी गयी बातें बच्चे घर जाकर अपने
				अध्यापक-1	मॉ-बाप को बतायें।
				अधिकारी- 1	2. विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि बच्चा घर रोकने
				अभिभावक -5	पर भी न रूके।
				पं0सदस्य - 5	3. महिलाओं का सामाजिक स्तर निम्न है।
10	ग्राम स्तर	9-2-01	पंचायत घर, खुडाना, नानौता	ग्राम प्रधान - 1	1. नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाये।
				अध्यापक-3	2. विषय अध्यापक की व्यवस्था हो।
				अधिकारी- 1	3. अन्य सामान्य विचार।
				पं0सदस्य - 2	
	ग्राम स्तर	9-2-01	पंचायत घर, खुडाना, नानौता	ग्राम प्रधान - 1	1. नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाये।
				अध्यापक-3	2. विषय अध्यापक की व्यवस्था हो।
				अधिकारी- 1	3. अन्य सामान्य विचार।
				पं0सदस्य - 2	
11	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा0वि0 खारीबास, नकुड	ग्राम शि0स0सदस्य- 10	1. अध्यापक को विषय का ज्ञान हो व सही जानकारी दे।
			प्रा0वि0 जैनपुर, नकुड़।	अध्यापक-1	2. अध्यापक पढ़ाई में समय लगायें न कि बातें करने में।
				अधिकारी- 2	
				जनप्रतिनिधि - 6	
				गणमान्य व्यक्ति -8	
12	ग्राम स्तर	10-2-1	प्रा0वि0 जगरौली, रामपुर।	ग्राम प्रधान - 1	1. अन्य सामान्य विचार।

	जनपद स्तर/				
क्र0 सं0	ब्लाक स्तर/	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का	फोकस/विचार विमर्श के जो बिन्दु उभरे
	ग्राम स्तर			प्रवर्गण एवं संख्या [illegible]	[illegible]
				अध्यापक-3 अधिकारी- 1	
				अभिभावक - 4	
13	ग्राम स्तर	10-2-01	प्रा0वि0 मरीकला, ब0खेड़ी	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1. शिक्षण कार्य सहायक सामग्री से कराया जाये।
			प्रा0वि0 पुन्हेड़ीखड़खड़ी, ब0खेड़ी		
			प्रा0वि0 सबदलपुर, ब0खेड़ी		
14	ग्राम स्तर	10-2-1	प्रा0वि0पुन्दलहेड़ी, पुवांरका	ग्राम प्रधान - 3	1. प्राचीन प्रतिभाओं का निर्माण करना।
			प्रा0वि0लखनौती कला, पुवांरका	अध्यापक-3	2. बच्चे निःसंकोच अपने प्रश्न व्यक्त कर सकें।
			प्रा0वि0 बेहेड़ागुर्जर, "	अधिकारी- 2	3. बच्चों का सामान्य ज्ञान विज्ञान, वाद विवाद प्रतियोगिता कराये।
				जनप्रतिनिधि -2	4. आदर्श वाक्य लिखे हों।
				सामान्य व्यक्ति - 2	
15	ग्राम स्तर	10-2-1	प्रा0वि0नटमपुर	ग्राम शि0स0स0-5	1. उर्दू अध्यापक की व्यवस्था हो।
				अभिभावक - 6	2. पर्दा प्रथा होने के कारण बालिकाएं विद्यालयों में कम आती है।
				अधिकारी- 1	3. शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है।
				जनप्रतिनिधि -2	
16	ग्राम स्तर	10-2-1	प्रा0वि0राजीवका, नकुड़	ग्राम शि0स0स0-5	1. लड़कियों को घर का काम करना पड़ता है।
			प्रा0वि0पुन्दलहेड़ी, पुवांरका	ग्राम प्रधान - 3	2. बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को कम विद्यालय भेजते है।
			प्रा0वि0लखनौती कला, पुवांरका	अभिभावक - 32	3. महिला अध्यापक न होने के कारण बालिकाएं विद्यालय में कम आती है।
			प्रा0वि0 बेहेड़ागुर्जर, "	अधिकारी- 1	
				जनप्रतिनिधि -2	
17	ग्राम स्तर	10-2-1	पूर्व मा0वि0 [illegible]पुर, देवबन्द	ग्राम शि0स0स0-4	1. सामान्य विचार
				ग्राम प्रधान - 1	
				अध्यापक-2	
18	ग्राम स्तर	10-2-1	प्रा0पा0वि0[illegible], देवबन्द	ग्राम शि0स0स0-2	प्रार्थना के पश्चात राष्ट्रगान, मुख्य समाचार आदि
				ग्राम प्रधान - 1	
				अभिभावक - 2	

क्र0 सं0	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
19	जिला स्तर	10-2-1	कलेक्टेट सभागार	जिलाधिकारी महोदय	1. अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु मदरसों/
				मुख्य विकास अधिकारी महोदय	मदरसों का सुदृढ़ीकरण करना, निःशुल्क पाठ्य
				डी0डी0आर0	पुस्तक उपलब्ध कराना एवं इनके शिक्षकों का प्रशि0
				डायट प्राचार्य	2. विद्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम शि0स0 के स्थान
				डी0आई0ओ0एस0	पर अन्य कोई सरकारी ऐजेन्सी न नियुक्त की जाये
				आर0ई0एस0(अधि0 अभि0)	जिससे गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
				जल निगम(अधि0 अभि0)	3. ठहराव हेतु बच्चों को प्रतिदिन कुछ इन्सेन्टिव दिया
				जिला क्रीडाधिकारी	जाये।
				बी0एस0ए0	4. शिक्षा को रोचक बनाने के उद्देश्य के लिये शिक्षा
				जनी0शि0अधि0	क्रियाकलापों के सहयोग से खेलों को पाठ्यक्रम में
				अध्यापक प्रतिनिधि	सम्मिलित कर समय विभाग चक्र बनाया जाये।
20	12-2-01	न0क्षे0 स0पुर	उच्च प्राथमिक विद्यालय,गाँधीपार्क सहारनपुर	अधिकारी - 2	1. लकड़ी की नक्काशी के काम में लगे बच्चों की
				अध्यापक - 4	पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है।
				अभिभावक -5	2. होजरी उद्योग में लगे बच्चों के मां-बाप से मिलकर
				महिला अभिभावक - 2	उन्हे पढ़ाने के लिये प्रयास किया जाये।
				गणमान्य व्यक्ति - 4	
21.	ग्राम स्तर	12-2-1	प्रा0वि0 बरौंगपुर, स0 नकीम	महिला प्रधान - 1	1. बरसात में नदी में पानी आने पर स्कूल में जाने
				महिला पंचायत सदस्य- 4	में कठनाई होती है।
				अध्यापक -6	2. बालिकाओं में असुरक्षा की भावना है।
				अभिभावक -5	3. कक्षा 8 के बाद लड़कियों को पढ़ने के लिये कोई स्कूल नहीं
					है जिससे बहुत सी लड़कियां पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है।
22	जिला स्तर	17-2-1	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, पटनी, सहारनपुर।	प्राचार्य -1	1. बालिकाओं को घरेलु कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है।
				वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता-4	2. विकलांग बच्चों के प्रति अध्यापकों के प्रति संवेदन
				बी0एस0ए0- 1	शील न होना व शिक्षा हेतु व्यवस्था किया जाना।
				स0बे0शि0अधि0- 18	
				बी0आर0सी0 समन्वयक- 20	

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसारनिर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उसके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जातो है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त रामस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

Co-ordination with various deptt.

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती हैं ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

Co-ordination with various deptt.

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.1 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में

BRARY & DOCUMENTATION CENTRE

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – सहारनपुर

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	224918	199457	424375	193429	171533	364963	86
2001-02	229641	203646	433287	215863	191427	407290	94
2002-03	234464	207922	442386	239153	212081	451234	102
2003-04	239387	212289	451676	256145	227149	483293	107
2004-05	244415	216747	461161	271300	240589	511889	111
2005-06	249547	221298	470846	284484	252280	536764	114
2006-07	254788	225946	480733	295554	262097	557651	116
2007-08	260138	230690	490829	306963	272215	579178	118
2008-09	265601	235535	501136	316066	280287	596352	119
2009-10	271179	240481	511660	325413	288577	613992	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – सहारनपुर

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	93590	82995	176585	75808	67226	143034	81
2001-02	95555	84738	180293	82178	72875	155052	86
2002-03	97562	86517	184079	88781	78731	167512	91
2003-04	99611	88334	187945	94630	83918	178548	95
2004-05	101703	90189	191892	100686	89287	189973	99
2005-06	103838	92083	195922	106954	94846	201799	103
2006-07	106019	94017	200036	112380	99658	212038	106
2007-08	108245	95991	204237	116905	103671	220576	108
2008-09	110519	98007	208526	120465	106828	227293	109
2009-10	112839	100065	212905	124123	110072	234195	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	35
2001-02	31
2002-03	26
2003-04	21
2004-05	15
2005-06	9
2006-07	4
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना कियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय - 5

समस्याऐं एंव रणनीति

सर्व शिक्षा अभियान सर्व व्यापी शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 से 2009-2010 तक की दीर्घ कालीन योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों में से निम्न लक्ष्यों की प्रप्ति हेतु प्रयास किये जायेंगे-

1. स्कूल से बाहर सभी बच्चों (6-14 वय वर्ग) को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना।
2. बच्चों के विद्यालय एंव वेकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश के बाद स्कूली शिक्षा को पूर्ण कराने हेतु ठहराव सुनिश्चित करना।
3. शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु अध्यापक प्रशिक्षण, चैक बिन्दूओं के आधार पर विद्यालयों का निरीक्षण पर्यवेक्षण कराया जाना।

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कसन में प्राप्त विचारों के विश्लेषणोपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यावहारिक एंव सन्तुलित रणनीति बनायी गयी है।

समस्यायें	रणनीति
(अ) पहुचः-	
5.1.1 कुछ क्षेत्रों में आर्थिक एंव सामाजिक पिछडेपन के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत नीची है। बालिकाओं के प्रति भेदभाव है एंव उनकी शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता।	5.1.1 सामाजिक चेतना उत्पन्न करना ।जिससे बच्चों एंव उनके अभिभावकों की सोच में परिवर्तन हो सके। इस कार्य में महिला मंगल दल, महिला समाख्या, बाल विकास परियोजना के कार्यकर्त्री/कार्यकर्त्ता, ए0एन0एम0, कलाजत्था, जनसम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय सहभागिता एंव जागरूक नागरिकों के सहयोग से समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा। ताकि बालिकाओं का नामांकन बढाया जा सके और ड्राप-आउट कम किया जा सके।
5.1.2 शिक्षा की उपादेशता के विषय में जनता में भ्रान्ति है।	5.1.2 उच्च प्राथमिक विधालय में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यूमों को जोडा जायेगा जिससे विधार्थियों को स्वावलम्बन एंव करके सीखने की प्रवृति का विकास हो सके और आर्थिक पिछडापन दूर हो सके। विशेषकर ग्रामीण अंचल की बालिकाओं के लिये सिलाई, कढाई, फल संरक्षण, बुनाई, स्थानीय क्राफ्ट एंव नगरीय क्षेत्र एंव इससे निकट के ग्रामीण क्षेत्रा में मेंहदी, फाईन आर्ट, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढाई, बुनाई, चटाई निर्माण, जूट कपडे के बैग आदि सिखाने का प्राविधान किया जायेगा। जन निलियम की पूर्व योजना में यदि कुछ मशीने प्राप्त हुई तो उनका प्रयोग किया जायेगा।
5.1.3 असेवित एंव मलिन	5.1.3 1.5 कि0मी0 तथा 300 की आबादी वाले ग्रामों/बस्तियों में प्राथमिक

बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना।	विधालयों की स्थापना की जायेगी तथा 6 से 8 वय वर्ग के 30 बच्चों में 1 कि0मी0 विधालय से दूरी के मानक पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेगें तथा 9 से 14 वय वर्ग तक के बच्चों के लिये ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एंव किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालय जहां छात्र संख्या कम है उन्हे असेवित मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर पुर्नस्थापित किया जायेगा। विद्यालय की पुर्नस्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये (DUDA) एंव सहारनपुर विकास प्राधिकरण (SDA) का सहयोग लिया जायेगा।
5.1.4 भौगोलिक कठनाई जैसे नदी, नाले, जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध ।	5.1.4 भौगोलिक कटिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना एंव वैकल्पिक /नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोले जायेगें तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
5.1.5 विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का आभाव जैसे- फर्नीचर, बिजली नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा-कक्षों की अनुपलब्धता, शौचालय, पेयजल	5.1.5 छात्रा संख्या के आधार पर विधालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। जिन विधालयों में स्वच्छ पेयजल एंव शौचालयों, चाहरदीवारी की व्यवस्था नही है। वंहा पर इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विधालय/प्राथमिक विधालयों में बच्चो के बैठने के लिये काष्टोपकरण की व्यवस्था उपलब्ध है।

एंव चारदीवारी की कमी।	
(ब) ठहराव	
5.2.1 शिक्षा के प्रति अभिभवक, बच्चों में जागरूकता का आभावा अभिभावक की सोच कि बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुड़े।	5.2.1 ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से यह जागृति पैदा की जायेगी कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है न कि एकमात्रा रोजगार उपलब्ध कराना।
5.2.2 बच्चों के व्यक्तित्व रूची में कमी।	5.2.2 बच्चों को विद्यालय पाठ्यक्रम बोझिल न लगे इस हेतु रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा।
5.2.3 शिक्षक की व्यावहार कुशलता एंव व्यक्तित्व में ह्रास।	5.2.3 शिक्षक का छात्रा के प्रति मृदु व्यवहार हो, मानवीय मूल्यों एंव संवेदनाओं में समन्वयन हो। शिक्षक की छवि छात्रा के मस्तिष्क में सकारात्मक, गुणवत्तापरक एंव विशिष्ट प्रभावोत्पादक के रूप मे प्रतिबिम्ब हो, इस हेतु शिक्षक को प्रेरित किया जायेगा। शिक्षक को सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यावहार कुशल होना होगा। इसे प्रशिक्षण में सुनेदेशित किया जायेगा।
5.2.4 विद्यालय में छात्रा	5.2.4 ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था सुचारू की

संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी।	जायेगी । 40:1 के अनुपात पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। उच्च प्राथमिक विधालयों में विषयाध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है।
5.2.5 विद्यालय का वातावरण अनाकर्षक होना ।	5.2.5 बच्चों को समूहों में बैठाकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान से 6' x 6'' की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकता अनुसार क्रय की जायेगी । सहायक शिक्षण सामग्री (टी0एल0एम0) बच्चों की सहायता से तैयार की जायेगी।
5.2.6 गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकों का न होना	5.2.6 कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्राओं तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।
(स) गुणवत्ता:-	
5.3.1 अध्यापक का विद्यालयों में कम ठहराव ।	5.3.1 अध्यापक सूचनाओं के संकलन में अधिक समय नष्ट न करे इसके लिये विभागिय सूचनाऐं विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की जायेगी।
5.3.2 अध्यापक की शिक्षण कार्य में अरूचि।	5.3.2 अध्यापक की विषय वस्तु आधारित प्रतियोगिताऐं आयोजित की जायेगी। इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा और वह स्वाध्याय की ओर उन्मुख होगा।

5.3.3 छात्रों को गणवेशों को उपेक्षित करना।	5.3.3 गणवेश के अभाव मे विधालय परिवेश का अनुपालन सम्भव नहीं है साथ ही सामाजिक एक रूपता एवं विशिष्ट छवि का अभाव बना रहता है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत/नर्सरी विधालय के छात्रों का बाह्य व्यक्तित्व अधिक मुखर लगने से अभिभावक अनायास ही परिषदीय विद्यालयों से उदासीन हो जाते है अतः स्वच्छ गणवेश छात्र के वाहय व्यक्तित्व को और अधिक मुखरित करेगी। इस हेतु छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्रों के अभिभावकों को गणवेश तैयार करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।
5.3.4 अध्यापक, अभिभावकों एंव छात्रों में सामंजस्य न होना।	5.3.4 अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक के साथ सम्पर्क बना रहे इस हेतु त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन आयोजित कराया जायेगा जिसमें अधिकतर महिलाओं/विशेष कर अपवंचित/उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी। इस सम्मेलन में कोटिपूरक शिक्षा पर बल दिया जायेगा ।
5.3.5 सतत् मुल्याकन का आभाव।	5.3.5 कोटिपूरक शिक्षा के लिए सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मासकि, त्रैमासिक अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा ।
5.3.6 शैक्षिक निरीक्षण/ पर्यवेक्षण की कमी।	5.3.6 एन० पी० आर0 सी0, बी0 आर0 सी0 के समन्वयक, प्रति उच्च विद्यालय निरीक्षक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट अभिकर्मी एवं अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी शिक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण किया जायेगा।

	तदानुसार विद्यालयों को श्रेणीबद्ध किया जायेगा ।
5.3.7 सक्रिय समाज सहभागिता का आभाव।	5.3.7 अभिभावकों/ग्रामवासियों मे यह सोच विकसित हो सके कि यह विद्यालय हमारा है, विद्यालय मे अच्छी पढ़ाई से ही हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा और इसी से आने वाले समय मे गांव की प्रगति हो सकेगी तथा जागरूक नागरिक बनेंगे। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्कूलों का सतत पर्यवेक्षण एंव अनुश्रवण करेंगी। माईक्रोप्लानिंग एंव गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु गांव के जानकार लोगों की मदद ली जायेगी।
5.3.8 विशेष आवश्यकता वाले अथवा विकलांग बच्चों की शिक्षण की व्यवस्था।	5.3.8 विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण कराकर दर्सावार सूचना ली जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए0डी0पी0आई0 को बच्चों के उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जायेगा। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रति अध्यापक को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण में इस प्रकार के बच्चों के प्रति व्यवहार, शिक्षण आदि के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी।
5.3.9 बाल श्रमिक तथा उनके अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का आभाव	5.3.9 जनपद के वुड़कार्विंग, [illegible], धंधे एव अन्य व्यवसाय में लगे 6-14 वय वर्ग के बच्चों तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व की जानकारी देकर शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जायेगा जिससे बच्चा व्यवसाय में न जाकर विद्यालय में प्रवेश ले तथा शिक्षा पूर्ण करे। श्रम विभाग को सर्वेक्षण कार्य द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापको का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त कर उनके प्रोत्साहन हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा अपेक्षित सहयोग श्रम विभाग को उपलब्ध कराकर बच्चों को मुख्यधारा में उनकी योग्यता द्वारा जोड़ा जायेगा।

अध्याय - 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

3040 ग्रामों के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 से वर्ष 2000 तक 260 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 120 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराकर संस्थागत विकास किया गया।

6.1 असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना :-

जनपद में करायी गयी माइक्रोप्लानिंग के आधार 23 असेवित बस्तियों व ग्राम ऐसे हैं जहाँ पर नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यक्ता वहाँ की जनता द्वारा महसूस की जा रही है। इन असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यायलों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ये असेवित बस्तियाँ जनपद के निम्न विकास खण्डों में है। शेष विकास खण्डों में कोई असेवित क्षेत्र नहीं है।

सारणी 6.1

विकास खण्डवार असेवित बस्तियाँ

क0स0	विकास क्षेत्र का नाम	असेवित ग्राम/ बस्तियोंकी संख्या
1.	गंगोह	3
2.	रामपुर मनिहारन	1
3.	साढोली कर्दाम	6
4.	नागल	1
5.	नकुड़	4
6.	सरसावा	5
7.	नानौता	1
8.	बलियाखेड़ी	2
	कुल	23

स्रोत: विभागीय आकडों के आधार पर।

उक्त असेवित ग्राम/ बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण प्रथम दो वर्षों में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में 12 विद्यालय तथा द्वितीय वर्ष में 11 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा। वर्ष 2002–07 की अवधि में 30 नवीन प्राथमिक विद्यालय असेवित बस्तियों में स्थापित किये जाने का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

6.3 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापना :-

मानक के अनुसार ऐसे असेवित ग्राम/बस्तियों जहां कुल आबादी 800 तथा दूरी 3.00 कि0मी0 पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें । जनपद में कराये गये माइक्रोप्लानिंग के सर्वे के आधार पर 196 असेवित ग्राम/बस्तियां ऐसी हैं जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 196 असेवित बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार कक्षा 8 तक की शिक्षा सर्वसुलभ कराने के उद्देश्य से 02 प्राथमिक विद्यालयों मे 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। जो कि अधिक सुदृढ़ ढांचे वाले प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण मे होगा । सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 365 आगणित की गयी है। विकास खण्डवार असेवित ग्राम/बस्तियों की संख्या में 6.2 सारणी में दर्शायी गयी है।

वर्ष 2002–07 की अवधि में 53 नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का वित्तीय प्राविधान रखा गया है जो मानक के अनुसार असेवित बस्तियों, जिनमें कक्षा–5 उत्तीर्ण कम से कम 25 बच्चे उपलब्ध, में खोले जायेंगें।

सारणी-6.2

विकास खण्डवार असेवित बस्तियाँ

क्र0सं0	विकास क्षेत्र का नाम	असेवित ग्राम/ बस्तियोंकी संख्या	2:1 के आधार पर
			उच्च प्राथमिक वि0
1.	गंगोह	19	प0प्रा0वि0------ 1221
2.	रामपुर मनिहारन	13	प्रस्तावित प्रा0वि0-23
3.	साटोली कर्दाम	17	योग----------1244
4.	नागल	31	योग/2--------- 622
5.	नकुड़	11	प0उ0प्रा0वि0------241
6.	सरसावा	44	वांछित उ0प्रा0वि0-----
7.	नानौता	6	(622-341) =381
8.	बलियाखेड़ी	36	(11 वें वित्त आयोग में
9.	पुवांरका	8	स्वीकृत विद्यालय 16)
10.	मुजफ्फरावाद	2	अतः शेष वांछित
11.	देववंद	9	उ0प्रा0वि0-381-16=365
	कुल	196	

स्रोतः विभागीय आकड़ों के आधार पर।

365 विद्यालयों का निर्माण प्रथम 6 वर्षों में कराया जायेगा। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु स्थलों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

स्थल चयन के साथ ही भूमि की व्यवस्था उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालय में से एक प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में कराया जायेगा जिसमें भूमि उपलब्ध होगी। जहाँ बच्चें सुवि

विद्यालय पहुँच सकें। विद्यालय निर्माण हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण करायेगी । जिसका तकनीकि पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा) द्वारा किया जावेगा।

6.4 शिक्षक की व्यवस्था :-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है जो उत्तरोत्तर छात्र संख्या के अनुपात मे बढ़ाई जायेगी। प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा 04 सहायक अध्यापकों सहित कुल 5 अध्यापको की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। चार अध्यापकों में से एक विज्ञान एवं गणित तथा बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु एक महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी। जिसका विवरण सारणी 6.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.3
वांछित अध्यापक संख्या

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	नवीन वि0 हेतु	उच्च प्राथमिक विद्यालय
	ड्राप-आउट तथा नामांकन के कारण	कुल अध्यापक	वर्तमान सृजित पद - 1016
	अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या		कुल नवीन उ0प्रा0वि0- 280
2001	-----	----	------
2002	120 12X2=24	144	30X5=150
2003	1564 11X2=22	1586	65X5=325
2004	695	695	65X5=325
2005	698	698	65X5=325
2006	703	703	65X5=325
2007	707	707	70X5=375
2008	201	201	-------------
2009	206	206	-------------
2010	210	210	-------------
	योग	5150	1825

स्रोत - जनपद की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर

नोट---नवीन प्राथमिक [illegible] हेतु वांछित अध्यापक 5150 का 50 प्रतिशत 2575 शिक्षा मित्र रखे जायेगें।

6.5 विद्यालय साज-सज्जा :-

प्राथमिक स्तरः-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना की भांति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्न सामग्री को क्रय किया जायेगा - मेज, कुर्सी, बाल्टी, घन्टा, लोटा, गिलास, टाट्-पट्टी,, अलमारी, संदूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल ईक्यूपमेन्ट(ढोलक, मजिरा, हारमोनियम, बासुरी आदि), क्रीडा सामग्री(फुटबाल, वालीबाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी), क्लास रूम टिचिंग मैटेरियल (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लाब, शब्दकोश, ज्ञानकोश, खिलाने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तरः-

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना की भांति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज-सज्जा एंव शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था है। इस धनराशि से निम्न सामग्री को क्रय किया जायेगा - मेज, कुर्सी, बाल्टी, घन्टा, लोटा, गिलास, टाट्-पट्टी,, कूड़ादान, म्यूजिकल ईक्यूपमेन्ट(ढोलक, मजिरा, हारमोनियम, बासुरी आदि), क्रीडा सामग्री(फुटबाल, वालीबाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी), क्लास रूम टिचिंग मैटेरियल (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र,ट्-इन-वन, शैक्षिक चार्ट, ग्लाब, शब्दकोश, ज्ञानकोश, खिलाने,

बोद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) तथा अध्यापक ईक्यूपिमेन्ट की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फाप्टोपकरण, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

6.6 पेयजल, शौचालय एवं चार दीवारी :-

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क -II हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराया जायेगा । प्रत्येक विद्यालय मे बालक व बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा, बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चाहर दीवारी का निर्माण कराया जायेगा ।इन सुविधाओं की लागत नवीन विद्यालयों की यूनिट कास्ट में शामिल किया गया है।

6.7 निर्माण कार्यदायी संस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय का सम्पूर्ण निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त भी सामुदायिक सहभागिता एंव विद्यालयों के प्रति स्व की भवना को जागृत करने के उददेश्य से विद्यालयों भवनों के निर्माण के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति को दायित्व सोंपा जायेगा।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यक्ता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय - 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकाल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (E.G.S./AIE) योजना

7.1 पिछला अनुभवः-

सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विकासखण्ड सदौलीकदीम, नागल एवं मुजफ्फराबाद ब्लाक में 39 वैकाल्पिक शिक्षा घर 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों के लिए खोले गये थे जिसमें अनौपचारिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के अनुसार रूपये 200/- मानदेय अनुदेशक को दिया गया। डायट में प्रशिक्षण कराया गया और अनुदेशक को पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। इस कार्य का परिणाम संतोषजनक रहा।

7.2 माइक्रोप्लानिंगः-

सीमैट (SIEMAT) द्वारा कराये गये आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर जनपद में 6 से 14 वर्ष वर्ग में कुल छात्र नामांकन 87 प्रतिशत है जिसके सापेक्ष 38 प्रतिशत ड्राप आउट (Drop-Out) है। इस प्रकार विद्यालयों में छात्रों का टहराव मात्र 62 प्रतिशत ही है। विशेषकर अनुसूचित जाति में 51 प्रतिशत ड्राप आउट है तथा 49 प्रतिशत मात्र ही विद्यालय में टहराव है।

शालात्यागी (Drop-Out) बच्चों की पृष्ठभूमि में विहंगम दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि अधिकांश बच्चें इनमें काम काजी है जो कृषि कार्य, वुडकार्विंग एवं हौजरी के उद्योग में मुख्य रूप से लगे हुए है। ग्रामीण अंचल में अधिकांश बच्चें कृषि कार्य में लगे हुए है। नगरीय शालात्यागी

वच्चे नगर क्षेत्र के वुडकार्विंग एवं हौजरी के कार्य में लगे हुए है तत्पश्चात् सढौली कदीम के भाभड़ क्षेत्र में रस्सियों की बंटाई, मजदूरी आदि कार्य में लगे है। बाल श्रमिकों के लिए जिला श्रम विभाग की ओर से 40 केन्द्र नगर सहारनपुर में खोले गये है।

7.3 शिक्षा गारंटी योजना (EGS) :-

7.3.1 इस योजना के अन्तर्गत 6-8 वयवर्ग में पंजीकृत कराया जावेगा। ऐसे ग्राम/ वस्ती/ मजरें/ टोले/ मुहल्ले जो विद्यालय से 1 किमी. की परिधि के वाहर है तथा 6-8 वय वर्ग के 30 वच्चे उपलब्ध हों। वहाँ पर इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रों में कक्षा 01 से कक्षा 02 तक की पढ़ाई होगी। इन केन्द्रों की आधार भूत सूचना सारणी (7.1) में दर्शायी गयी है।
इन केन्द्रों का संचालन "सर्वशिक्षा अभियान" के अन्दर चिन्हित "स्टेट सोसाइटी" उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद निशांतगंज लखनऊ द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों पर 01 अनुदेशक प्रति केंद्र प्रस्तावित है।

7.3.2 वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (AIE) कार्यक्रम :-

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप/मनोवैज्ञानिक दवाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित वच्चें विशेषकर काम काजी तथा वालश्रमिक एवं नवाचार शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिन ग्राम/ वस्ती/ मजरे/ टोले/ मुहल्ले में 15 वालक/वालिका शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित होंगे वहीं पर ए0 आई0 ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। ये केन्द्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर

सारणी - 7.1

जनपद - सहारनपुर

6 से 8 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (शिक्षा गारंटी योजना) EGS

		अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक			अन्य			योग		
क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	नकुड़	202	302	504	212	214	436	226	295	521	61	55	116	701	866	1567
2	गंगोह	104	216	320	357	504	861	2356	1511	3861	56	72	128	2873	2303	5176
3	ननौता	120	208	328	210	226	436	92	102	194	40	55	95	462	591	1053
4	देवबंद	106	144	250	180	220	300	196	166	262	35	44	79	517	574	1091
5	रामपुर	120	108	228	170	180	350	96	102	198	25	41	66	411	431	842
6	नागल	196	206	402	280	300	580	101	104	205	61	92	153	638	702	1340
7	बलियाखेड़ी	142	282	424	104	187	291	107	277	384	44	95	139	397	841	1238
8	पुवारका	190	210	400	226	230	456	106	120	226	28	35	63	550	595	1145
9	सरसावा	180	209	389	235	238	473	130	211	341	24	38	62	569	696	1265
10	सढ़ौली कदीम	148	136	284	158	143	301	129	270	399	39	30	69	474	579	1053
11	मुजफ्फराबाद	190	206	396	106	110	216	130	150	280	46	39	85	472	505	977
12	सहारनपुर नगर	185	120	305	156	126	282	158	388	546	358	223	581	857	857	1714
13	देवबंद नगर	120	107	227	96	105	201	93	96	189	80	95	175	389	403	792
14	गंगोह नगर	135	95	230	96	128	224	122	138	260	37	40	77	390	401	791
	योग	2138	2549	4687	2586	2911	5407	4042	3930	7872	934	954	1888	9700	10344	20044

चलाये जायेंगे। प्राथमिक स्तर के केन्द्र में 01 अनुदेशक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 02 अनुदेशकों की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन केन्द्रों की आधार भूत सूचना सारणी (7.2) में दर्शायी गयी है।

7.4 माइक्रो प्लानिंग के आधार पर नियोजन की प्राथमिकता -

7.4.1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ।

7.4.2 ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।

7.4.3 ऐसे क्षेत्र जहां ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।

7.4.4 ऐसे क्षेत्र जहां स्ट्रीट चिल्ड्रन, बाल श्रमिक, घुमन्तू एवं खतरनाक/गैर खतरनाक उद्योगों में सलंग्न बच्चों की संख्या अधिक हो।

7.5 शिक्षा गारंटी केंद्र (ई.जी.एस.), वैकल्पिक एवं नवाचार केंद्रो का प्रस्ताव :-

उपरोक्त असेवित बस्तियों एवं शालात्यागी छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक एवम् नवाचार शिक्षा केंद्र चरण बद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित है ।जिसका विवरण सारणी 7.5 में दिया गया है:-

सारणी - 7.2

जनपद - सहारनपुर

9 से 14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (विकल्पिक शिक्षा केन्द्र) EGS

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	नकुड़	173	207	380	138	217	355	267	266	533	35	40	75	613	730	1343
2	गंगोह	81	279	360	125	264	389	744	356	1280	99	44	143	1049	943	1992
3	ननौता	96	54	150	63	82	145	53	61	114	20	26	46	232	223	455
4	देवबंद	90	66	156	34	30	54	138	112	250	16	20	36	278	228	506
5	रामपुर	90	80	170	96	80	176	40	60	100	15	18	33	241	238	479
6	नागल	102	126	228	106	138	244	192	204	396	18	21	39	418	489	907
7	बलियाखेड़ी	106	151	257	50	80	130	100	106	206	12	21	33	268	358	626
8	पुवारका	287	256	543	97	110	207	390	455	845	27	28	55	801	849	1650
9	सरसावा	96	102	198	69	75	144	61	363	424	21	29	50	247	[illegible]	816
10	सढ़ौली कदीम	433	417	850	308	290	598	429	482	911	102	132	234	1272	1321	2593
11	मुजफ्फराबाद	78	63	141	77	110	187	251	178	429	15	8	23	421	359	780
12	सहारनपुर नगर	186	210	396	105	219	324	202	322	534	218	625	843	711	1376	2087
13	देवबंद नगर	60	80	140	27	38	65	98	153	251	27	49	76	212	320	532
14	गंगोह नगर	20	80	100	43	50	93	106	110	216	15	36	51	184	276	460
	योग	1898	2171	4069	1338	1783	3111	3071	3228	6489	640	1097	1737	6947	8279	15226

सारणी 7.3

प्रस्तावित ई0 जी0 एस0 तथा ए0 आई0 ई0 केन्द्रों का विवरण

क्रम0	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता प्रति0	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्रा0वि0	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	9-14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चें	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	6-8 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चे	शिक्षा गांरटी (ई0जी0एस0)	अन्य विवरण
1	नकुड़	39.7	107	27	20	1338	60	1869	62	उच्च प्राथमिक विद्यालय मानक के 2 प्राथमिक विद्यालय प्रति 1 है। इसी को आधार मानकर मानव. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के पश्चात शेष उच्चप्राथमिक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जावेंगे।
2	गंगोह	13.8	125	24	25	1172	100	5176	193	
3	ननौता	43.9	83	16	15	455	18	1053	37	
4	देवबंद	39.1	87	20	15	506	20	1091	37	
5	रामपुर	41.6	89	19	19	497	20	962	32	
6	नागल	37.4	100	22	23	907	40	1978	66	
7	बलियाखेड़ी	34.3	97	17	18	632	25	1238	42	
8	पुवारका	34.4	111	21	22	1641	70	1138	38	
9	सरसावा	33.4	111	22	25	818	30	1265	43	
10	सढ़ौली कदीम	22.1	79	14	20	2593	84	1053	36	
11	मुजफ्फराबाद	36.8	131	[illegible]	25	780	30	977	33	
12	सहारनपुर नगर	66.4	80	8	14	2087	90	1714	58	
13	देवबंद नगर	41.9	6	2	-	532	20	792	27	
14	गंगोह नगर	53.5	14	7	-	460	18	791	27	
	योग		1221	246	241	14400	625	20074	731	

सारणी 7.4

प्रस्तावित शिक्षा गारंटी केंद्र एंव वैकल्पिक शिक्षा केन्दों का चरणवद्ध कार्यक्रम

चरण	ई.जी.एस.(शिक्षा गारंटी केंद्र)	ए.आई.ई.(वैकल्पिकशिक्षा केन्द्र)
प्रथम	131	125
द्वितीय	250	250
तृतीय	350	250
कुल	721	625

स्रोतः विभागीय आकडों के आधार पर।

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक वैकल्पिक शिक्षा केंद्र भी चरण वद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित है

प्रथम चरण	50 केंद्र
द्वितीय चरण	80 केंद्र
तृतीय चरण	125 केंद्र
कुल	255 केन्द्र

स्थलों का चयन विभागीय सूचनाओं के आधार पर ऐसे ग्रामों/ वस्तियों/ मजरों/ टोलों का चिन्हांकन किया गया है जंहा पर प्राथमिक विद्यालय नही है। यें ग्राम/ वस्तियां जो प्राथमिक विद्यालय से 1.0 कि0मी0 से अधिक दूर हैं वहां पर ई0 जी0 एस0 केन्द्र खोले जायेगें तथा जिनकी दूरी 1.0 कि0मी0 से कम है तथा 9 से 14 वय वर्ग के कम से कम 15 बच्चें उपलब्ध हैं। वहॉ पर वेकल्पिक शिक्षा केंन्द्र खोले जायेगें। सारणी संख्या 7.5 में प्रथम चरण का स्थल चयन दर्शाया गया है।

सारणी - 7.5

ए0 आई0 ई0 हेतु विशिष्टता के आधार पर स्थल चयन सूची

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	बल श्रमिक/ कामकाजी/अन्य अकारणो से शालात्यागी बच्चे 9-14 वर्ष		
		15 से 25 की सख्या या 0-300 तक की आबादी	25 से 50 की सख्या या 300-400 तक की [illegible]	50 से अधिक संख्या या 500 से अधिक की आबादी
1.	नानौता	---------	थोहतखेड़ी	---------
2.	"	जाडखेडी	---------	---------
3.		---------	---------	ओलरी
4.		---------	कुतुबपुर	---------
5.		---------	---------	मखपुरा
6.		---------	---------	सुन्दरगढ
7.		---------	मित्रगढ़	---------
8.		आंतपुर	---------	---------
9.		इस्की	---------	---------
10.		सिलोनाभान	---------	---------
11.		---------	घिसरपडी	---------
12.		---------	---------	नुकालटी
13.	साढोली कदीम	---------	भोजपुर	---------
14.		---------	---------	आतादपुर
15.		शहजादपुर	---------	---------
16.		---------	---------	घोनरा
17.		---------	---------	मकड़ी
18.		---------	बहरामपुर	---------
19.		भोरपुर टसका	---------	---------

20.		---------	---------	तिडफला
21.		---------	---------	छछगेली
22.		अत्तापुरा दननकोर	---------	---------
23.		---------	---------	भागपुर सवामदिद
24.		वदायदपुर	---------	---------
25.		मल्हामजरा	---------	---------
26.		---------	---------	नदराना
27.		---------	जन्देड़ा	---------
28.		---------	---------	चाटकी
29.		सुन्हेटी	---------	---------
30.		वेरखेड़ा	---------	---------
31.		केवलगढ	---------	---------
32.		---------	---------	गम्भेहटा
33.		---------	शेरउल्लापुर	---------
34.		---------	---------	महमूदपुर
35.		---------	---------	असगरपुर
36.		---------	---------	खुशहालपुर
37.		---------	फरकपुर	---------
38.		---------	चक आवावाकरपुर	---------
39.		---------	---------	अलीपुरा
40.		---------	---------	चांदपुरा
41.		---------	---------	आवावाकरपुर
42.		चानचक	---------	---------
43.		---------	दडकला	---------
44.		इन्द्रपुर तालडा	---------	---------
45.		हैदरपुर हिन्दूवाला	---------	---------
46.		मेहम्मदपुर भामरा	---------	---------
47.		मुर्तजापुर सदर	---------	---------
48.		पुरवास मुस्तकम	---------	---------
49.		---------	कासमपुर वास	---------
50.		---------	हुसैनपुर	---------
51.		माटका	---------	---------
52.		चकमाटका	---------	---------
53.		---------	---------	मढ़ती
54.		---------	---------	खेरा
55.		---------	---------	मगनपुरा
56.	सरसावा	---------	---------	पटेड
57.		---------	---------	सोंधवास
58.		---------	---------	वकरगा
59.		---------	बिरपालपुर	---------
60.		तुचेलदिता	---------	---------
61.		परसागढ	---------	---------
62.		---------	---------	जयरामपुर
63.		चरावल	---------	---------
64.		जोगापुर	---------	---------

65.		नगला	---------	---------
66.		सर्लारा	---------	---------
67.		---------	टावरा अहतमाल	---------
68.		जलालपुर	---------	---------
69.		पुन्नी माजरा	---------	------
70.		नानू माजरा	---------	-----
71.		---------	हुसैनपुर	---------
72.		छावडा	---------	---------
73.		माजरी खुर्द	---------	---------
74.		ऐदलपुरा	---------	---------
75.		तीतपाला	---------	---------
76.		---------	सकरूलापुर	---------
77.		---------	बलखेतपुर	---------
78.		---------	---------	पहलवानपुर
79.		त्रिलोकपुर	---------	---------
80.		---------	किशनपुरा	---------
81.		---------	---------	गोविन्दपुर
82.		---------	---------	कातला
83.		---------	परागपुर	---------
84.		शाहपुर दाउद	---------	---------
85.		लालवाला	---------	---------
86.		---------	गुमटी	--------
87.		मलकपुर	---------	---------
88.		मझार	---------	---------
89.		मलकपुर	---------	---------
90.	नागल	---------	जैनपुर	---------
91.		भरतपुर	---------	---------
92.		कासमपुर	---------	---------
93.	रामपुर	---------	नर्जारपुरा	---------
94.		अमरपुर	---------	---------
95.		डकरावर खुर्द	---------	---------
96.		किशनखेडी	---------	---------
97.		शेखपुर	---------	---------
98.		अललाउद्दीनपुर	---------	---------
99.		आलवाला	---------	---------
100.		नारायणपुर	---------	---------
101.		रसूलपुर	---------	---------
102.		---------	अबाबाकरपुर	---------
103.		खेडवा	---------	---------
104.		नगला माफी	---------	---------
105.		बहरामपुरा	---------	---------
106.		टाठखेडी	---------	---------
107.		धावनी	---------	---------
108.		चन्द्रपालखेडी	---------	---------
109.		शेखपुरा	---------	---------

110.		---------	---------	हरपाली
111.	पुवारका	---------	लखडवा	---------
112.		जटट्पुरा	---------	---------
113.		---------	मक्कावास	---------
114.		---------	दंनारपुर मुस्तकम	---------
115.		---------	---------	छज्जपुरा
116.		टोकरपुर	---------	---------
117.		---------	लिम्भालका जुनारदार	---------
118.		---------	---------	दरा मिलकाना
119.		चकसराय	---------	---------
120.		गोकलपुरा	---------	---------
121.		आजीमपुरा	---------	---------
122.		आलमपुरा	---------	---------
123.		शाहपुर कदीम	---------	---------
124.		---------	नल्हेडा बक्कात	---------
125.	गंगोह	---------	नुरादखेडी	---------
126.		---------	बाहीखेडी	---------
127.		---------	---------	अलीपुरा
128.		---------	---------	बहादरनगर
129.		---------	भगवानपुरा	---------
130.		हरनामगढ	---------	---------
131.		पनाहपुर	---------	---------
132.		गुरूनानकपुर	---------	---------
133.		वमनपुरा	---------	---------
134.		उम्मेदगढ	---------	---------
135.		---------	आर्यनगर	---------
136.		---------	मजरी	---------
137.		शेरगढ	---------	---------
138.		---------	बानूखेडी	---------
139.		---------	---------	सानौली
140.		---------	---------	कोटडा
141.		घोघीपुरा	---------	---------
142.		---------	किशनखेडा	---------
143.		---------	बिसनौट	---------
144.		मेघन मजरा	---------	---------
145.		---------	बहलोलपुर	---------
146.		---------	खानपुर	---------
147.		---------	---------	सालीयर
148.		---------	पपडी	---------
149.		---------	बेरखेडी	---------
150.		---------	हरीपुरा	---------
151.		शीतलपुर	---------	---------
152.		---------	नागल मुस्तकम	---------
153.		---------	गुर्गी	---------
154.		---------	नागल मुस्तकम	---------

155.		आपर ढेड़ी	---------	---------
156.		---------	जन्धेडा	---------
157.		पीर माजरा	---------	---------
158.		---------	सतसरा	---------
159.		---------	हुसैनपुर	---------
160.		कोली माजरा	---------	---------
161.		भानपुर कदीम	---------	---------
162.		शाहपुर गेड	---------	---------
163.		---------	बासरेवा	---------
164.		---------	बहुपुरा	---------
165.		---------	कुण्डा बर्सा	---------
166.		---------	---------	बजीरपुर
167.		---------	बहारपुर	---------
168.		---------	---------	कालाहेडी
169.		---------	---------	अकबरपुर
170.		---------	---------	रोशनपुर
171.	नकुड़	---------	---------	काजीबास
172.		---------	---------	नसरूल्लागढ

स्रोतः विभागीय आकड़ों के आधार पर।

7.6 बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :-

जिन ग्रामों/ बस्तियों/ मजरों/ टोलों/ मुहल्लों में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है। ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमें सामुदायिक सहभागिता, कलाजत्था, महिला मंगल दल माँ-बेटी मेला, किशोरी संघ, आदि के सहयोगी से चेतन जागृति एवं बालिका शिक्षा में रूचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर में न्यूनता के आधार पर ब्लाक सढौली कदीम एवं गंगोह में बालिका शिक्षा केंद्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने प्रस्तावित है ।

7.7 अल्पसंख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :-

जनपद का अधिकांश 6 से 14 वर्ग का निरक्षर बच्चा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित है जो केवल मकतब में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है। इस कार्यक्रम में मक्तबें मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा

केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इन मकतबों/ मदरसों मे उसी धर्म का व्यक्ति यदि हाईस्कूल उत्तीर्ण है तो उसे अनुदेशक के रूप में चिहिन्त किया जाये और वहां पर निःशुल्क बेसिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा । इनका चयन मकतब कमेटी/ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से किया जायेगा । अल्पसंख्यक आबादी वाले विकास खण्ड गंगोह, सढौली कर्दाम, मुजफ्फराबाद, नगरक्षेत्र सहारनपुर एवं अम्बेहटा पीर में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने प्रस्तावित है ।

7.8 शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन समय :-

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि में नही रखा जायेगा। ये केन्द्र प्रतिदिन 04 घंटे संचालित किया जायेगे।

7.9 अनुदेशक चयन :-

अनुदेशक यथासम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहां पर शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गॉव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंको को प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्टता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुदेशक को आमन्त्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3

बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगरक्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मे अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगरक्षेत्र, सम्बन्धित वार्ड एवं नगर क्षेत्र के वरिष्टतम प्रधानाध्यापक/ शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतव/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफ़िज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मक्तवों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बंधित मकतव की प्रवन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो को मक्तवों में संचालित होने वाले केन्द्रों मे अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायी जायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मलित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। जहां पर स्नातक अभ्यार्थी उपलब्ध न हो वहां पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यार्थी का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्चर के साथ संलग्न किया जायेगा।

बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगरक्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मे अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगरक्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड एंव नगर क्षेत्र के वरिष्टतम प्रधानाध्यापक/ शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफ़िज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतबों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बंधित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों मे अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायी जायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मलित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। जहां पर स्नातक अभ्यार्थी उपलब्ध न हो वहां पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यार्थी का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्चर के साथ संलग्न किया जायेगा।

7.10 अनुदेशक का प्रशिक्षण :-

अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेंटर पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ एस.डी.आई./ ब्लाक प्रोग्राम आर्फासर/ ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा । प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू. 1500/- प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

7.11 अनुदेशक मानदेय वितरण :-

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मान देय की धनराशि रू.1000/- प्रति अनुदेशक की दर से सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक के चैक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में छः माह की आग्रेम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों मे स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर/ प्रोग्राम आर्फासर/ . प्रोग्राम पर्सन एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोष जनक कार्य किये जाने पर किया जायगा। इस प्रकार की धनराशि कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायी जावेगी। यह धनराशि नगरक्षेत्र के सम्बन्धित

सामान्य/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जायेगी तत्पश्चात् चेक द्वारा अनुदेशक को भुगतान किया जायेगा।

7.12 पर्यवेक्षण :-

शिक्षा गारंटी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ एस.डी.आई./ ब्लाक प्रोग्राम आफीसर/ ब्लाक रिसोर्स पर्सन/ ब्लाक रिसोर्स सैक्टर/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा/ नगरक्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक/ नगर प्रोग्राम आफीसर/ नगर रिसोर्स पर्सन/ सहायक शिक्षा अधीक्षक/ जनपद नगरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा । न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/ बी.आर.सी. प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की वार्षिक बैठकें भी ली जायेंगी । जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्लाक आर्फीसर/ रिसोर्स पर्सन/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय-समय पर इन बैठकों में अनुश्रवण करेंगे। निकटस्थ प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रो का पर्यवेक्षण करते रहेंगे। न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय-समय पर अपने सुझाव अनुदेशक /अनुदेशिका को देगी। डायट में डी.आर.यू. प्रभारी एवं उनके अधीनस्थ सभी अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके ।

7.13 निःशुल्क शिक्षण सामग्रीः-

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते मे सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामंकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद (रू0 845/- प्राथमिक तथा 1200/- उच्च प्राथमिक) मे किया जायेगा। शिक्षण सामग्री मद का 5 प्रतिशत राज्य/जनपदीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जायेगा।

शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेगी।

7.14 छात्र-छात्राओं का मूल्यांकनः-

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्षा गारंटी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चे शीघ्र अति शीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी

परिपेक्ष्य मे अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केन्द्रों में अध्यनरत बच्चें जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्य क्रम पूर्ण कर लेंगे, उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

7.15 प्रबन्धन लागत :

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला/विकास खण्ड स्तर पर पर प्रशासनिक/प्रबंधन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबंधन की अधिकतम लागत निम्नवत् रखी जायेगी।

80-100 केन्द्रों के मध्य	:	2.50 लाख रू0 प्रति वर्ष
50-80 केन्द्रों के मध्य	:	2.00 लाख रू0 प्रति वर्ष
25-50 केन्द्रों के मध्य	:	1.5 लाख रू0 प्रति वर्ष
25 केन्द्रों से कम	:	रू0100.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

7.16 ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र आधारित कोर्स :

ब्रिज कार्स / ग्रीष्मकालीन/क्षेत्रा आधारित शिविर :- सड़क/प्लेटफार्म, मलीन बस्तियों, दुकानों, घुमान्तू बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में है

अथवा बाल श्रमिकों/खतरे के उद्योगों में लगे बच्चे जिनका वय वर्ग 9-14 है, के ब्रिज कोर्स/ ग्रीष्मकालीन/ क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेंगे। ब्लाक सढौली कदीम एवं मुज़फ्फ़राबाद के मध्य एक ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त यमुना के खादर क्षेत्र में भी एक ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है ।

इन ब्रिज कोर्स/ ग्रीष्म कालीन/ क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

प्रत्येक ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन/क्षेत्रा विशिष्ट आधारित शिविरों में 9 से 14 वर्ष तक के न्यूनतम 50 बच्चें सम्मिलित किये जायेंगे तथा ये शिविर आवासीय होंगे। इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने-पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी।

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिजकोर्स/शिविरों के लिए एक (01) केयर टेकर, दो (02) पैरा टीचर, एक (01) कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी और इस पर चयन मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि-हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी । केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज-सज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी । अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था [illegible] ग्राम शिक्षा समिति/ जन समुदाय का सहयोग/कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ पर निःशुल्क आवास

व्यवस्था उपलब्ध हो सके यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकास खंड/जनपद मुख्यालय में स्थापित हो ।

ब्रिज कोर्स का संचालन ग्रामीण/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाये तो उस क्षेत्र/स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।

ब्रिज कोर्स/शिविरों की अवधि 4 माह से 18 माह तक रखा जायेगी। इस हेतु 3,000/-रू0 प्रति छात्र/छात्रा अनुमन्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अण्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का दिवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 15222 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि

जनपद सहारनपुर में सभी के लिए शिक्षा परियोजना में वर्ष 1993-2000 तक भौतिक एवं अकादमिक सुविधाएँ सुधारने में प्रभावी कार्यवाही हुयी है । बी0ई0पी0 पुर्न निर्माण के अन्तर्गत 124 प्राथमिक विद्यालय, 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया गया है। ठहराव में वृद्धि हेतु 851 एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 50 दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 782 शौचालय, 466 पेयजल सुविधाएँ तथा दशम वित्त आयोग द्वारा 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया । इन संसाधनों से जनपद में प्राथमिक शिक्षा के भौतिक संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी। अब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो छूटे हुये अथवा अवशेष जो भौतिक संसाधन है उन्हें पूर्ण करने का प्रस्ताव है । अतः अतिरिक्त आवश्यकता में 46 शौचालय, 62 पेयजल सुविधा तथा 31 पुर्ननिर्माण (प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय)- के कार्य प्रस्तावित है। अतिरिक्त नामांकन तथा ड्राप आउट में कमी आने से अतिरिक्त कक्षा कक्ष का आवश्यकता तथा अध्यापकों की अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुये 2304 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता ऑकी गयी है। इसके साथ ही 2048 अध्यापकों एवं 2044 शिक्षा मित्रों की वर्ष 2001 से वर्ष 2009-2010 तक आवश्यकता ऑकी गयी है । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय में 932 अध्यापकों की आवश्यकता ऑकी की गयी है।जिसे सारणी संख्या 8.1.2 में दर्शायी गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप-आउट शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित

8.1 अतिरिक्त कक्षा कक्षो का निर्माणः-

वर्तमान में परंपरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की उपलब्धता निम्न प्रकार है:-

सारणी 8.1

कक्षों की संख्या के अनुसार विद्यालय

कक्ष	प्रथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
	संख्या	मानक के अनुसार वांछित कक्ष	संख्या	मानक के अनुसार वांछित कक्ष
एक कक्षीय	16	16 X 4 = 64	---	---
दो कक्षीय	281	281X3 = 843	13	13 X 2 = 26
तीन-कक्षीय	520	520X2 =1040	135	135 X 1=135
चर कक्षीय	196	196X1 = 196	66	----
पांच कक्षीय	116	.....	19	-----
पांच से अधिक	32	.....	7	-----
योग	1161	2143	240	161

सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा हेतु एक कक्ष निर्धारित किया गया है। इस मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2304 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी जिनका चरणबद्ध रूप से निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसे सारणी 8.2 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2002-07 की अवधि में 1350 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

8.2 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2002–2003 तक प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत एवं वर्ष 2007 तक ड्राप आउट मुक्त करने के लिये 40:1 के छात्र अध्यापक अनुपात पर अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी। वर्ष 2001–2002 से वर्ष 2009–2010 हेतु वर्षवार अतिरिक्त अध्यापकों की मांग सारणी 8.2 में दर्शायी गयी है।

सारणी 8.2

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की गणना

वर्ष	परिषदीय विद्यालयों का नामांकन	प्रभावी परिषदीय नामांकन	1:40 पर शिक्षकों की आवश्यकता	40:1 के आ0 सुजित 4429 + 242 = 4671		
				वा0अ0	अध्यापक	शिक्षा मित्र
2000-2001	224431	146374	-	-	-	-
2001-2002	265569	180586	4515	-	-	-
2002-2003	298314	214786	5370	699	350	349
2003-2004	305265	241212	6030	660	330	330
2004-2005	312378	274893	6872	842	421	421
2005-2006	319656	294084	7352	480	240	240
2006-2007	327104	314020	7851	499	250	249
2007-2008	334726	334726	8368	517	259	258
2008-2009	342525	342525	8563	195	98	97
2009-2010	350506	350506	8763	200	100	100
योग				4092	2048	2044

शासनादेश संख्या 2604/15–5–99–282/98/ दिनांक 26 मई 1999 एवं शासनादेश संख्या 129(1)/15–5–2000–282/98 दिनांक 1 जुलाई 2000 के आधार पर उपरोक्त वाछित अध्यानकों की

संख्या में से 50 प्रतिशत अध्यापक तथा 50 प्रतिशत शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा मित्रों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टर है। बी0एड् प्रशिक्षित अभ्यार्थी को वरीयता दी जायेगी। अभ्यार्थी उसी ग्राम सभा का निवासी होगा। ग्राम सभा में उपयुक्त अभ्यार्थी न मिलने पर उसी न्याय पंचायत का निवासी होगा। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रचार-प्रसार के पश्चात् आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे। लब्धांक निकालने के पश्चात् अधिकतम लब्धांक प्राप्त अभ्यार्थी को शिक्षा मित्रा के रूप में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा। जिला समिति के अनुमोदन के पश्चात् चयनित अभ्यार्थी का जिला और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक माह का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त 2250/- रू0 प्रति माह की दर से देय मानदेय पर 30 मई तक शिक्षा मित्र कार्य करेंगे। समस्त प्रक्रिया शासनदेशों के अनुरूप की जायेगी।) वर्ष 2002-07 की अवधि में छात्र-अध्यापक अनुपात को मानक के अनुरूप लाने हेतु 1360 अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की व्यवस्था हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

8.3 शौचालय :-

कुल 1221 परीषदीय प्राथमिक तथा 241 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से क्रमशः 36 प्राथमिक एंव 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय शौचालय विहीन हैं। जिसका विवरण अध्याय 2 में उपलब्ध (प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाओं) सारणी में दिया गया है। कुल 46 शौचालयों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत किया जायेगा। वर्ष 2002-07 की अवधि में शौचालय निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान नहीं रखा गया है।

8.4 पुर्ननिर्माण प्राथमिक विद्यालयः-

परीषदीय विद्यालयों में से कुल 29 विद्यालयों का पुर्ननिर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण अध्याय 2 में उपलब्ध (प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाओं) सारणी में दिया गया है। वर्ष 2002-07 की अवधि में 38 जर्जर प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण हेतु तथा वर्ष 2002-07 की अवधि में 02 जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निमाण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

8.5 पेयजल प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयः-

38 प्राथमिक एंव 24 उच्च प्राथमिक विद्यालय पेयजल सुविधा विहीन हैं। कुल 62 परीषदीय विद्यालयों में वर्ष 2001-2002 में इन्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जायेंगे। वर्ष 2002-07 की अवधि में हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु वित्तीय प्राविधान नहीं रखा गया है।

8.6 पुर्ननिर्माण उच्च प्राथमिक विद्यालय

जनपद में 2 ही उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनका पुर्ननिर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2002–03 में दोनो विद्यालयों का पुर्ननिर्माण कराया जायेगा।

नगर क्षेत्र में विद्यालय पुर्नस्थापना

जनपद के तीन नगर क्षेत्रों में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में विद्यालय संचालित होने के कारण 65 विद्यालय भवनहीन हैं। द्विपाली एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालयों को मलीन बस्तियों में पुर्नस्थापित किया जायेगा। भूमि की व्यवस्था हेतु नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) तथा सहारनपुर विकास प्राधिकरण से सम्पर्क कर भूमि की व्यवस्था की जायेगी। निर्माणदायी संस्था नगर/वार्ड शिक्षा संस्था होगी।

8.7 विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें मरम्मत आवश्यक होगी। उनका आंकलन अवर अभियन्ता (आई0ए0एस0) से कराया जायेगा। वर्ष 2001–2002 से वर्ष 2006–2007 तक चरणवद्ध रूप से विद्यालयों की मरम्मत तथा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद में 45 प्राथमिक विद्यालय 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रु 20000 की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 25 प्राथमिक विद्यालय 4 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहद मरम्मत योग्य हैं उनकी मरम्मत हेतु रु 70000 की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय को होगा। वर्ष 2002–07 की अवधि में 105 विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा 34 विद्यालयों में वृहत्त मरम्मत का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

8.8 चहारदीवारी का निर्माण

जनपद में 735 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय चहारदीवारी विहीन है। बालिकाओं के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरीयता के आधार पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। कुल 875 विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से कराया जायेगा।

चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रु 40000/– से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चहारदीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा।

(बिन्दु 8.6 से 8.9 का समस्त विवरण अध्याय 2 में उपलब्ध प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाओं सारणी में दिया गया है।)

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान नहीं रखा गया है।

8.9 अनुदान :-

8.9.1 विद्यालय अनुदान :-

डी.ई.पी. परियोजना में विद्यालय को आकर्षक एवं विकासोन्मुख संस्था के रूप में स्थापित करने हेतु 2000 रू. प्रति प्राथमिक विद्यालय तथा 4000 रू. प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय को वर्ष 1997 से दिया जा रहा था । जिसके फलस्वरूप रख-रखाव, सौन्दर्यीकरण, बच्चों की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ने में अच्छे परिणाम दिखे । विद्यालय विकास के लिए किये जाने वाले समस्त कार्यों की सूची बनाई गयी और तदनुसार धनराशि का उपभोग किया गया । धनराशि का उपयोग स्कूल योजना की संरचना कर ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त उसी के सहयोग से क्रियान्वित किया गया । यह धनराशि गॉव मे हमारा अपना विद्यालय की परिकल्पना के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त हो और समुदाय आधारित शिक्षा की समग्र परिकल्पना पूर्ण हो सके। इस हेतु प्रतिविद्यालय 2 हजार प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4 हजार रूपयें सर्व शिक्षा अभियान में भी रखे जायेंगे । विद्यालय अनुदान से निम्न कार्य उदाहरणार्थ है-

- स्कूल परिसर का सौन्दर्यीकरण
- स्कूल भवन की आवश्यक/विशेष मरम्मत एवं रख रखाव
- स्कूल उपयोगार्थ आवश्यक सामग्री/उपकरण-अलमारी, मेंज, कुर्सी आदि का क्रय
- स्कूल भवनों, दीवारों पर स्थानीय तथा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कथाओं, कलाकृतियों, प्राकृतिक चित्रो आदि को चित्रांकित किया जाना

8.9.2 अध्यापक अनुदान :-

सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को सत्र के प्रारम्भ में 500 रूपय प्रत्येक अध्यापक की दर से एक मुक्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें अध्यापकों ने सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण क्षात्रों के सहयोग से किया । इस प्रकार शिक्षण कक्षाएँ आकर्षक और आनंदायी बनी जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले । सर्व शिक्षा अभियान में भी कक्षाओं को

आकर्षक बनाने हेतु प्रति अध्यापक 500 रूप्या सत्र के प्रारम्भ में देने की व्यवस्था की गयी है जिसके द्वारा अध्यापक सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करेंगे । उदाहरण स्वरूप कुछ सामग्री निम्न लिखित है

नोडिंग हार्स	:	लीवर सिस्टम समझाने के लिए
पतंग	:	एलास्टिी सिटी समझाने के लिए
कागज की सीटी	:	ध्वनि कंपन
मास्क (मुखौटे)	:	कहानी, कविता, भाषा ज्ञान
साँप-सीढ़ी	:	अर्थपूर्ण शब्दों के निर्माण हेतु।

8.10 कम्प्यूटर शिक्षाः-

वर्तमान वैज्ञानिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यार्थीयों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जानी आवश्यक है। इससे शिक्षा के प्रति रूचि तथा रोजगार परक शिक्षा देने में सहायता होगी। निरीक्षक वर्ग/ अध्यापकों को भी कम्प्यूटर शिक्षा के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा। कम्प्यूटर शिक्षा के लिये ऐसे विद्यालयों का चयन किया जायेगा। जो सुरक्षित एंव विद्युतिकृत हों। कम्प्यूटर में प्रशिक्षत अध्यापकों द्वारा ही विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा में प्रशिक्षित किया जायगा।

8.11 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :

वर्ष 1999 - 2000 तक सहारनपुर जनपद में परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक स्वयं बच्चों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकें क्रय करते थे । राज्य सरकार एवं डी.ई.पी. परियोजना के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करने की कोई व्यवस्था नहीं थी । वर्ष 2000-2001 में [illegible] लिए शिक्षा परियोजना के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गयी । जिससे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के

परिषदीय विद्यालयों में नामांकित एस.सी., एस.टी. एवं समस्त बालिकाओं को उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा नव विकसित पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गयी।

उक्त नवीन व्यवस्था के उल्लेखनीय और सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। वर्ष 1999–2000 में जहाँ अनु0 जाति, ज0 जा0 एवं बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में 28 प्रतिशत था वहीं 2000–2001 में बढ़कर 33 प्रतिशत हुआ। इन सार्थक परिणामों को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान में भी इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुनः निः शुल्क पाठय पुस्तकें दिये जाने का प्रस्ताव है जो प्रतिवर्ष सत्र के प्रारम्भ में दी जायेंगी। 2001–2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु अनुमानित संख्या सारणी 8.3 द्वारा प्रदर्शित है।

सारणी 8.3

कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिये वर्ष 2001–2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु बच्चों की संख्या

क्रम संख्या	वर्ष	परिषदीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	परिषदीय विद्यालयों में कुल बालिकाओं की संख्या (अनुसूचित जाति सहित)	कुल योग
1.	2001	49503	120756	170259
2.	2002	56616	138109	194725
3.	2003	64752	157955	222707
4.	2004	66177	161430	227607
5.	2005	67633	164982	232615
6.	2006	69120	168611	237731
7.	2007	70641	172321	242962
8.	2008	72195	176112	248307
9.	2009	73783	179986	253769
10.	2010	75407	183946	259353

प्रतिवर्ष निर्धारित मानक के अनुरूप सभी वर्ग की बालिकाओं व अनुसूचित जाति की बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है । प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना निर्धन छात्रों के लिए की जायेगी । जिसमें विद्यालय की कुल छात्र संख्या का 30 प्रतिशत या अधिकतम 100 सेट जो भी कम हो रखा जाना भी प्रस्तावित है ।

सारणी 8.5

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

11-14 वयवर्ग के लिए वर्ष 2001-2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु बच्चों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	अनुसूचित जाति बालकों की संख्या	कुल बालिकाओं की संख्या (अनुसूचित जाति सहित)	कुल योग
1.	2001	9439	21535	30974
2.	2002	10317	23558	33855
3.	2003	11276	25727	37003
4.	2004	12325	28120	40445
5.	2005	13471	30735	44206
6.	2006	14724	33593	48317
7.	2007	16094	36718	52812
8.	2008	16448	37525	53973
9.	2009	16810	38351	55161
10.	2010	17179	39195	56374

प्रतिवर्ष निर्धारित मानक के अनुसार सभी वर्ग की बालिकाओं व अनुसूचित जाति की बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित हैं । प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना निर्धन छात्रों के लिए की जायेगी : जिसमें विद्यालय की कुल छात्र संख्या का 30 प्रतिशत रखा जाना भी प्रस्तावित है ।

8.12 शिक्षक संदर्शिका :-

उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में वर्ष 2000-2001 में कक्षा 1 से 5 तक नव विकसित पाठ्य पुस्तकों को कक्षा कक्ष अन्तरिक शिक्षण में सुधार लाने के लिए प्रत्येक स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षक संदर्शिकाएँ विकसित की गई है। जिसका वितरण प्रत्येक स्कूल में एक सेट दिया जा रहा है । कक्षा-6 से कक्षा-8 तक की नवीन पाठ्य पुस्तकें विकसित की जा रही हैं। वर्ष 2000 से 2003 में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षक संदर्शिकाएँ विकसित कर प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय को एक सेट शिक्षक संदर्शिकाओं का उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2005 में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पाठ्य पुस्तकों के नवीनीकरण के पश्चात शिक्षक संदर्शिकाओं को प्रति विद्यालय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखी गयी है । शिक्षक संदर्शिकाओं के वितरण की व्यवस्था निम्न सारणी के अनुसार प्रस्तावित है ।

सारणी

शिक्षक संदर्शिका वितरण (परिषदीय प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय)

वर्ष	कक्षा	संदर्शिकाओं की कुल संख्या	कुल परिषदीय विद्यालय जिन्हे शिक्षक संदर्शिका उपलब्ध करायी जानी है (2010 तक)
2001-2002	1 से 5 तक	14 शिक्षक संदर्शिका	1244 प्रा0वि0 हेतु प्रति वि0 एक सैट
2002-2003	6 से 8 तक	शिक्षक संदर्शिका परियोजना परिषद द्वारा तैयार की जानी है।	474 उ0प्रा0वि0 हेतु प्रति विद्यालय एक सैट
2005-2006	1 से 5 तक	1400 शिक्षक संदर्शिका	1244 प्रा0वि0 हेतु प्रति विद्यालय एक सैट

8.13 बालिका शिक्षा :-

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 35.8 प्रतिशत पाई गयी जबकि उ.प्र. में पुरूषों की साक्षरता 55.73 और महिलाओं की साक्षरता केवल 44.27 प्रतिशत रही है । जनपद सहारनपुर में महिला साक्षरता की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । यहाँ महिला साक्षरता दर 28.10 प्रतिशत है । जनपद में बालिका शिक्षा के प्रति सभी वर्गों में उदासीनता रही है ।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं के शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया और तदानुसार बालिका शिक्षा विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए । जनपद सहारनपुर में बालिकाओं की शिक्षा· बालिकाओं की शिक्षा वर्ष 1991 की जनगणना के आधारपर निम्नवत है जिसे सारणी द्वारा दर्शाया गया है :-

जनपद की विकास खण्डवार एंव नगर क्षेत्रवार साक्षरता वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निम्नवत है:-

क0स0	विकास क्षेत्र	पुरूष	महिला	योग
1	साढोली कदीम	30.8	11 5	22.1
2	मुजफफरावाद	50.6	20.4	36.8
3	पुवारका	48.3	17.9	34.4
4	बलियाखडी	52.4	19.3	37.3
5	सरसावा	45.2	19.1	33.4
6	नकुड	53.9	22.4	39.7
7	गगोह	44.8	16.2	31.8
8	रामपुर	57.0	22.8	41.6
9	नागल	51.1	20.6	37.4
10	नानौता	58.8	26.4	43.9
11	देवबंद	51.5	24.0	39.1
12	नगरक्षेत्र सहारनपुर	66.8	50.9	59.5
	योग	49.3	19.90	36.8

स्रोत : जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका 1998

इस विवरण में यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है कि साक्षरता तथा नामांकन दोनो दृष्टि से महिला वर्ग पुरूषों की तुलना में पीछे है । किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है । कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शतप्रतिशत करने के साथ-साथ सभी वर्ग की शतप्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना है । नामांकन हेतु चलाए गए विभिन्न अभियानों और गॉव स्तर पर बैठक में आए विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्याएँ उभर कर आयी हैं जिनके समाधान के लिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है ।

इसको दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं। इनमें 3-6 वयवर्ग में बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिशु शिक्षा केंद्र खोले गए जिससे परिणाम स्वरूप इन विद्यालयों में बालिका शिक्षा में नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई । क्योंकि बालिकाएँ अक्सर इस वयवर्ग के अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती थी । कक्षा-5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के लिए कार्य अनुभव के अन्तर्गत प्रयास प्रोजेक्ट के रूप में कार्य अनुभव प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई । परिणाम स्वरूप विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति में वृद्धि हुयी एवं ड्रापआउट दर में कमी हुयी।

8.13.1 बालिका शिक्षा हेतु अब तक किये गये कार्य :

जनपद सहारनपुर में बी.ई.पी. के अंतर्गत वर्ष 1993-94 में बालिका नामांकन 32 प्रतिशत था । जो 2000-2001 में बढ़कर 47.5 प्रतिशत हो गया । इसी प्रकार अपर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 93-94 में नामांकन 27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 45 प्रतिशत हो गया । इसी प्रकार शालात्यागी दर जो वर्ष 1993-1994 में प्रतिशत जो 1999-2000 में 29.4 प्रतिशत हो गयी परन्तु

फिर भी स्पष्ट है कि बालिका शिक्षा में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुत कार्य होना है ।

जनपद के दो विकास खन्डों मे बालिका शिक्षा को प्रोत्सहित करने के उद्देश्य से द्विपाली विद्यालय चलाये गये । इसमें अपेक्षाकृत सफलता नही मिली क्योकिं महिला अध्यापिकाओं की कमी एवं दूरदराज से आने वाली बालिकाओं की सुरक्षा का अभाव प्रमुख कारण रहा।

मां बेटी मेलो का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया गया । नामांकन वृद्वि हेतु शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया । ई0 सी0 सी0 केन्द्रो का संचालन कराया गया । जिसके द्वारा बालिका अपने भाई बहनो को ई0 सी0 सी0 केन्द्रो मे छोडकर विद्यालय पढने आती थी । इस प्रकार बालिकाओं की पहुच एवं ठहराव में वृद्वि हुई । आंगनवाड़ी केन्द्रो के साथ ई0 सी0 सी0 केन्द्रो को जोड़ा गया ।

ग्रीष्म कालीन 10 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें वातावरण निर्माण, स्वास्थय, शिक्षा, सिलाई-कढाई के प्रति बच्चों मे रूचि उत्पन्न करने के साथ-साथ छूट गयी पढ़ाई का अभ्यास कर पुनः योग्यतानुसार कक्षाओं में नामांकित कराया गया । ये शिविर प्रत्येक विकास खण्ड के उन ग्राम सभाओं में संचालित किये गये जिसमें 30 से 40 शालात्यागी बालिकाऍं उपलब्ध थीं । 10 दिन के शिविर के पश्चात अभिभावक इतने प्रभावित हुये कि उन्होने विद्यालय में छात्राओं को अपेक्षाकृत अधिक नामांकन कराया ।

ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जिसमें बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्गदर्शी कार्यक्रम के रूप में "कार्यानुभव" कार्यक्रम चलाया गया कच्चा माल उपलब्ध कराकर स्वेटर, थैले, गुड़िया, बच्चों के कपड़े, बैग, तकिये के कवर, चादरों की कढ़ाई आदि बालिकाओं द्वारा तैयार की गई तैयार सामग्री की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री हेतु रखा गया। बिक्री

से प्राप्त धनराशि से पुनः कच्चामाल खरीदा गया और पुनः यही प्रक्रिया दुहराई गयी। इस प्रकार वालिकाओं में करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास हुआ और भविष्य में स्वालम्बी बनाने के सार्थक प्रयास किये गये। वर्ष 1996 में श्रीमति वुलफैनसन (पत्नी अध्यक्ष विश्व बैंक) के जनपद भ्रमण पर विकास संसाधन केन्द्र पुवारका में वालिकाओं द्वारा तैयार किये गये प्रदृश्यों की प्रदर्शनी आयोजित की गयी। वालिकाओं द्वारा निर्मित सामग्री की श्रीमति वुलफैनसन द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा एक स्वेटर क्रय किया गया।

फोकस ग्रुप डिसकसन में वालिकाओं की शिक्षा के लिए जो सुझाव प्राप्त हुए है उनने वालिकाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा जैसे - सिलाई, कढ़ाई, वनुाई, मेहंदी, प्रतियोगिता, ब्यूटी पार्लर कोर्स, साफ्ट - टाय, वैग वनाना आदि के शिक्षण एवं करके सीखनें की व्यवस्था की जावे। शहरी क्षेत्र में फल सरंक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव भी आया तथा यह भी तथ्य उभर कर आया कि शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फल सरंक्षण कार्यक्रम वालिकाओं के लिए चलाये जावे। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में वालिकाओं के लिए गृह विज्ञान विषय के पढ़ाने हेतु क्रियात्मक एवं सैद्धान्तिक रूप से शिक्षण की व्यवस्था की जाय।

महिला समाख्याः-

महिला समाख्या सहारनपुर में पिछले एक दशक से महिला शसक्तिकरण के लिये प्रयासरत है। अनेक प्रि[illegible]ों व गति [illegible] तय करते [illegible] सफर में आगे वढती जा रही है। सन 1997 में जनपद सहारनपुर में महिला समाख्या क्रियान्वयन की कार्यवाही हुई जिसमें सवसे पहले नागल व्लाक में कार्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात रामपुर मनिहारन एंव वलियाखेड़ी व्लाक में कार्य का शुभारम्भ किया गया । वर्तमान में महिला समाख्या जनपद के 2[illegible] गांवों में कार्यरत है। महिला समाख्या प्रक्रिया आधारित कार्यक्रम है। जिसमें लक्ष्य व उपलब्धियों से अधिक प्रक्रिया [illegible] है। महिला समाख्या का सहयोग वालिका शिक्षा,

स्वास्थ्य सम्वन्धि जानकारी उपलब्ध कराने, शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराने, किशोरी संघ की स्थापना, पर्यावरण सम्वन्धि जानकारी उपलब्ध कराने एंव जीवनोपयोगी क्रियाकलापों को कराने में लिया जायेगा। ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन शिविर हेतु विशेष सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

8.13.2 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वालिका शिक्षा को वढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियां :-

वालिकाओं के अभिभावक दूरस्थ विद्यालयों में अपनी वालिकाओं को भेजने से कतराते हैं अतः कमशः 1.5 कि.मी. की परिधि कम से कम प्रत्येक 300 की आवादी पर नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अंतर्गत की गयी है । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालय पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है । प्रत्येक विद्यालय में वालिकाओं के टहराव हेतु शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था की जायेगी । सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिकता पर विद्यालय की चाहर दीवारी की जायेगी ।

प्राथमिक विद्यालय में वालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा अभिभावकों को भरोसा दिलाने की दृष्टि से कम से कम 1 महिला शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । जिसको धीरे धीरे वढ़ाकर 50 प्रतिशत तक का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से तथा विशेषकर अल्पसंख्यक अभिभावकों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यक्षेत्र में विशेषकर देववंद, गंगोह एवं सहारनपुर में चिन्हित उच्च प्राथमिक विद्यालय में द्विपाली योजना

चलाने का प्रस्ताव रखा गया है । इसके अंतर्गत 1 पाली में केवल बालिकाओं को शिक्षा दी जायेगी । इस पाली में अधिकाधिक महिला शिक्षकाओं की व्यवस्था की जायेगी ।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की माँग इसी अध्याय के बिंदू 8.1 में प्रस्तावित है । यह भी प्रस्तावित है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण होने से पूर्व प्रस्तावित स्थान पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय में द्विपाली योजना प्रारम्भ कर उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सत्र 2002-2003 में कर दी जायेगी । इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान प्राथमिक विद्यालय के भौतिक संसाधनों का लाभ लेते हुये दोपहर के समय उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएँ संचालित की जायेगी । इस व्यवस्था का लाभ बालिकाओं की शिक्षा पर अवश्य पड़ेगा क्योकि अब कक्षा-6 से कक्षा-8 तक की व्यवस्था आबादी क्षेत्र के निकट ही हो जायेगी ।

जिन विकास खण्डों में तथा संकुलों में बालिका शिक्षा की व्यवस्था बनी हुयी है (ई.एम.आई.एस. एवं सूक्ष्म नियोजना के आँकड़ों के अनुसार) विकास खण्ड सटौली कर्दाम, पुतांरका, गंगोह, बलिया खेड़ी तथा सरसावा साथ ही 30 संकुलों में बालिका शिक्षा की वृद्धि के लिए मॉडल क्लस्टर विकसित करने की रणनीति अपनायी जायेगी । इन सब स्कूलों में महिला प्रेरक समूह तथा माता शिक्षा संघ (एम.टी.ए.) का गठन कर बालिका शिक्षा में वृद्धि लाने की सम्पूर्ण रणनीति अपनायी जायेगी । इस व्यवस्था के अंतर्गत समुदाय एवं अभिभावकों को प्रेरित करना तथा विद्यालय में अध्यापकों व शिक्षण विधियों में बालिकाओं के प्रति शिक्षा में सजगता उत्पन्न करना उल्लेखनीय है । इन संकुलों में महिला प्रेरक समूह तथा सूक्ष्म नियोजन के आधार पर बालिका वार अनुश्रवण एवं आँकड़ों का विश्लेषण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बालिका स्कूली अथवा वैकल्पिक शिक्षा का लाभ प्राप्त करती रहेंगी ।

बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु कक्षा-1 से कक्षा-8 तक निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था भी की गयी है जिसका विवरण इसी अध्याय में पृथक से लिया गया है ।

जनपद में बालिका शिक्षा की रणनीतियों के विशेष क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक पूर्णकालिक जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) की व्यवस्था जिला परियोजना कार्यालय में की जायेगी । इस विशेषाधिकारी का दायित्व होगा कि बालिका शिक्षा सम्बन्धी सभी कार्यों तथा प्रस्तावित रणनीतियों का क्रियान्वयन करायें तथा जनपद में प्रारम्भिक शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों मे बालिका शिक्षा से सम्बिन्धित, बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता का वातावरण सृजित करें । समन्वयक (बालिका शिक्षा) को वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था सामुदायिक सहभागिताओं तथा शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों से भी जुड़ना आवश्यक होगा जिससे कि बालिका शिक्षा की आवश्यकताओं का समावेश उन कार्यक्रमों में भी पूर्ण रूप से कर सके ।

सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगरीय क्षेत्रो में वार्ड समिति सदस्यों को बालिका शिक्षा हेतु विशेष रूप से अभिकेंद्रित कराया जायेगा । इस कार्य में विशेषकर महिला सदस्यों/महिला प्रधानों/महिला वार्ड सदस्यों को लिंग संवेदनशीलता के प्रति अभिकेंद्रित किया जायेगा । जनपद सहारनपुर में महिला समाख्या से लगातार सम्पर्क रखा जायेगा । और उनके अनुभवों के मार्ग दर्शन का लाभ लेते हुये सामुदायिक सहभागिता एवं अध्यापक प्रशिक्षणों में सहयोग प्राप्त किया जायेगा ।

वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों में जिसका पूर्ण विवरण अध्याय-7 में दिया गया है का सीधा लाभ बालिका शिक्षा पर पड़ने की सम्भावनायें हैं चूंकि परन्तु जिम्मेदारियों में जकड़ी हुयी बालिकाओं को लचीली शैक्षिक प्रणालियों से जुड़ने में आसानी होती है और लचीली समय सारणी से शिक्षा का लाभ प्राप्त

कर सकती है । समय-समय पर होने वाले विशेष कार्यक्रमों में बालिका शिक्षा को प्रचार-प्रसार से प्रमुखता बनाया जायेगा ।

बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 210 शिशु शिक्षा केंद्र खोलने का प्रस्ताव है । ये केंद्र आई.सी.डी.एस. के समन्वयन में संचालित किये जायेंगे ये केंद्र विशेषकर उन विकास खंडों एवं संकुलों में खोले जायेंगे जहाँ बालिका शिक्षा का प्रतिशत कम है इन केंद्रों के अंतर्गत आई.सी.डी.एस. द्वारा संचालित आँगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय के करीब लाया जायेगा और केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा के कार्यक्रमों को सुदृढ किया जायेगा । आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को स्कूल पूर्व शिक्षा में विशेष अभिमुखिकरण-प्रशिक्षण तथा केंद्र को अतिरिक्त पूर्व विद्यालय शिक्षण अधिगम सामग्री (ई.सी.एल.एम.) की व्यवस्था की जायेगी । आँगनबाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक विद्यालय के समय को बढ़ाया जायेगा । इसके लिए कार्यकर्त्ता एवं सहायिका को अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा ।

8.13.3 जनजागरण अभियानः-

जनपद सहारनपुर में 77588 बालिकाएं हैं जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं है । इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाए जायेंगे विशेषकर सठौली कदीम, गंगोह एवं पुवारका विकास खण्ड ऐसे हैं जहाँ पर बालिकाएँ घरों में काम करती हैं या अल्प संख्यक हैं अपेक्षाकृत पिछड़ी हुयी हैं । इनके माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जायेगा । इसके अन्तर्गत फेरियाँ जुलाई तथा पोस्टर नारे का लेखन जन सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जाएगा ।

8.13.4 बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्द्धन :

- ❖ जिले की समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे ।
- ❖ महिला प्रेरक समूहों एम.टी.ए. का गठन एवं प्रशिक्षण प्रस्तावित है ।
- ❖ जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों/अध्यापिकाओं प्राईमरी/अपर प्राईमरी का बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रस्तावित है ।

8.13.5 मदर टीचर एसोसिएसन :

प्रत्येक ग्राम में मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की जायेगी जिसमें प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा के प्रति जागरूक अधिकतम 10 महिलायें इसकी सदस्या होंगी। ब्लाक/न्याय पंचायत/ स्कूल स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है। इस कार्यशाला में बालिकाओं में शिक्षित होने के लाभ तथा कानियों से अवगत कराया जायेगा।

8.13.6 पी0टी0ए0 (पेरेंट टीचर एसोसिएसन) अभिभावक अध्यापक संघ :–

अभिभावकों को शिक्षा विशेषकर बालिकाओं के प्रति सजग करने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक अध्यापक संघ की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक माह पी0टी0ए0 की बैठक ग्राम शिक्षा समिति के साथ की जायेगी। जिसमें बालिका शिक्षा तथा विद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उसका निराकरण किया जायेगा। प्रति कक्षा के 2 बालिकाओं के अभिभावक जिसमें से एक गत परिक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एवं 1 कम अंक उत्तीर्ण करने वाले बालिका के अभिभावक सदस्य होंगे।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ– ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10–12 सक्रिय मातओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल–ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन

  - बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

  - बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।

    – माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

    – माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान

    – माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

    बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेगे।

- सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन

  शिक्षा सत्र के मध्य में अनिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हे अवगत कराते हुये नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिनावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें। जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- कोहार्ट स्टडी

  अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- ग्रीष्म कालीन शिविर

  ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाल त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम हैं "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

  बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

8.16.8 माडल क्लास्टर डेवलपमेंट :

साढौली कदीम, गंगोह, पुवारका, बलियाखेडी एवं सरसावा विकास क्षेत्र की ऐसी न्याय पंचायत का चयन किया जायेगा। जिसमें बालिकाएं अधिक निरक्षर हों। चयनित न्याय पंचायत को माडल क्लास्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। इन क्लसटर के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे ताकि इन न्याय पंचायतों की समस्त ग्राम सभाओं में 6–11 वयवर्ग की बालिका शतप्रतिशत नामांकन ठहराव सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वामित्व उनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्यायपंचायतों में बालिकाओं में आत्म विश्वास एवं आत्म छवि को विकसित करने उनके नेतृत्व के गुण विकसित करने हेतु विभिन्न

कार्यक्रम प्रस्तावित है । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन शिविरों, किशोरी संघो के गठन, लाईफ स्किल ट्रेनिंग आदि आयोजित होंगें । धीरे-धीरे माडल क्लास्टर की संख्या में वृद्धि की जायेगी ।

8.13.9 विशेष नामांकन अभियान :

चयनित क्लस्टर में पी.आर.आर.ए. (पार्टीसिपेटरी रूरल एप्रैजल) के आधार पर सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर साढौली कदीम, गंगोह, पुवारका एवं मुजफरावाद में नामांकन अभियान चलाया जायेगा। सभी लक्ष्यगत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके, वे नियमित रूप से विद्यालय आवे और उनकी शैक्षिक समप्राप्ति में वृद्धि हो इसके लिये चिन्हित बच्चो के घर घर तक पहुँचना आवश्यक है इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय विशेष रूप से महिला समूह का सहयोग लिया जायेगा । इसी के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएँगे ।

8.13.10 सामुदायिक जनजागृति :

लिंग भेद समाप्ति एवं बालिका शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व बोध सुनिश्चित कराने हेतु सामुदायिक जनजागृति के लिए विकास खण्ड सढौली कदीम, गंगोह, पुवारका एवं मुजफरावाद विकास खण्ड में विशेष तौर पर तथा अन्य जनपद में सामान्य तौर पर निम्नलिखित कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये जायेंगे ।

- नुक्कड़ नाटक/ग्राम/न्यायपंचायत स्तर पर
- प्रभात फेरी ग्राम स्तर पर
- माँ बेटी मेला आयोजन
- ग्राम/न्याय पंचायत स्तर पर
- प्रतियोगिताएँ - खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम

8.13.11 पदयात्रा :

ग्राम एवं न्याय पंचायत स्तर पर पद यात्राओं का आयोजन किया जायेगा। इसमें प्रमुख महिला सामाजिक कार्यकत्रियों को सम्मिलित किया जायेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं में सामाजिक चेतना का विकास करना है।

8.13.12 कला जत्था :

जनपद सहारनपुर में 'सांग' एवं अन्य ऑचलिक लोक कलाओं/लोक गीतों का आयोजन किया जायेगा। स्वैच्छिक संगठनों एवं कला जत्थों के सहयोग से पोपेट सो का आयोजन किया जायेगा और इसके द्वारा महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा ।

8.13.13 मीना कैम्पेन :

इसके माध्यम से प्रत्येक गॉव स्तर पर गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, फिल्म प्रदर्शन, बैनर, चार्ट, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से माता पिता अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा ।

8.13.14 मॉ बेटी मेला आयोजन :

ग्राम स्तर पर मॉ बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा ।

उद्देश्य :

माताओं को उनकी बेटी को स्कूल भेजने तथा कक्षा 2 तक की शिक्षा प्राप्त कराने हेतु प्रेरित करना है ।

8.13.15 ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला प्रशिक्षण :

प्रत्येक स्तर पर सुभाष की परिभाषिता सुनिश्चित हो सके इसके लिए एम.टी.ए., आर.टी.ए., वी.ई. सी., महिला प्रेरक समूह ब्लाक तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयक केंद्रो के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे । माडल न्याय पंचायत केंद्र, सामुदायिक गतिविधियों के केंद्र तथा शिक्षा केंद्र के रूप में विभाजित किये जायेंगे ।

8.13.16 ग्राम शिक्षा समितियों, एम.टी.ए., महिला प्रेरक समूहो का गठन तथा प्रशिक्षण-:

बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं उनके नामांकन विद्यालय में ठहराव तथा सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि हेतु वी.ई.सी., एम.टी.ए., डब्ल्यू.एम.जी. को संवेदनशीलत बनाना । विद्यालयों में एवं विद्यालय से बाहर की गति विधियों में उनका योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । इस हेतु सूची जि.प्रा.शि. कार्य के अन्तर्गत विकसित प्रशिक्षण मंजूषा विकसित की जायेगी ।

8.13.16 सेवारत अध्यापक बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण :

समस्त अध्यापकों एवं बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. कोर्डिनेटरों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं को गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

8.13.17 ग्रीष्म कालीन शिविर :-

ड्रापआउट बालिकाओं को पुनः विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्यक्रम:-

ड्रापआउट बालिकाओं को पुनः विद्यालय की मुख्य धारा में लाने हेतु 30 दिन का ग्रीष्म कालीन शिविर चलाया जाएगा और उनको रक्षा विशेष में पुनः समेकित कराया जायेगा । यह शिविर प्राथमिक एवं उ.प्रा.शि. स्तरों के लिए चलाए जाएंगे बालिकाओं की ड्रापआउट दर को ध्यान में रखकर किया जायेगा । जनपद में बालिका नामांकन 2030-15 है और बालिकाओं के नामांकन विद्यालय में रहने

और गुणवत्ता सम्प्राप्ति हेतु प्रत्येक विकास खण्ड को माडल क्लास्टर अथवा अन्य क्षेत्रों को चयनित ग्राम सभाओं में दस दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर लगाने का प्रस्ताव है इन शिवरों में शाला त्यागी बालिकाओं उनके अभिभावकों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रधान तथा समूह के प्रतिनिधियों के सहयोग से बालिकाओं को विद्यालय लाने के लिए प्रेरित किया जायेगा । शिविरों के लिए मुख्य पैकेज का प्रयोग किया जावेगा ।

8.13.18 विशेष कोचिंग हेतु :

जिन लड़कियों का उपलब्धी स्तर कम है उनको इन शिवरों के माध्यम से अतिरिक्त कोचिंगों की व्यवस्था की जायेगी । बालिकाएं विशेषकर कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं की पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से विद्यालय में नियमित उपस्थिती न रह पाने के कारण बहुत शैक्षिक रूप से पिछड़ जाती है तथा अन्त में अधिकांशतः धीरे-धीरे हीन भावना एवं कक्षा में अन्य साथियों के साथ न चल पाने के कारण विद्यालय छोड़ देती है । ऐसी बालिकाओं को चिन्हित कर ब्लाक स्तर पर 40-50 बालिकाओं के लिए ग्रीष्मावकाश में 15 दिनों का शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है । ऐसे शिविरों में पूर्व में चिन्हित कठिन स्थलों यथा विज्ञान, गणित अंग्रेजी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिक्षक के साथ साथ योगा, मार्शल आर्ट, लाईफ स्किल तथा कम्यूनिटी राज्य के अनुभवों का भी लाभ मिल सकेगा ।

सढौली कदीम, गंगोह एवं पुवारका जनपद के ऐसे क्षेत्र है जहाँ महिला साक्षरता दर क्रमशः 11. 5, 16.2, 17.9 है । इन क्षेत्रों में माताओं, शिक्षकों एवं विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं का फोकस ग्रुप डिस्कसन किया गया जिससे महिलाओं के शैक्षिक पिछड़े पन के कारण ज्ञात हो सके जो मुख्यतः निम्नवत है :-

1. आर्थिक रूप से पिछड़ापन

2. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र

3. सढौली कदीम बीहड़ क्षेत्र होने के कारण बालिकाओं में सामाजिक सुरक्षा का भय बना रहता है । प्राकृतिक रूप से वर्षा ऋतु में बाढ़ तथा ग्रीष्म काल में भयंकर सूखा, आग लगने, पीने के पानी की समस्या आदि से जूझने के कारण बालिकाओं की शिक्षा के साथ-साथ बालकों की शिक्षा की समस्या भी बनी रहती है । जबकि गंगोह नगर क्षेत्र एवं सुविधा सम्पन्न होते हुये भी मुस्लिम क्षेत्र होने के कारण बालिकाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी एव पर्दा प्रथा की समस्या से ग्रस्त है यहॅ के परिवारों में बालिकाएँ विद्यालय जाने के स्थान पर काष्ट कला के कार्य में मदद करती हैं इस प्रकार के विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति के तहत सढौली कदीम में प्रथम एवं द्वितीय चरण में 20-20 ग्रीष्म कालीन शिवरों का आयोजन कर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जायेगा ।

8.13.19 ब्रिज कोर्स :

चयनित क्लास्टर में आवश्यक्तानुसार बालिकाओं, के लिए ब्रिज कोर्स आवसीय शिविर भी आयोजित किये जायेंगे । ऐसे शिविर सढौली कदीम तथा गंगोह में प्रस्तावित है । इन शिविरों में 3 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर शालात्यागी बालिकाओं को फ्लैक्स कोर्स के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा-5 तथा कक्षा-8 की परीक्षा परीक्षा दिलाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा ।

8.13.20 उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम कार्यानुभव :

करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा । इसके अन्तर्गत जनपद के परम्परागत ट्रेड तथा गैर परम्परागत ट्रेड में चयन कर आधुनिक तकनीकी से संजोकर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है । खिलौने बनाना, कला चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप

अपने माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियाँ मिट्टी के खिलौने कागज के सामान बनाने की कला सीखायी जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि पशु–पालन प्रस्तर कला धातुकला आदि से सम्बिन्धित सामान्य ज्ञान अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा। इस वर्ष विकास खण्ड स्तर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्यानुभवन योजना प्रस्तावति है। अगले वर्षो में दूसरा विस्तार किया जायेगा। आदर्श रूप में नगर क्षेत्र के दो विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा को सामान्य ज्ञान देने हेतु प्रस्ताव है।

8.13.21 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

आकर्षक एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्ताकें के वितरिण का बच्चों के विशेषकर बालिकाओं क शतप्रतिशत नामांकन एवं उनके विद्यालय में ठहराव हेतु विशेष महत्व है। समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

8.13.22 शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण

जनपद सहारनपुर में 3–6 वयवर्ग के बच्चों के लिए बालवाणी, आंगनवाणी, ई0सी0सी0ई, आई0सी0डी0एस0 केन्द्र चल रहें है। इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक, मानसिक इन्द्रियों के विकास के लिए शिक्षा दी जाती है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है :–

1. छोटे भाई बहनों की देख–रेख में लगी बालिकाओं एवं बालकों को मुक्त कर विद्यालयों तक लाना एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।

2. 3–6 आयुवर्ग के प्रथम पीढ़ी बच्चों को स्कूल पूर्व विषयक गतिविधियाँ उपलब्ध कराना। उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गतत जनपद में 100 शिशु शिक्षा केन्द्र पूर्व में ही संचालित रहें है। प्रथम वष्र में इन केन्द्रों का पुनः सुदृढिकरण किया जायेगा। 110 शिशु शिक्षा केन्द्र चरणबद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 210 शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगें। ऐसे ब्लाकों का चयन किया गया है जिसमें महिला साक्षरता सबसे कम है तथा जहाँ आई0सी0डी0एस0 के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे है। ऐसे चयनित विकासखण्ड नकुड़ बलिया खेड़ी, पुवारका एवं मुजफ्फराबाद तथा नगर क्षेत्र में सहारनपुर, गंगोह एव देववंद नगरपालिका प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त सढौल कदीम विकास खण्ड भी महिला साक्षरता की दृष्टि तथा बालिकाओं के ड्राप आउट दर की दृष्टि से अत्यंन पिछड़ा है परन्तु इस विकास खण्ड में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम संचालित नही है। सढौली कदीम में भी प्रथम तथा द्वितीय चरण में 25–25 शिशु शिक्षा केन्द्र खोले जायेगे। केन्द्रों पर कार्य करने हेतु कार्यकत्रियों का चयन ग्राम

शिक्षा समितियों द्वारा आई0सी0डी0एस0 के मानक के अनुसार ही किया जायेगा। परन्तु इन केन्द्रों पर 0–6 के स्थान पर 3–6 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन किया जायेगा और उन्हे पर्सनल कम्पोनेंट के साथ–साथ उनके विकास हेतु क्रिया–कलाप आयोजित होगें। गंगोह नगर क्षेत्र नगर क्षेत्र में भी आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम नही है यहाँ पर भी उक्तवत व्यवस्था की जायेगी। इन केन्द्रों के व्यय का भार सर्व शिक्षा अभियान द्वारा व्यय किया जायेगा। जिसकी ईकाई लागत निम्नवत होगी।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री का मानदेय (12x650)	7800
केन्द्र पर दी जाने वाली शैक्षिक व अन्य सामग्री (प्रतिकेन्द्र)	5000
आकस्मिक व्यय	1500
प्रशिक्षण	1250
	15550

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नही संचालित है, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, के अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनो की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगें। इन प्रस्ताव को डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किये जाएगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

8.13.23 स्वास्थ्य परीक्षण

परीषदीय प्राथमिक में अध्ययनरत विद्याथियों का स्वास्थ्य परीक्षण उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत गत वर्षो में कराया जाता रहा है। इस कार्यक्रम को आग्र बढ़ातें हुये सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के

बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवर्ष कराया जाना प्रस्तावित हैं। इसका अभिलेखीकरण, पंजिकाओं/कार्डों में सुरक्षित रखा जायेगा। विकलांग बच्चों को प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा किया जायेगा

8.14 समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा

8.14.1 अवधारणाः

आज भी कुछ बच्चे विकलांगता से पीड़ित है। ये या तो विद्यालय में नामांकन से स्वयं को बचाते हैं या अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रणाली की अतिसंवेदनशीलता के कारण पढ़ाई छोड़ने के लिये विवश हो जाते हैं। जबकि गंभीर मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता वाले कुछ बच्चे विद्यालय के बाहर ही रहते है तथा बहुत सारे अल्प क्षति के कारण हाशिये पर हो जाते है।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनो की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनो का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनो द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनो के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्ताव का डेस्क टॉप अप्रेज़ल/फील्ड अप्रेज़ल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जाता हैं।

जनपद में 6 से 14 वयवर्ग विकलांग बच्चों के लिए कराये गये सर्वेक्षण पर प्राप्त आँकड़े निम्न प्रकार हैः

विकलांग बच्चों की		पढ़ने वाले	न पढ़ने वाले	विकलांगतावार संख्या			
बालक	बालिका			दृष्टि दोष	श्रवण दोष	अस्थि विकार	अन्य
6965	3556	4373	6148	747	1048	7956	770

स्रोतः विभागीय आँकड़े के अनुसार

विद्यालयों मे पढ़ने वाले 4373 बच्चों में से दृष्टि दोष, श्रवण दोष वाले बच्चों को चिकित्सकीय सलाह से उपकरण की व्यवस्था सामाजिक संस्था, लायंस क्लब, रोटरी क्लब के माध्यम से करायी जायेगी। अस्थिविकार वाले बच्चों के लिए व्यायाम, उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु सार्थक प्रयास किया जायेगा।

8.14.2 प्रक्रिया :

अल्प एंव संयत विकलांगता वाले बच्चों को प्राथमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों के साथ समेकित शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये गहन प्रयास की आवश्यकता है। इसलिये प्राथमिक विद्यालय प्रणाली में अल्प एंव संयम शारीरिक शिक्षा और अधिगम विकलांगता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा की दिशा में एक व्यापक कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा। इस अभिष्ट कार्य को करने के लिये संगठनात्मक तैयारी के आंकलन के साथ कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में कम से कम विकलांग बच्चों के साथ एक अभिभावक को नामित करने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों/परामर्शियों, बाल चिकित्सकों, बाल मनोवैज्ञानिकों, विशिष्ट शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वास्थय विज्ञान एंव विशिष्ट शिक्षा विभागों के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

अधिगम विकलांगता की प्रकृति की पहचान के लिये जनपद में उपरोक्त विशेषज्ञों की एक दिवसीय कार्यशाला समस्त विकास खण्डों/नगर क्षेत्रों में आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के सहयोग से न केवल विकलांगता की प्रकृति को पहचानने की अर्न्तदृष्टि प्राप्त होगी अपितु समेकित शिक्षा के लिये जनपद सन्दर्भ दल को पहचानने में भी सहायता मिलेगी।

अधिगम विकलांगता वाले बच्चों के लिये शैक्षिक प्रावधान विषयक तीन दिवसीय कार्यशाला भी विकासखण्ड/ नगर क्षेत्र स्तर पर प्रस्तावित है। जिससे शारीरिक और अधिगम विकलांगता के मुद्दे की शिक्षकों तथा अन्य अभिकर्मियों की सुग्राहिता के लिये एक माड्यूल का विकास किया जायेगा। जिससे विकलांगता की पहचान और सलाह के लिये शिक्षकों को सुसज्जित करने की अपेक्षा की जायेगी। ताकि वे यह जान सके कि ऐसे अक्षम बच्चों के साथ कैसे व्यावहार करें और उपचारात्मक शिक्षण देने के लिये ब्लाक संसाधन केन्द एंव न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के स्टाफ को सुग्राह्य

बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु और गहन प्रशिक्षण देगा। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को सम्मलित कर ब्लाक सन्दर्भ दल विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों के सन्दर्भ में ब्लाक के अध्यापकों को नियमित मार्गदर्शन प्रदान करेगा और विकलांगत बच्चों की आवश्यकता के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिये समुदाय हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। शारीरिक अक्षमता के कारण अधिगम समस्याओं के साथ बच्चों के लिये विशेष रूप से अनुकूल शिक्षण अधिगम सामग्रियों को उपलब्ध करायेगा। इस कार्य के एन0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ एंव अन्य विशिष्ट संस्थाओं में एक सप्ताह का विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजन प्रस्तावित है। जनपद में डायट में इस तरह का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

8.14.3 जनचेतना :

ब्लाक स्तर/न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला/ प्रशिक्षण आयोजित कर निम्न सामग्री तैयार की जायेगी।

- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ ब्लाक संसाधन केन्द्रों और जनपद स्तर पर बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान के लिये सर्वेक्षण प्रणाली।
- अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों को मार्गदर्शन के लिये विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं पर इश्तहार।
- विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के समेकित शिक्षा के सन्दर्भ में कक्षा कक्षों और प्रबंधन की देखरेख के संबंध में संगठनात्मक आवश्यकताओं की आंकलन प्रणाली।

8.14.4 निदानात्मक उपागमः

समाज द्वारा अन्य सामाज के लोगों की भांति इन अक्षमता ग्रस्त बच्चों को स्वीकृति दिलाना और उन्हे शिक्षा तथा रोजगार के सामान अवसर प्राप्त कराना प्रस्तावित है।

सामान्य बच्चों तथा अक्षमता ग्रस्त बच्चों के बीच स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध विकसित करना। जिससे इन बच्चों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण को बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाना इस योजना में प्रस्तावित है। जीवन तथा रहन-सहन को उन्नत करने के लिये इन बच्चों में सामाजिक

अधिकारों के उपभोग हेतु आवश्यक सार्मथ्य का विकास सुनिश्चित किया जाये । उन्हे स्वतन्त्रा एंव आत्मनिर्भर जीवन व्यक्ति करने हेतु तैयार किया जायेगा ।

एकीकरण की अलगाव की समस्या का समाधान है क्योंकि इससे अक्षमताग्रस्त वच्चों के सामान्य वच्चों की भांति शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। यह व्यवस्था व्यय साध्य भी नही है और इससे वच्चों की अनेको समस्याओं का समाधान होगा।

8.14.5 विकलांगता/ अक्षमता आधारित समेकित शिक्षा के विभिन्न उपगम :-

श्रवण सम्बन्धि अक्षमता:-

इसमें सुनने की क्षमता का सामान ह्रास हो जाता है। इससे ग्रस्त वच्चो को कक्षा में अन्य छात्रों के समय बैठकर सुनने और समझाने में कठिनाई होती है।

उपेक्षित उपाय :-

ऐसे वच्चों के कान की जांच करकर इलाज की व्यवस्था की जायेगी। कक्षा में पढ़ाते समय उनको अगली पंक्ति में बैठना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में भी अनुकूलन किया जाना प्रस्तावित है।

दृष्टि सम्बन्धी अक्षमता :-

ऐसे बच्चों की देखने की शक्ति क्षीण होती है। इन्हें कक्षा में अन्य बच्चो के साथ बैठकर सीखने समझने में कठिनाई होती है।

अपेक्षित उपाय :-

इस अक्षमता से ग्रस्त बच्चों को आवश्यक लेंस वाले चश्में सुलभ कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है। पाठ्यक्रम में यथोचित अनुकूलन किया जायेगा। कक्षा में आगे बैठाने तथा आवश्यकतानुसार

समायोजित करने योग्य मेज-कुर्सी की व्यवस्था की जायेगी। प्रारम्भ से अन्त तक नियमित विद्यालयों में शिक्षा दी जायेगी।

अस्थि सम्बन्धी अक्षमता :-

ऐसी अक्षमता वाले वच्चों के शरीर के ऊपरी भाग में कोई दोष आ जाने के कारण लिखनें में कठिनाई होती है। हाथ-पैर मे दोष के कारण चलने फिरने में कठिनाई आती है।

अपेक्षित उपाय :-

इसके लिए आवश्यकतानुसार समायोज्ति करने योग्य फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। मोटी कलम, मोटी पैन्सिल, कागज, पुस्तक, होल्डर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। साइकिल की व्यवस्था भी की जानी प्रस्तावित है।

मानसिक अक्षमता (शिक्षा योग्य) :-

इस श्रेणी के वच्चों को कक्षा में पढ़ाई गयी अवधारणाओं को समझाने में कठिनाई होती है।

अपेक्षित उपाय :-

बतायी गयी अवधारणा की बार-बार दुहराने या आवृत्ति करने की आवश्यकता होती है। मूर्त परिस्थितियों में सीखने समझने के अवसर देने से उन्हें अवधारणाओं का बोध हो जाता है। इन बच्चों को नियमित विद्यालयों में पढ़ाया जायेगा।

अधिगम दृष्टि से अक्षमता :-

इस वर्ग के वच्चों की सामान्य [illegible] की विशेष प्रकार की समस्याएं होती [illegible] को प्रारम्भ में जानने की आवश्यक्ता है।

अपेक्षित उपाय :-

विषय की जानकारी और सीखने में सहायता के अनेक प्रकार के अधिगम उपकरणों की व्यवस्था करायी जायेगी।

सम्मिलित शिक्षा :-

समाज में अपेक्षाकृत अंध के सक्षम बच्चें विद्यालय जाने में कठिनाई अनुभव करते है। तथा इन परिस्थितियों में विद्यालय नही जा पाते है। ऐसे बच्चों को विशेष अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। ये बच्चे समेकित शिक्षा के बच्चों से अधिक समस्याग्रस्त होते है। कुछ ऐसे बच्चे होतें जो खड़े नहीं हो सकते कुछ ऐसे है जिन्हें बैठने में भी कठिनाई होती है, कुछ चल नही सकते। इस प्रकार के बच्चों के लिए सम्मिलित शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

सम्मिलित शिक्षा से सम्बन्धित नवाचार कार्यक्रम :-

कलाकृतियों द्वारा सिखाना :

इसमें आलू के ठप्पे, लकड़ी के ठप्पे या स्टेन्सिल काट कर कलाकृतियों तैयार की जायेंगी तथा कला के प्रति रूचि उत्पन्न की जायेगी।

सांचे तैयार कर आकृतियॉ तैयार कराना :

कुछ साधारण कलाकृतियों के सांचे तैयार कराकर गोम, प्लास्टर आफ पेरिस आदि से कलाकृतियॉ तैयार कराकर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जायेगा।

आकार खेल :

विशेष आवश्यकता वाले वच्चों को अलग-अलग आकार की वस्तुऐं देकर उनकी आकृति के अनुसार पहचान कराना प्रस्तावित है।

कुछ विशेष व्यायाम :

स्वास्थय परीक्षणोपरान्त ऐसे व्यायाम डाक्टर की साह से कराये जायेंगे जिससे विशेष प्रकार की विकलांगता में लाभ है। जैसे-जो वच्चा हाथ से पकड़ नही सकता तो उसे वस्तु को पकड़ाने के लिए अभ्यास कराया जायेगा।

मानसिक संवोध :

इसके द्वारा रंगो की पहचान, आकार की संवोध कम से रखना, शक्ल की पहचान प्रतिरूपों से मेल खाना, निराली या अलग वस्तुओ को पहचानना, प्रत्यास्मरण, गायक हिस्सों की पहचानना, श्रृंखला को पूरा करना जैसे :- 2-3-4-6-7-9 आदि सम्वन्ध पहचानना जैसे - कार्पा-पैन, सुई-धागा, गैंद और वल्ला आदि

अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था :

समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा हेतु विशेष आवश्यकता वाले वच्चों की पहचान कर इनके लिए विशेष प्रशिक्षण पैकेज तैयार कर उसमें अध्यापकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तर पर दिया जायगा। जिसमें विषय विशेषज्ञ/संदर्भ व्यक्ति विशिष्ट संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित होंगे।

सहायता और उपकरण :

इन बच्चों के प्रति दया न करके सहानुभूति, सामान्य बच्चों के समान ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को महत्व दिया जाये। इसके लिए ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर पर रैली और गोष्टियों का आयोजन किया जायेगा। समाज के प्रतिष्ठित एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों, संगठनों से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार उपकरणों की व्यवस्था करायी जायेगी। जैसे-लायन्स क्लब, मैत्री संस्था, रोटरी क्लब, जैन मिलन आदि आयोजनों में इन विशिष्ट प्रकार के बच्चों की सहायता एवं उपकरणों पर सहयोग लिया जायेगा ।

कार्यक्रमों की रणनीती एवं कियान्वयन :

जनपद सहारनपुर में विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही गैर सरकारी संस्था का इस कार्य में सहयोग लिया जावेगा । इसके अतिरिक्त जनपद में एक समेकित एवं बाल विकास समन्वयक के पद का भी पदस्थापन किया गया है । जो इस समस्त कार्य का अनुश्रवण और मूल्यांकन करेगा । जनपद में होने वाले समस्त प्रशिक्षणों में समेकित शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी और प्रशिक्षण पैकेज में प्रत्येक स्तर पर विकलांग बच्चों की शिक्षा से संदर्भित विषयों को जोड़ा जायेगा । स्वास्थय विभाग से भी ताल-मेल रखते हुये उनसे सहयोग लिया जायेगा जनपद में समय समय पर चल रहे समेकित शिक्षा के कार्यक्रमों का अनुश्रवण करते समय सम्बन्धित कार्य से जुड़ी गैर सरकारी संगठनों मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के माध्यम से सम्पूर्ण कार्यक्रमो की समीक्षा की जायेगी ।

9.0 सामुदायिक गतिशीलता :

6-14 वयवर्ग के बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है । ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वालों की अपेक्षा अधिक है ।

इसमें निरीक्षर वालकों की संख्या गॉव एवं नगर दोनो में ही अधिक है । गॉव में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये । वालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये । शिक्षा के विकेंद्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुये एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर में वार्ड वार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी । शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अनेक अधिकार शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये ।

10.1 कार्य योजना पूर्व गतिविधियॉं :-

10.1.1 फोकस ग्रुप डिस्कसन :

ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास क्षेत्र स्तर तथा जिला स्तर पर विभिन्न स्थितियों फोकस ग्रुप डिस्कसन कराये गये । इन ग्रुप डिस्कसन में ग्राम प्रधान गणमान्य व्यक्ति अध्यापक, अभिभावक अधिकारियों, अल्प संख्यक वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया । फोकस ग्रुप डिस्कसन में नामांकन, भवन, विज्ञान शिक्षा, नैतिक शिक्षा, खेलकूद, मकतब को सुदृढ़ करना, गणवेश, वालिका शिक्षा आदि विन्दुओं पर चर्चा की गयी ।

10.1.2 सूक्ष्म नियोजन :

जनपद पूर्व से ही सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अंतर्गत आच्छादित रहा है । वर्ष 1998 में जनपद के प्रत्येक विकास क्षेत्र में सूक्ष्म नियोजन कराया गया था । सूक्ष्म नियोजन से पूर्व दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया गया । जिससे ग्राम/वस्ती को निर्माण की ईकाई बनाया जाय तथा जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके । सामुदायिक गतिशीलता के दौरान गॉव वासियों से चुनौतियों के समाधानों पर चर्चा की गयी । जैसे : प्रत्येक वालिका को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है - वालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जाना, शिक्षकों की

कमी - स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों से पठन पाठन की व्यवस्था समुदाय द्वारा करना, शिक्षक कार्य के प्रति उदासीन - अध्यापक की मानसिकता में बदलाव लाने हेतु सामाजिक आंदोलनों को ग्राम स्तर पर क्रिया शील करना, बच्चों की शिक्षा में आर्थिक परिस्थिति बाधा है - शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता हेतु संसाधन जुटाना, बच्चों की शिक्षा हेतु आकर्षित करने हेतु आर्थिक सहायता दे कर एवं पुरष्कृत कर प्रोत्साहित करना ।

10.1.3 ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता :

ग्राम में ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता पर चर्चा की गयी । सामुदायिक गतिशीलता को बनाये रखने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है । समुदाय को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षक एवं शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करना, वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था एंव समस्याओं को ध्यान में रखकर ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है ।

विगत वर्ष ही नयी ग्राम शिक्षा समितियों का गठन हुआ है पंचायत राज व्यवस्था के अन्दर प्राथमिक शिक्षा की सम्पूर्ण गतिविधियों में ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है । अतः ग्राम पंचायतों को शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रत्येक कार्य से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है । जनपद में वर्ष 2001 में 390 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । यह प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशन में न्याय पंचायत स्तर पर दिया जाना प्रस्तावित है । प्रशिक्षण अवधि 2 दिन की होगी तथा प्रशिक्षण स्थल न्यायपंचायत संसाधन केंद्र पर होगा । इसी प्रकार वर्ष 2002-2003 में 391 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया प्रस्तावित है । प्रशिक्षण विभिन्न विषयों पर दिये जायेगे । वर्ष 2005 व 2006 में नयी ग्राम सभाओं का गठन हो जायेगा तदुपरान्त उक्तानुसार ही दो चरणों में ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है ।

10.1.4. विद्यालयों की स्थिति उन्नति करने में सामुदायिक भूमिका :

सूक्ष्म नियोजन उपरान्त विद्यालय में जो समस्याएँ हैं उनका निराकरण करने में समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । जहाँ विद्यालय के लिए भूमि नहीं है अथवा कम भूमि है वहाँ पर ग्राम वासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी । बच्चों के खेलने के लिए मैदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा सीख नहीं सकता अतः खेल का मैदान आवश्यक है ।

10.1.5विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा :

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है । इसके लिए वृक्षारोपण, पुष्पवाटिका हेतु जानकार लोगों की सहायता ली जायेगी उन्हीं से पौध आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय में उनका रोपण कराया जायेगा । उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा ।

10.1.6 साज-सज्जा में सहयोग :

विद्यालय में फर्नीचर, ब्लैक पट्टी, श्याम पट्ट, चाक, शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगों की मदद ली जायेगी तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी । मेधावी बच्चों के लिए समुदाय के लोगों से उनके गणवेश, स्लेट, पेंसिल, कापी आदि सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा । प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी ।

10.1.7 विद्यालय सुदृढ़ीकरण में सक्रियाता :

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चार दिवारी निर्माण, मिट्टी भराव, विद्यालय प्रांगण की भूमि ऊँची नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा ।

10.1.8 विद्यालय प्रवेश निर्माण में सहयोग : .

वातावरण एवं आकर्षक परिवेश हेतु बच्चों के गणवेश का विशेष महत्व है । ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों, एवं जानकार लोगों की मदद से विद्यालय के गरीब बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी । जिससे बच्चे अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चों से उनकी पृथक से विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चे अपने को अपराध भावना से देखे और स्वयं भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सके ।

10.1.9 राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वों पर चेतना जागृति :

राष्ट्रीय पर्वों में प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जन सहयोग लिया जायेगा । अपवंचित वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चों को इससे जोड़ा जायेगा प्रतियोगिता आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा ।

10.1.10. अध्यापक सहयोग :

समुदाय के शिक्षित लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए समय दे तथा अध्यापन के कार्य मे सहयोग करें ।

10.01.11 विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोगः

ग्राम के सम्मानित व्यक्ति शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस बात के लिए गतिशील बनाया जायेगा कि वे अपना विद्यालय को भावना से विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करते रहे। और मासिक रूप से उसका अनुश्रण भी करे तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत संवर्द्धधन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

समुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूण्र योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राज्ञ एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क आूप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा औ संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–9

प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयनः–

सहारनपुर जनपद में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिये वर्ष 1993 में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरम्भ की गयी थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 11 बी.आर.सी. तथा 113 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बी.आर.सी. ,एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के संबंध में 5 दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.बी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायो के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 1221 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1149 प्रधानाध्यापक तथा 2017 सहायक अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त 583 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय भी संचालित हैं । 241 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 870 प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं । 228 मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय भी शिक्षण कार्य में सहयोग कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त जनपद में अनेक मदरसों में भी बालक व बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । जनपद में 148 उच्चतर माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं जिसमें कक्षा–6 से कक्षा–8 तक के बच्चे अध्ययनरत हैं ।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्थाः–

बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहा है – प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार तथा शैक्षिक संप्राप्ति में गुणात्मक विकास करना । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किये है । 1– सार्वभौमिक नामांकन, 2– सार्वभौमिक धारण, 3– गुणात्मक संप्राप्ति । प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । इस कार्य में डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 टी0 की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सम्प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व डाएट पर है इस दिशा में डाएट द्वारा बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के विषय आधारित सेवारत् प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं । प्रशिक्षणों में विषयों के शिक्षण की नवीनतम विधियाँ, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं समुचित प्रयोग कठिन संबोधों का सरल रूप में शिक्षण, विद्यार्थियों का सतत् व्यापक मूल्यांकन तथा विद्यालय को आकर्षक एवं आदर्श बनाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया है । प्रशिक्षणोपरांत प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण

कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा किया जाता है ।

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग और समर्थन को प्रदान करने हेतु डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 पर एक निश्चित तिथि को मासिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है । बी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में डाएट प्रतिनिधि तथा एन0 पी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में बी0 आर0 सी0 व डाएट प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं । कार्यशालाओं में पर्यवेक्षण और अनुश्रवण की प्रभावी बनाने की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग–समर्थन देने सम्बन्धी प्रयासों पर विचार–विमर्श किया जाता है । डाएट, बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के पर्यवेक्षण के समय आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण भी किया जाता है तथा उनकी शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है । पर्यवेक्षण के समय विद्यालय चैक लिस्ट के अनुसार सी व डी ग्रेड प्राप्त विद्यालयों को उच्च ग्रेड में लाने हेतु सुझाव व प्रयास किये जाते हैं । तदोपरान्त इन विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है।

अकादमिक पर्यवेक्षणः–

शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परियोजना जनपदों में शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु अनेक प्रयास किये गये । इसी क्रम में राज्य स्तरीय कार्यशाला डाएट पटनी में नई, 99 में आयोजित की गई । इस कार्यशाला में विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण पर बल दिया गया । जनपद स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण का क्रम निम्नवत् है –

डाएट

↓

बी0आर0सी0

↓

एन0पी0आर0सी0

↓

प्राथमिक विद्यालय

शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण के लिए विकसित पटनी पैकेज के अनुसार बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 व प्राथमिक विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु चैक प्वाइंट के आधार पर इनको श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई थी ।

प्रत्येक विकासखण्ड के बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 व प्राथमिक विद्यालयों को सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्य हेतु डाएट स्तर पर एक–एक प्रभारी बनाया गया । यह प्रभारी बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 की मासिक कार्यशालाओं में सम्मलित होकर विद्यालयों के अकादमिक पर्यवेक्षण की कार्ययोजना तैयार करते है । जनपद में अकादमिक पर्यवेक्षण के लिए इस प्रणाली के आधार पर विद्यालयों के श्रेणीकरण की स्थिति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

स्कूल पूर्व शिक्षा–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 100 केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चों खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका को अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किये गये। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्रभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने

के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद सहारनपुर में डायट के नेतृत्व में 758 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों, स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं और बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा समितियां तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया जाता है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण, विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूलों के क्रियाकलापों से स्थानीय स्तर के पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूलों में न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग व समर्थन से प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति और दशा में सुधार हो रहा है । ग्रामवासी विद्यालय भवन को राजकीय भवन न मानकर अपने गॉव की सम्पत्ति

मानने लगे हैं । विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण व आवश्यक शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था भी ग्राम शिक्षा समिति के प्रयासों से सम्भव हो रही है । प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि व समय पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की बैठक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित की जाती है जिसमें प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन पर विचार विमर्श किया जाता हैं ।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

- 0 प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- 0 प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।
- 0 प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों का सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

शैक्षिक जगत में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान हैं। बालकों को औपचारिक शिक्षा आरम्भ करने के कारण प्राथमिक स्तरीय शिक्षक का शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना अति आवश्यक है । शिक्षक को शिक्षण सामग्री का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए तथा शिक्षण सामग्री को सरल, बोधगम्य एवं रूचिकर रूप मे बच्चों तक पहुँचाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए।

बेसिक शिक्षा परियोजना में संचालित सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का विवरण:–

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने हेतु दिये गये हैं । समय की बदलती हुई परिस्थितियों मे यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चे के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने शिक्षण में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षण दे सकें, जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं ।

इन प्रशिक्षणों का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि कक्षा शिक्षण भावी, रूचिपूर्ण एवं बाल केन्द्रित हो ।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षक की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण की दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत् अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है । बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सेवारत् शिक्षकों के प्रशिक्षणों के 5 चक्र आयोजित किये जा चुके हैं –

प्रथम चक्र में बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को सरस एवं रूचिकर बनाना, बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं का विकास करना। स्थानीय परिवेश के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग एवं स्कूली शिक्षा की तैयारी सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के ***दूसरे चक्र*** में अध्यापकों को दक्षता आधारित भाषा–शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया । भाषा की प्रमुख दक्षताएँ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किन शिक्षण विधियों द्वारा किया जाये, इसकी सम्यक् जानकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण के द्वारा दी गई।

बच्चों में स्वपठन की आदत का विकास, विषय सामग्री को पढ़कर समझ लेने की क्षमता का विकास, भाषा की दक्षताओं में परिपक्वता, अवकाश के दिनों में खाली समय का सदुपयोग का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के ***तीसरे चक्र*** के माध्यम से अध्यापक को अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रशिक्षण प्रदान किया गया । प्रशिक्षण में इन्द्र धनुष भाग–1 से 5 द्वारा रंगीन चित्रों के माध्यम से रोचक कहानियां एवं बाल कविताओं को सरल शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया ।

गणित विषय को सरल एवं रुचिकर बनाकर बाल केन्द्रित विधियों द्वारा शिक्षण का ज्ञान प्रदान करने हेतु सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के ***चौथे चक्र*** में गणित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । प्रशिक्षण में गणित के 5 अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्यांकों को समझना, जोड़ने–घटाने, गुणा तथा भाग की मौलिक संक्रियाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय अंको की पहचान, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र तथा समय का मापन, भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत तथा ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण को सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से रुचिकर शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रशिक्षण के ***पाँचवे चक्र*** में पर्यावरण अध्ययन प्रशिक्षण के अन्तर्गत सामाजिक विषयों (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र) व वैज्ञानिक विषयों (भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान) के शिक्षण को सरल रूचिकर व बोधगम्य बनाकर विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्यापकों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रूचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सके।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास
2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करना।
4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

उक्त प्रशिक्षणों में कक्षा–6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के समस्त प्रकरणों को सम्मिलित किया गया । जो प्रकरण शिक्षण की दृष्टि से अध्यापकों को कठिन प्रतीत होते थे, उन पर विशेष बल दिया गया ।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्यतः विकास खंड स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया गया था। जनपद में बी.ई.पी. के अंतर्गत जो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक प्रदान किये गये उनकी स्थिति इस प्रकार है–

चक्र	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
प्रथम चक्र	2982	112
द्वितीय चक्र	2898	157
तृतीय चक्र	2939	
चतुर्थ चक्र	2953	
पंचम चक्र	2849	

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद सहारनपुर में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
   - 0 विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
   - 0 विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
   - 0 वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
   - 0 शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
   - 0 एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
   - 0 ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
   - 0 डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन पी.आर.सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों क परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयक के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गई इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु0 500/– की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

ऐक्शन रिसर्च :

– – – – एक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में

रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणाम का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं, समूह में गतिविधि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग 50 प्रतिशत अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रहीं है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता है। इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है लेकिन जनपद में लगभग 36 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है जहाँ 1 या 2 ही अध्यापक कार्यरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में विषयों के विशेषज्ञ अध्यापकों के अभाव में प्रभावी शिक्षण में कठिनाई देखी गयी है।

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।

2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

डायट के संकाय सदस्यों द्वारा विद्यालय भ्रमण के अनुभवों तथा शोध अध्ययनों यथा 'स्टडी ऑफ क्लास रूम प्रोसेसज, 1998–99, सीमेट तथा 'क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी,2000, एस.सी.ई.आर.टी.' के निष्कर्षों से प्राप्त होता है कि सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणों को प्राप्त करने के उपरान्त अध्यापकों में शिक्षण के प्रति अधिकतम क्षमता व दक्षता के अनुसार कार्य करने की भावना का विकास हुआ है। अध्यापकों द्वारा विषयों के कठिन स्थलों को सरल, रोचक एवं बोधगम्य रूप में कक्षा–कक्ष में प्रस्तुत करने की दक्षता का विकास हुआ है । विषयों को स्पष्ट, सरल और रोचक बनाने हेतु शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाने लगा है । अध्यापकों द्वारा कक्षा का ऐसा वातावरण बना दिया जाता है जिसमें बालक स्वयं क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होता है ।

सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणों का उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना तथा उनमें शिक्षण की दक्षताओं और कौशलों का विकास करना । प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापक जब विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं उस समय उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे –

विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात में अध्यापकों की कमी है। विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित विषयों के शिक्षकों की कमी है। विज्ञान एवं गणित किटों की कमी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्यों हेतु समुचित प्रबन्ध का न होना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों के प्रशिक्षणों का आयोजन न किया जाना। अधिकांश विद्यालयों में कक्षा–कक्षों की कमी एवं चारदीवारी का अभाव है फलस्वरूप शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। शिक्षकों को बहु–कक्षा शिक्षण का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। एस.एस.ए. के अंतर्गत प्रशिक्षणों में इन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षक की अकादमिक शैक्षिक समस्याएँ:–

दिनांक 05.02.2001 को संस्थान में आयोजित बी0 आर0 सी0 समन्वयकों, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों एवं डायट प्रवक्ताओं की गोष्ठी में (एफ.जी.डी.) के आधार पर शिक्षक की अकादमिक शैक्षिक समस्याएँ उभर कर आई हैं जैसे:–

गणित व विज्ञान विषय का शिक्षण कार्य साहित्य वर्ग के अध्यापकों द्वारा किया जाना। बहु–कक्षा शिक्षण का व्यवहारिक प्रशिक्षण न दिया जाना। विषयाधारित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षणों का आयोजन न किया जाना। संस्कृत एवं अंग्रेजी शिक्षण के प्रशिक्षणों का आयोजित न किया जाना। कक्षा–कक्ष में दिये जाने वाले गृह कार्य का मूल्यांकन न किया जाना । अध्यापकों को सतत् व्यापक मूल्यांकन का व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन न किया जाना ।

डायट के संकाय सदस्य स्कूल भ्रमण पर जाते हैं। इसमें जो अनुभव हुआ वह इस प्रकार है–

विभिन्न स्तर की कक्षाओं में पढ़ायी जाने वाली पाठ्य विषय–वस्तु का सम्यक् ज्ञान न होने से प्रभावशाली अभिव्यक्ति का अभाव देखने को मिला। स्थानीय भाषा के प्रभाव के कारण उच्चारण व वर्तनी में अशुद्धि, उच्चप्राथमिक कक्षाओं में विशेषकर कक्षा 7 व 8 में गणित, विज्ञान, भूगोल जैसे प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक विषयों के लिए शिक्षण समय का अभाव, विभाग द्वारा प्रदत्त अथवा प्रशिक्षण के दौरान निर्मित अनुपूरक सहायक सामग्री के प्रयोग पर ध्यान न देना, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बच्चों का विभिन्न विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति न होना।

शैक्षिक योग्यता :

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षित (बी.टी.सी. अथवा समकक्ष) स्नातक निर्धारित है। परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण (सारिणी–1) के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 25 प्रतिशत अध्यापक हाई स्कूल या उससे कम योग्यता रखने वाले हैं तथा 36 प्रतिशत के लगभग ऐसे अध्यापक हैं जो इण्टर हैं किन्तु इनमें 5 प्रतिशत अप्रशिक्षित हैं। परिषदीय विद्यालयों में इन्टरमीडिएट, स्नातक व परास्नातक प्रशिक्षित अध्यापक अधिक संख्या में शिक्षण कार्य कर रहे हैं ।

प्राथमिक विद्यालयों में इण्टर से कम योग्यता वाले अप्रशिक्षित अध्यापक भी शिक्षण कार्य कर रहे है । शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु इन अध्यापकों को विभिन्न सेवारत् प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा क्योंकि इन अध्यापकों द्वारा शिक्षण की परम्परागत विधियों द्वारा विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया जा रहा है । जबकि सारणी से यह भी संकेत मिलता है कि इण्टर से कम अप्रशिक्षित अध्यापकों के पास पर्याप्त शिक्षण अनुभव है ।

सारिणी – 2

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

		प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1–	शिक्षकों की कुल संख्या	3166	870
2–	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या	66	–
3–	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	357	09
4–	केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	138	–
5–	स्नातक (अप्रशिक्षित)	49	–

6—	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	23	—
7—	हाईस्कूल (प्रशिक्षित)	385	124
8—	इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	995	419
9—	स्नातक एवं प्रशिक्षित	715	215
10—	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	438	103

स्रोत : बे0 शि0 अ0, सहारनपुर

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव :

1—	5 वर्ष से कम	1105	326
2—	5 से 10 वर्ष तक	890	125
3—	10 से 15 वर्ष तक	361	156
4—	15 से 20 वर्ष तक	244	83
5—	20 से 25 वर्ष तक	241	47
6—	25 से 30 वर्ष तक	169	65
7—	30 वर्ष से अधिक	156	68

स्रोत : बे0 शि0 अ0, सहारनपुर

उपर्युक्त सारिणी से यह स्पष्ट है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या अभी अधिक हैं जो लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इन शिक्षकों का विषयज्ञान तथा शिक्षण विधियों की जानकारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षणों की आवश्यकता है। अधिक अनुभवी शिक्षक नवीन शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, इस दृष्टि से इनके लिए अभी प्रेरणात्मक प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है।

विकास खण्ड संसाधन केन्द्र की भूमिका :—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, अन्य शैक्षिक तथा पाठ्येत्तर क्रिया कलापों के संचालन में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने हेतु बी0 आर0 सी0 की स्थापना की गई है ।

ये बी0 आर0 सी0 अपने क्षेत्र में स्थित सभी एन0 पी0 आर0 सी0 तथा सभी प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन करते हैं । इस कार्य में इनकी भूमिका विभिन्न शैक्षिक तथा अकादमिक कार्यक्रमों के साथ–साथ शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का आयोजन करने की है । बी0 आर0

सी० को प्रभावी, सफल तथा सहयोगी संस्था बनाने के लिए समन्वयक और सह–समन्वयक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ।

बी० आर० सी० के प्रभावी संचालन में केन्द्र समन्वयक तथा सहायक समन्वयक के वर्तमान में मुख्य कार्य, दायित्व निम्नलिखित है:–

क– प्रशिक्षण गोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन तथा स्कूल भ्रमण :–

बी० आर० सी० पर सम्बन्धित क्षेत्र के समस्त प्राथमिक विद्यालयों तथा एन० पी० आर० सी० के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन, गुणवत्ता सुधार आदि के लिए प्रशिक्षण, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाता है । इन सभी क्रियाविधियों का परिणाम, प्रभाव देखने के लिए बी० आर० सी० समन्वयक एवं सह–समन्वयक समय–समय पर विद्यालयों का भ्रमण भी करते रहते हैं या कोई समस्या होने पर उनका निराकरण करने के उपाय, अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिये जाते हैं।

ख– स्कूलों, केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण :–

बी० आर० सी० समन्वयक समय–समय पर स्कूलों, केन्द्रों आदि का भ्रमण कर उनको दिये गये प्रशिक्षण, सुझावों आदि का कार्य रूप में प्रभाव देखते हैं । विद्यालय में शिक्षकों को छात्रों को शिक्षण में आने वाली अन्य समस्याओं व उनके सुझावों आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं । एन० पी० आर० सी० के भ्रमण के समय उनसे क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित सूचनाएँ, उनकी समस्याओं व विकास के लिए सुझाव दिये जाते हैं।

ग– ई०एम०आई०एस०, डाटा चैकिंग, एन०पी०आर०सी० को मदद तथा ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग:–

प्रतिवर्ष प्रत्येक बी० आर० सी० द्वारा क्षेत्रगत विद्यालयो से, सांख्यिकी प्रपत्र भरवाकर ऑकड़े एकत्र करना होता है । बी० आर० सी० का यह दायित्व है कि इन ऑकड़ों को एकत्र करना तथा उनकी जॉच करने में पूर्ण सतर्कता बरते। इन ऑकड़ो के संचयन में एन० पी० आर० सी०, बी० आर० सी० का मुख्य दायित्व है ।

एन० पी० आर० सी० की भूमिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए एन० पी० आर० सी० को भी बी० आर० सी० की सहायता की आवश्यकता होती है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कई उदाहरण सामने आये हैं जहॉ पर बी० आर० सी० अपनी सशक्त भूमिका निभा रही है, वहॉ अधिकांश एन० पी० आर० सी० भी अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है । किन्तु जहॉ जहॉ बी० आर० सी० की भूमिका सही नहीं है, वहीं – वहीं एन० पी० आर० सी० भी ठीक काम नहीं कर रही है ।

बी० आर० सी० का एक दायित्व यह भी है कि वह एन० पी० आर० सी० व विद्यालयों की ग्रेडिंग करें । ग्रेडिंग से अच्छे परिणाम निकलने की संभावना है और इसमें एक प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति आ जाने पर एन० पी० आर० सी० तथा विद्यालयों द्वारा स्वयं सुधार के कार्यो में लग जाने की संभावना है किन्तु सभी बी० आर० सी० में ग्रेडिंग पर विशेष ध्यान नही दिया गया या तो वह ग्रेडिंग की प्रक्रियाओं को भली भॉति समझ नहीं पाये या उसके प्रभावी परिणाम उनके सम्मुख नहीं आये । अतः ग्रेडिंग को लागू करने के लिए बी० आर० सी० को प्रशिक्षित करना होगा जिससे वह ग्रेडिंग को सही प्रकार से प्रयोग में ला सकें ।

एन0 पी0 आर0 सी0 की भूमिकाः–

यदि योजना को सफलता तक ले जाने वाली व्यवस्था को एक श्रृखंला मान लिया जाये तो एन0 पी0 आर0 सी0 उसकी सबसे छोटी कड़ी है । जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रगत समस्त विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और श्रृंखला की मजबूती उसकी छोटी से छोटी कड़ी की मजबूती पर निर्भर होती है । अतः यह स्पष्ट है कि एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक मजबूत अर्थात् अपने कार्य में दक्ष, कुशल एवं योग्य होना चाहिए जिससे कि वह क्षेत्रगत समस्त स्कूलों का पथ प्रदर्शन कर सकें और शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए बच्चों, शिक्षकों तथा समुदायों का मार्ग दर्शन प्राप्त करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों का जिम्मेदारी से आयोजन व अनुश्रवण कर सकें ।

जहॉ–जहॉ केन्द्र प्रबन्धन उचित था वहाँ सराहनीय कार्य हुआ है। शैक्षिक सपोर्ट भी मिली है। समुदाय से सहयोग भी प्राप्त हुआ है। मासिक कार्यशालाओं का आयोजन हुआ है जिनमें शिक्षण के समय अध्यापकों के सामने आने वाली समस्याओं का निवारण भी हुआ है।

इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यो तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

स्कूलों तथा अनौपचारिक केन्द्रों आदि के भ्रमण के दायित्व को भी लगभग सभी समन्वयकों ने भली भॉति निभाया है जिसकी मासिक आख्या बी. आर. सी. के माध्यम से डाएट पर जमा होती रही है । उन पर विचार विमर्श के अवसर भी दिये गये । नवाचार की सराहना की गयी तो समस्याओं का समाधान भी ढूँढा गया ।

सहायक शिक्षण सामग्री (टी. एल. एम.) निर्माण की कार्यशालाओं का आयोजन भी एन.पी.आर. सी. पर हुआ । अनेक स्थानों पर नवाचार देखने को मिला। शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गयी। इन सब में एन.पी.आर.सी. की भूमिका सराहनीय रही।

पिछले दो/तीन वर्षो में स्कूल ग्रेडिंग का सिलसिला आरम्भ हुआ । कुछ एन.पी.आर.सी. ने बढ चढकर हिस्सा लिया तथा स्कूल ग्रेड के उच्च करने के प्रयास किये किन्तु संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए जिसका एक स्पष्ट कारण यह भी रहा कि इस ओर ए.वी.एस.ए. तथा एस.डी.आई. का कोई विशेष ध्यान नही है । अतः अध्यापकों को कोई भय नही है कि विद्यालय किस ग्रेड में है ।

उसे उत्कृष्ट करना आवश्यक है या नहीं । समन्वयक के प्रयासों को मनोवेग से नहीं लिया जाता। इसके सुधार हेतु कर्मठ अध्यापकों को उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अकादमिक पर्यवेक्षण में डाएट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की भूमिकाः—

अकादमिक सुपरवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत मान्य शैक्षिक मापदण्डों के क्रियान्वयन का व्यवहारिक प्रेक्षण किया जाता है । सुपरवीजन के दौरान पर्यवेक्षकों का दृष्टिकोण निष्पक्ष तथा पक्षपात विहीन होता है।

हमें शैक्षिक सुपरवीजन करने से पहले उन सब शैक्षिक संस्थानों का ढॉचा जोकि इस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होता है, उसका सुपरवीजन करना होगा तभी इसके सार्थक परिणाम निकल सकते है ।

प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी. तथा सीमैट संस्थायें हैं, जो जनपद स्तर के प्रशासनिक एवं अकादमिक अभिकर्मियों को उचित विद्यालय प्रबन्धन तथा शैक्षिक गतिविधियों के स्तरोन्नयन हेतु प्रशिक्षण देती हैं तथा कभी–कभी जनपदों में भ्रमण करके या कार्यशालाओं का आयोजन करके निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था करती है। जनपद स्तर पर डायट में शिक्षा से जुड़े अभिकर्मियों के लिए औपचारिक, अनौपचारिक तथा नवाचार को शिक्षण विधियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण आयोजित होते है। जनपद की शैक्षिक समस्याओं के निदान हेतु क्रियात्मक शोध किये जाते हैं। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर बी.आर.सी. तथा न्याय पंचायत स्तर पर एन.पी.आर.सी. प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। और कृत कार्यो की आख्या क्रमशः जनपद तथा राज्य स्तर तक प्रेषित की जाती है। जनपद स्तर पर डायट, बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की भूमिकायें परस्पर समेकित हैं। डायट के निर्देशन में ही बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. प्रशिक्षणों तथा अन्य कियाकलापों का आयोजन करते हैं। मासिक बैठकों के माध्यम से फीड बैक तथा रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी लागू की गयी है।

डायट द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु जो भी प्रशिक्षण बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. या शिक्षा से जुड़ी अन्य संस्थाओं हेतु आयोजित किये जाते हैं उनके क्रियान्वयन तथा प्रभावकारिता का आंकलन करने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है इसके लिए नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग सशक्त एवं व्यवाहारिक कार्य योजना बना कर सम्बन्धित विभाग एवं प्राथमिक शिक्षा से जुड़े अभिकर्मियों को प्रसारित करता है। पर्यवेक्षण के दौरान विद्यालय का वातावरण, शैक्षिक परिवेश, स्थानीय निर्मित अथवा उपलब्ध सहायक सामग्री के उपयोग का परीक्षण एवं विश्लेषण कर सुधार हेतु प्रबन्धकीय एव शैक्षणिक दिशा निर्देश प्रदान करता है तथा अपनी आख्या सम्बंधित अधिकारियों एवं केन्द्रों पर देता है।

वर्तमान में प्रायः निरीक्षण एव पर्यवेक्षण के बीच प्रशासनिक व्यवधान आ जाते हैं जिससे निर्दिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्ति नहीं होती है। इसके लिए समन्वय अपेक्षित है।

इन संस्थाओं के पर्यवेक्षण में स्कूल शिक्षकों का सहयोग भी अपेक्षित है । बिना उनके सहयोग से यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में डाएट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को समय समय पर बैठके आयोजित होंगी। इन बैठकों में सम्बन्धित स्कूलों के प्रतिनिधि, स्थानीय व्यक्ति भी

सम्मिलित किये जायेंगे। इन बैठकों से प्राप्त निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जायेगा। जिससे सभी व्यक्ति इनका लाभ उठा सकें ।

पर्यवेक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिससे वे सफल हो सकें। सुपरवीजन के फल स्वरूप अपेक्षित सुधार न होने पर आवश्यक दण्ड और पुरस्कार की व्यवस्था की जायेगी।

अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में मकतब मदरसों, ई.जी.एस. केंद्रों को भी लाये जाने की आवश्यकता है। बी.ई.पी. में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अपेक्षित स्तर का अकादमिक सहयोग नहीं प्रदान किया जा सका तथा अशासकीय विद्यालयों जहाँ कक्षा 6–8 संचालित है को भी आच्छादित नहीं किया जा सका। अतः एस.एस.ए. के अंतर्गत इन्हें अकादमिक सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है।

बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर (अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर):–

बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रारम्भ में प्रथम बेस लाईन सर्वेक्षण के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा–2 एवं 5 में भाषा एवं गणित विषयों में बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का सर्वेक्षण किया गया । कक्षा–2 में भाषा में 68.95 स्कोर प्राप्त हुआ। कक्षा–5 में भाषा एवं गणित विषयों में छात्रों की सम्प्राप्ति स्कोर क्रमशः 51.18 तथा 39.73 प्राप्त हुआ ।

परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किये गये जिसमें उन्हें शिक्षण की नवीन विधाओं तथा प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग का भी प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षणोपरांत अध्यापकों ने विद्यालयों में प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण कार्य किया ।

परियोजना समाप्ति से पूर्व पुनः कक्षा–2 एवं कक्षा–5 में पढ़ाने वाले बच्चों का भाषा एवं गणित विषयों की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण (एफ.ए.एस.) किया गया। जिसमें कक्षा 2 के 771 तथा कक्षा 5 के 756 छात्र–छात्राओं का सैम्पल लिया गया जिसमें शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के छात्र–छात्राओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित की गयी। इस सर्वेक्षण में कक्षा–2 में भाषा एवं गणित में क्रमशः 89.54 व 88.47 सम्प्राप्ति हुई । कक्षा–5 में भाषा एवं गणित विषयों में क्रमशः 90.85 तथा 90.35 सम्प्राप्ति परिलक्षित हुई ।

सारणी–3

कक्षा	विषय	कुल विद्यार्थी	औसत प्रतिशत	मानक विचलन
2	भाषा	771	89.54	8.49
	गणित	771	88.47	9.90
5	भाषा	756	90.85	5.07
	गणित	756	90.34	5.27

स्रोत : एफ0 ए0 एस0 2000, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

लिंगवार

कक्षा	विषय	कुल विद्यार्थी		औसत प्रतिशत		मानक विचलन	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
2	भाषा	398	373	89.6	89.5	8.3	8.7
	गणित	398	373	88.8	88.1	9.7	10.1
5	भाषा	430	326	91.3	90.5	4.9	5.3
	गणित	430	326	90.2	90.6	5.2	5.4

स्रोत : एफ0 ए0 एस0 2000, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

क्षेत्रवार

कक्षा	विषय	कुल विद्यार्थी		औसत प्रतिशत		मानक विचलन	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
2	भाषा	143	628	89.8	89.5	7.2	8.8
	गणित	143	628	89.3	88.3	9.4	10
5	भाषा	96	660	90.8	90.8	3.9	5.2
	गणित	96	660	90.9	90.3	4.5	5.4

स्रोत : एफ0 ए0 एस0 2000, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

जातिवार

कक्षा	विषय	कुल विद्यार्थी		औसत प्रतिशत		मानक विचलन	
		अनुसूचित	अन्य	अनुसूचित	अन्य	अनुसूचित	अन्य
2	भाषा	339	432	89.1	89.9	7.8	9.0
	गणित	339	432	87.5	90.4	9.7	10.2
5	भाषा	338	418	90.8	90.6	4.9	8.3
	गणित	338	418	90.2	91	5.3	4.8

स्रोत : एफ0 ए0 एस0 2000, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

इस प्रकार उपरोक्त प्राप्त ऑकड़ो के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ ।

जनपद के अन्तर्गत नकुड़ ब्लाक के 04, सरसावा ब्लाक के चार एवं नगर क्षेत्र के दो प्राथमिक विद्यालयों की **क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी** का कार्य अगस्त 2000 में किया गया जिसमें कक्षा–कक्ष अन्तः क्रिया प्रेषण में कक्षा–2 एवं कक्षा–5 में भाषा व गणित विषयों का मूल्याकंन करना था। शिक्षण अधिगम प्रेक्षण अनुसूची के अन्तर्गत विद्यालय आरम्भ होने से अन्त तक की गतिविधियों को भरना था । शिक्षक गुण विभेदक मापनी में शिक्षक के गुणों की आख्या भरनी थी ।

अध्ययन उपरान्त प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के पश्चात् निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुए **कक्षा–कक्ष अन्तः क्रिया प्रेक्षण में :–**

कक्षा–कक्ष अन्तः क्रिया प्रेक्षण में प्राप्त हुआ कि 25 प्रतिशत कक्षा–कक्षों में परम्परागत विधियों से शिक्षण कार्य किया जा रहा था । अध्यापकों को सेवारत् प्रशिक्षण के 5 चक्रो में जो सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया था उसका प्रयोग शिक्षकों द्वारा कक्षा कार्यो में नहीं किया जा रहा है ।

शिक्षण–अधिगम प्रेक्षणः–

इसके अन्तर्गत पाया गया कि विद्यालयों में 1:75 के अनुपात में शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं जोकि मानक से बहुत अधिक है । 50 प्रतिशत शिक्षकों के पास शिक्षण हेतु स्वयं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध थी जबकि कक्षा–2 में 93.5 प्रतिशत तथा कक्षा–5 में 98.4 प्रतिशत बच्चों के पास अपनी पाठ्य पुस्तके थी । विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप जैसे खेलकूद, वाद–विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यानुभव व व्यायाम आदि का क्रियान्वयन शत प्रतिशत देखने को मिला । अधिकांश शिक्षक समय से विद्यालय आते है । कक्षा–कक्षों में शिक्षण कार्य में रूचि लेते है । बच्चों को गृह कार्य देकर उसकी जॉच करते है तथा समयानुसार बच्चों का मूल्याकंन करते है । शिक्षकों का बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार देखने को मिला तथा अभिभावकों के साथ भी सहयोग एवं समर्थन की भावना परिलक्षित हुई ।

बहुकक्षा शिक्षण की स्थितिः

जनपद में विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की स्थिति के अनुसार उपलब्धता का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट है कि जनपद में अधिकांश विद्यालयों में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति है।

सारिणी–4

स्कूलों की कक्षाओं की स्थिति– प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर

	एक शिक्षक विद्यालय संख्या	दो शिक्षक विद्यालय संख्या	तीन शिक्षक विद्यालय संख्या	चार शिक्षक विद्यालय संख्या	पाँच शिक्षक विद्यालय संख्या	पाँच से अधिक शिक्षक विद्यालय संख्या	योग
प्रा0 स्तर	192	586	264	99	41	39	1221
उच्च प्रा0 स्तर	17	43	74	57	28	22	241

(स्त्रोत–कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी)

सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि प्राथमिक स्तर पर 64 प्रतिशत विद्यालय एकल तथा दो शिक्षक वाले हैं। 30 प्रतिशत तीन व चार तथा शेष 6 प्रतिशत 5 व से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रतिशत एक अध्यापकीय व दो अध्यापकीय, 54 प्रतिशत तीन व चार अध्यापकीय तथा 21 प्रतिशत 5 व 5 से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय हैं। अतः बहुकक्षा शिक्षण की स्थितियों में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए पृथक से सामग्री, सन्य प्रबंधन, शिक्षण विधि आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

एस.एस.ए. के अंतर्गत गुणवत्ता विकास के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षणः–

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद सहारनपुर में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।

5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।

6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षकों में गुणवत्ता का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षकों के ज्ञान, कौशल एवं उनकी दक्षताओं के विकास के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जायें । इन प्रशिक्षणों में अध्यापक के विषय ज्ञान की वृद्धि के उपायों पर विचार विमर्श होगा । इसके साथ अध्यापक छात्रों में एकाग्रता, पठन पाठन, स्मरण की क्षमता, अधिगम दक्षता का विकास कैसे करेगा ? इसका प्रायोगिक अभ्यास करें। अध्यापक छात्रों को अध्ययन हेतु मानसिक रूप से कैसे तैयार करेगा? अध्ययन का समय, अवधि, अध्ययन की समाप्ति पर प्रत्यास्मरण का अभ्यास कैसे कराया जायेगा? इसकी दक्षता अध्यापक में प्रशिक्षण द्वारा विकसित की जायेगी। प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष

आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबन्ध, भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, स्वास्थ्य शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग आदि के विषय में नव विकसित विधाओं पर चर्चा होगी । नवनियुक्त अथवा मृतकाश्रित अध्यापकों की संख्या प्रत्येक ब्लाक में भिन्न हो सकती है । इसलिए सेवा पूर्वागम् प्रशिक्षण डाएट में संपादित होगा । नियुक्ति के पश्चात सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण का आयोजन यथाशीघ्र किये जायेंगे । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु भी यह प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

भाषा की दक्षताओं का विकास, नवीन पुस्तकों के पाठन कौशलों पर अभ्यास। इन प्रशिक्षणों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर होगे तो कम समयावधि में प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण खण्ड संसाधन केन्द्र पर सम्पादित किये जायेगे। इन प्रशिक्षणों के लिए सन्दर्भ दाता का प्रशिक्षण डाएट में सम्पन्न होगा। डाएट के सतत् पर्यवेक्षण से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता है । प्रशिक्षण के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कितने दिवस निर्धारित किये जाये, यह भी पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा। प्राथमिक विद्यालयों में "शिक्षा–मित्र" योजना के अन्तर्गत शैक्षिक वातावरण में नवीनीकरण का प्रयास किया जा रहा है । विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा–मित्रों तथा अध्यापकों हेतु साथ–साथ प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे क्योकि पूर्व कार्यरत अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों के कार्य एवं दायित्व समान है । विद्यालय का शिक्षण कार्य बाधित न हो । इसलिए सभी अध्यापकों का एक साथ प्रशिक्षण में सम्मिलित होना उचित नहीं है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में डाएट, खण्ड संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में तालमेल बनाने के दृष्टिकोण से कार्यो का विकेन्द्रीकरण श्रृंखलाबद्ध किया जायेगा ।

शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, भाषा शिक्षक, विज्ञान–गणित शिक्षक, खण्ड संसाधन केन्द्र के समन्वयकों तथा सह–समन्वयक, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की प्रतिभागिता होगी । उच्च प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी डायट सुनिश्चित करेगा ।

वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा अन्य अभिकर्मियों का प्रशिक्षण डाएट वर्ष में दो बार अवश्य करेगा ।

प्रशिक्षण देने हेतु कुशल संदर्भदाता डाएट द्वारा चयनित किये जायेगे । प्रशिक्षकों (संदर्भ दाता) का चयन स्थानीय शिक्षा विदो में से किया जायेगा । प्राथमिक शिक्षा से अविरल रूप से जुड़े व्यक्तियों को ही संदर्भदाता चयनित किया जायेगा । प्राथमिक शिक्षा सुधार कार्यक्रमों से जुड़े गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य भी संदर्भदाता चुने जा सकते है । भाषा दक्षता प्रशिक्षण में भाषा विद् ही संदर्भ दाता नियुक्त होगे । अन्य विषयों में विषय–विशेषज्ञ एवं दक्षता प्राप्त संदर्भ दाता नियुक्त होगे। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण डाएट में आयोजित होगा। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डाएट में संदर्भ दाताओं को प्रशिक्षित करेंगे ।

विज्ञान व गणित विषय का प्रशिक्षण मॉड्यूल राज्य स्तर पर विकसित किये जायेंगें। भाषा एवं पर्यावरण विषय का प्रशिक्षण मॉड्यूल जनपद स्तर पर विकसित किया जायेगा तथा उनका मुद्रण भी जनपद स्तर पर होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते समय दूरस्थ शिक्षा माध्यमों का उपयोग अधिकाधिक किया जायेगा । शिक्षक प्रशिक्षण में नव विकसित शैक्षिक तकनीक तथा उपकरणों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। डी.आर.एस. सिस्टम का अपग्रेडेशन किया जायेगा तथा उन्हें डिजीटल बनाया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 47 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियो सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी. आर .सी स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 47 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

   तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 48 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

   इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 48 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 50 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मेंटोरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में

बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाए आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में 'टेस्ट आइटम' बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी.

स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त **उच्च प्राथमिक कक्षाओं** के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 29 शिक्षामित्रों तथा 721 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 625 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के

समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी. आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन. पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशेधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण** – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ानाः–

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सत्र 1 जौलाई से प्रारम्भ होकर 20 मई तक रहता है जिसमें मात्र 220 दिन ही कार्य दिवस के रूप में उपलब्ध हो पाते है । इन्हीं कार्य दिवसों में शिक्षण कार्य, परीक्षाएँ तथा विद्यालय सम्बन्धी अन्य कार्यो का सम्पादन होता है । विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु मात्र 180–190 दिन ही उपलब्ध हो पाते है। निम्नांकित सारणी 8, 9 द्वारा स्कूलों में वास्तविक शिक्षण समय को दर्शाया गया है।

सारिणी 8

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय :–

		प्राथमिक स्तर घंटा/समय	उच्च प्राथमिक स्तर घंटा/समय
भाषा 1	हिन्दी	9 घण्टे	9 घण्टे
भाषा 2	संस्कृत/उर्दू	5 घण्टे	6 घण्टे
भाषा 3	अंग्रेजी	3 घण्टे	8 घण्टे
विज्ञान		6 घण्टे	7 घण्टे
गणित		7 घण्टे	10 घण्टे
पर्या0 परिवेश		7 घण्टे	7 घण्टे

स्रोतः बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर

स्कूल समय सारिणी के अनुसार प्रारम्भिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षण अवधि मात्र 5 या 6 घण्टे होती है । इसी अवधि में विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रम को विभाजित कर शिक्षण कार्य किया जाता है । समय सारिणी में मुख्य विषयों का अधिक स्थान दिया जाता है जबकि अन्य विषयों को अपेक्षाकृत कम समय ही मिल पाता है ।

शिक्षण दिवस मात्र 180–190 दिन होने के कारण विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रम का शिक्षण कक्षा में पूर्ण नहीं हो पाता है ।

सारणी 9

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण के लिए दिवस	188	181
परीक्षा	09	16
अन्य कार्य	11	10
नष्ट हो जाने वाले दिन	08	09
सामाजिक विषय	04	04

स्रोतः बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर

उपर्युक्त सारिणी–9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 188 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 181 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परिक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समयसे अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 2.25 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 1.10 करोड़ रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 1.08 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 80 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूलयांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया

जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–नूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी. आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञा शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

एक्शन रिसर्च :

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी. आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।

5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित हैं, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी. आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में ′. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन -

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षो को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी. ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर

ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर किये जायेगे तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन

4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण अनुदशक		
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण 05 दिन	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाए	03 दिन
21.	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन

23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	हुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन. पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यो का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।

- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।
- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

नवाचार कार्यक्रमः–

1. **बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों** को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

सर्वेक्षण के द्वारा यह ज्ञात किया जायेगा कि बच्चे किस समय अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं तथा खाली समय उन्हें कब मिलता है । उनके खाली समय के सदुपयोग हेतु उन बच्चों को जिन

व्यवसायों में वे लगे है उन से सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जायेगा यथा अचार मुरब्बा, चाक, सिलाई कढाई, बुनाई, लकड़ी पर नक्काशी इत्यादि । इस कार्य में स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से स्थल व अवधि का चयन कर ऐसे बच्चों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी । शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षा को स्थानीय व्यवसायों के साथ जोड़ दिया जाये जिससे स्थानीय व्यवसायों के कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी और हमारे प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन प्रतिशत में बढ़ोत्तरी होगी ।

गॉव में परम्परागत तरीके से चलाये जाने वाले व्यवसाय जैसे टोकरी बनाना, हसिया, कपड़े सिलाई और फर्नीचर का कार्य, कुम्हार का कार्य, मिट्टी से बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, आदि कर्म विद्यालयों में सिखाया जायेगा ।

2. कम्प्यूटर प्रशिक्षणः–

सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथ भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस. सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेगें। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

3. विज्ञान शिक्षण में सुधारः

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक कर्म हेतु प्रयोगशालाओं का अभाव, साथ ही विज्ञान किट के अतिरिक्त अन्य उपकरणों का भी अभाव देखने को मिलता है फलस्वरूप विज्ञान प्रयोगात्मक कार्य विद्यालयों में संभव नहीं हो पाता है। इस हेतु जनपद के किसी एक विकास खंड में समीप के हाई स्कूल या इंटर कालेज को पाइलेट संकुल के रूप में चयनित कर समीप के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को जोड़कर तथा बच्चों को ले जाकर विज्ञान उपकरणों, रख–रखाव व प्रयोग की जानकारी दी जायेगी तथा प्रयोगात्मक कार्य कराये जायेंगें। इससे विज्ञान विषय के प्रति बच्चों में रूचि जागृत होगी।

अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने पर जनपद के अन्य विकास खंडों के विद्यालयों में भी यही प्रयोग किये जायेगें।

5. शैक्षिक दृष्टि से धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षणः–

विद्यालयों में प्रवेश हेतु चलाये गये अभियान के फलस्वरूप छात्र–छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हुई है । विकलांग, मानसिक मंदताग्रस्त तथा पिछड़ापन ग्रस्त बालकों की शिक्षा के बारे में अभिभावकों का दृष्टिकोण बदला है। इन बालकों को स्कूल में दाखिल कराना बेहतर समझा जा रहा है। अंग दोष ग्रस्त, दृष्टि दोष से बाधित, श्रवण दोषयुक्त मानसिक रूप से पिछडे बालकों में हीन भावना पनप जाती है। वस्तुतः इन बालकों की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ होती हैं । प्रत्येक बालक का बुद्धिलब्धि स्तर भिन्न होता है। ऐसे बालकों को पहचान कर उनके अनुरूप शिक्षा देना शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है. क्योंकि इन बालकों की शैक्षिक प्रगति संतोषजनक नहीं होती । समता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से दोषग्रस्त बच्चों की शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराना औचित्यपूर्ण है । सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप शैक्षिक मान्यताओं एवं परिवेश में भी परिवर्तन हो रहा है । अतः समयानुकूलता एवं आवश्यकता के औचित्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों का प्रशिक्षण आवश्यकता आधारित होना चाहिए।

धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की अकादमिक आवश्यकतायें भिन्न हैं अतः पृथक रणनीति और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था अपनायी जायेगी। जो बच्चे कक्षा में धीमी गति से चल रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान, प्रतिदिन मूल्यांकन सहायक सामग्री का उपयोग तथा अधिक से अधिक समूहों में बिठाकर उन्हें अच्छी कहानी, चित्रण द्वारा समझाकर उनके बारे में वाद–विवाद कराया जायेगा ।

शिक्षक कक्षा में धीमी गति से चल रहे बच्चों के अभिभावकों से बात चीत कर खेल के माध्यम से आसान शिक्षा देगे जिससे बच्चों का मन शिक्षा में लगेगा। ऐसे बच्चों को विद्यालय में खेल, खिलौने आदि के चित्र बनाकर शिक्षा देगें। अभिभावकों से मिलकर बच्चों के पिछड़ने के कारणों को बताना चाहिए अभिभावकों से कहना चाहिए कि वह अपने बच्चों को समय से विद्यालय भेजे तथा उन्हें गृह कार्य के लिए समय दें जिससे कक्षा में धीमी गति से चल रहे बच्चे आगे बढ़ सकें । जो बच्चे धीमी गति से चल रहे है शिक्षक को उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए । यदि बच्चे का मनोबल बढ़ेगा तो उसकी पढ़ने की जिज्ञासा भी बढ़ेगी और बच्चा कक्षा में नहीं पिछड़ेगा ।

5. बैक टू स्कूल प्रोग्रामः–

ग्राम स्तर एवं बस्ती स्तर पर गठित टीम घर–घर जाकर विश्लेषण प्रस्तुत करेगी–

1– बच्चे जो स्कूल जाने योग्य है वह स्कूल से बाहर क्यों है ।

2– बच्चों का स्कूल में नामांकन कैसे कराया जाये ।

3– क्या उस ग्राम अथवा बस्ती में स्कूल निर्माण की आवश्यकता है ।

जो बच्चे विद्यालय में पढ़ना छोड़ दिये हैं, डाएट उन बच्चों के लिए बैक टू स्कूल अभियान चलाने के लिए कैम्प आयोजित करेगा । इन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था भी डाएट की देखरेख में होगी । बालिकाओं के लिए विशेष शिविरों का आयोजन होगा जिसमें बीच में ही स्कूल छोड देने वाली अथवा काम काजी बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा एवं कार्य योजना बनायी जायेगी । डाएट इन शिविरों में गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी लेगा ।

समस्याग्रस्त बालिकाओं और वंचित समूह के बालकों की शिक्षण व्यवस्था करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान में विशेष कार्यक्रम बनाये जायेंगे । डाएट बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के साथ गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर शिविरों का आयोजन करेगा जिसमें उक्त विषयक समस्याओं के निदानात्मक उपाय निर्धारित किये जायेंगे और उनका क्रियान्वयन किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान में विकलांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था चुनौतीपूर्ण कार्य है । कामकाजी बालिकाओं, विकलांग और बाल श्रमिकों के लिए चलता फिरता स्कूल (मोबाईल स्कूल) बन जाने से समस्या का समाधान सम्भव हो सकता है।

6. कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारीः–

समुदाय से भौतिक संसाधनों की उपलब्धि में सहयोग लेने के साथ–साथ कक्षा 1 से 8 तक समस्त बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें इसके लिए सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है।

बच्चों की उपलब्धि से अभिभावकों को अवगत करायेंगे। कक्षा की प्रक्रिया को देखने के लिए अभिभावकों को आमन्त्रित करेंगे। जिससे वह पाठ्य विषय – वस्तु, शिक्षण विधा तथा बच्चे की उपलब्धि के विषय में जानकारी ले सकेगें। और स्तरोन्नयन हेतु अपने सुझाव देकर समाधान में सहयोग देगें। बच्चों से विद्यालय में नुक्कड़ नाटकों के द्वारा अभिभावकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करेंगे। माह में विद्यालय समय के पश्चात् अभिभावकों के साथ बैठक की जायेगी जिससे छात्रों में किसी विषय की कमजोरी को अध्यापकों एवं अभिभावकों के द्वारा दूर किया जा सके। विद्यालय के छात्रों का मूल्यांकन करके उनको पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

अध्यापकों द्वारा घर–घर जाकर अभिभावक सम्पर्क करना होगा जिससे अभिभावकों को छात्रों की प्रगति की जानकारी मिलती रहे । छात्रों को शिक्षा के प्रति जागृत करने के लिए वर्ष में एक बार भ्रमण पर ले जायेगें। जिससे छात्रों की समझ का विकास होगा एवं पर्यावरण की जानकारी भी मिलेगी ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण एवं रख–रखावः–

बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा डाएट सहारनपुर के भवन का निर्माण 1994–95 में किया गया है । इसके अर्न्तगत प्रशासनिक भवन, सभाकक्ष, एक प्राचार्य निवास, पॉच टाईप फोर, चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवास तथा 100 प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासीय सुविधा हेतु छात्रावास निर्मित है । सम्पूर्ण डाएट भवन के रख–रखाव तथा मरम्मत हेतु वार्षिक रूप से लगभग 50000 रूपये का प्रावधान अपेक्षित है।

उपकरण एवं साजसज्जाः–

वर्तमान समय में डाएट में एक इलेक्ट्रो टाईप मशीन, एक फोटो स्टेट मशीन, एक फैक्स मशीन, दो रंगीन टेलीविजन, एक वी.सी.आर., एक ओवरहेड प्रोजेक्टर, एक ए.पी.डायस्कोप, एक सेट ध्वनि विस्तारक यन्त्र माईक सहित आदि उपकरण है जो विद्युत चालित है । डाएट भवन विद्युत

फिटिंग (वायरिंग) से पूर्णतया युक्त है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण डाएट भवन में विद्युत आपूर्ति रात्रि में 11 बजे से प्रातः 4.00 बजे तक हो पाती है । दिन के समय विद्युत आपूर्ति लगभग शून्य है जबकि डाएट के क्रियाकलापों का समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक है। ऐसी स्थिति में विद्युत चालित उपकरणों का उपयोग सम्भव नहीं है ।

विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संस्थान में एक 5 किलोवाट के विद्युत जनरेटर की व्यवस्था है जो इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और सम्पूर्ण डाएट परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु अपर्याप्त है । अतः संस्थान हेतु लगभग 25 किलोवाट के विद्युत जनरेटर की आवश्यकता है।

कम्प्यूटर लैब :–

वर्तमान समय में संस्थान में एक कम्प्यूटर सेट भी उपलब्ध है जो कम्प्यूटर लैब के अभाव में एक कक्ष में रखा है । संस्थान में एक वातानुकूलित कम्प्यूटर लैब की आवश्यकता है । कम्प्यूटर को चलाने एवं उसकी देखभाल हेतु संस्थान में कम्प्यूटर आपरेटर का पद सृजित नहीं है। अस्तु एक कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति प्रस्तावित है तथा नया कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू0पी0एस0, स्कैनर की आवश्यकता है।

पुस्तकालयः–

संस्थान में प्रशासनिक भवन में पुस्तकालय हेतु एक पुस्तकालय कक्ष निर्मित है । पुस्तकालय में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित लगभग 5000 पुस्तकें संग्रहित है । संस्थान में एक पद पुस्तकालयाध्यक्ष का सृजित है जो वर्तमान समय में रिक्त है। पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था हेतु डाएट में एक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति प्रतीक्षित है ।

सारणी 12

पदों का विवरण 1.1.2001 के आधार पर

	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	01	–
उपप्राचार्य	01	–	01
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	–	06
प्रवक्ता	17	10	07
कार्यअनुभव शिक्षक	01	01	–
सांख्यिकीकार	01	01	–
प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या	–	–	–

परिशिष्ट–1

अकादमिक पर्यवेक्षण और विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति

विकास खण्ड	स्कूलों की संख्या जिनका निरीक्षण हुआ	श्रेणी				पर्यवेक्षक, डाएट, मेन्टर द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सुझाव बिन्दु
		ए	बी	सी	डी	
1. सरसावा	111	45	33	22	11	1– विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की संख्या में कमी होने के कारण शिक्षण कार्य में कमी ।
2. नागल	100	20	35	26	19	2– अध्यापकों पर अतिरिक्त कार्य का भार होने के कारण शिक्षकों की शिक्षण कार्य में अरूचि व रूकावट ।
3. पुवॉरका	111	25	65	15	06	3– विद्यालय में सुधार हेतु एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक को कुछ मजबूत अधिकार दिये जाये जैसे अनुपस्थिति लगाना, सेवा पंजिका में अंकित करना, स्थानान्तरण करना आदि ।
4. नकुड़	108	08	48	44	08	4– जिन विद्यालयों में वहाँ के अध्यापक व प्रधानाध्यापक द्वारा सुधार कार्य न किये जाये वहाँ पर उनके विरूद्ध डी कार्यवाही की जाये ।
5. बलियाखेड़ी	97	21	63	12	01	5– विद्यालय के अनुशासन व स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।
6. मुजफ्फराबाद	131	58	23	28	22	6– विषय वस्तु को रूचिकर बनाने के लिए विषय वस्तु से सम्बन्धित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
7. नानौता	83	13	46	24	—	7– आदर्श अध्यापक का परिचय अध्यापकों द्वारा दिया जाये।
8. साढौली कदीम	79	09	36	32	02	8– भाषा शिक्षण करते समय छात्रों के उच्चारण व उनके लिखित कार्य को शुद्ध किया जाये ।
9. गंगोह	123	58	62	03	—	
10. देवबन्द	88	—	—	—	—	
11. रामपुरमनिहारान	90	—	—	—	—	

(स्त्रोत विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर)

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं अन्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे, इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रू०लाख में)
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	**50.00 लाख**

उपकरण/साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	**10.00 लाख**

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध/अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं/सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेन्सी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव/पी.ओ.एल.	0.50
	योग	**10.00 लाख**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

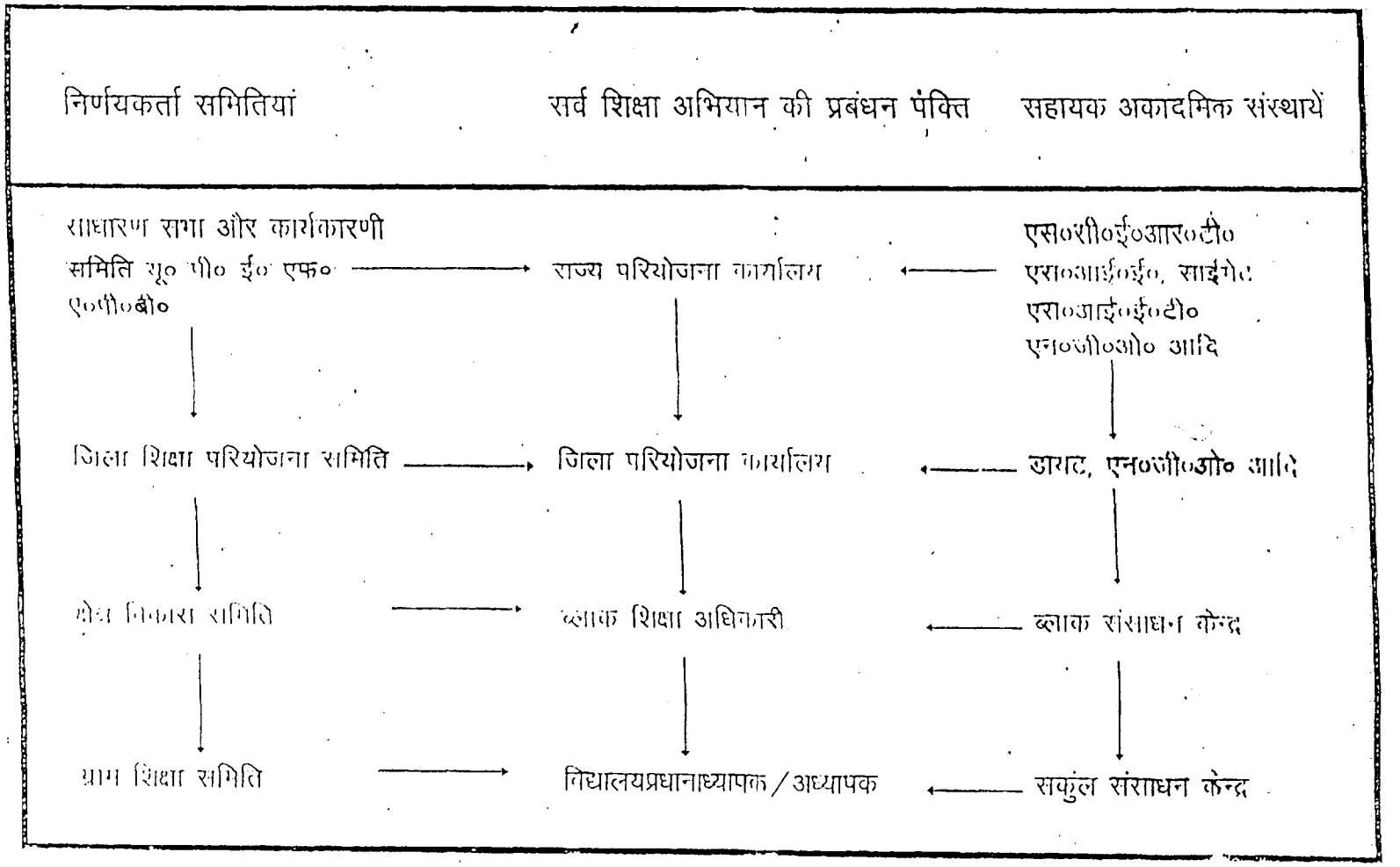

निर्णयकर्ता समितियां	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी०	राज्य परियोजना कार्यालय	एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साईमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन०जी०ओ० आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालयप्रधानाध्यापक / अध्यापक	संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया।जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जावेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलें के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणें की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1. ब्लाक प्रमुख — अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक — — सदस्य — सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। दे सर्व शिक्षा अभियान

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगा।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्बर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 वेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डाइट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश. धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अर्धीक्षण और निर्देशो के अर्धीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ़टवेयर डाटावेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोंट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सक्कुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव वी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे।प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि वार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक-अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडीः-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टमः-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षों की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए वेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्तियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

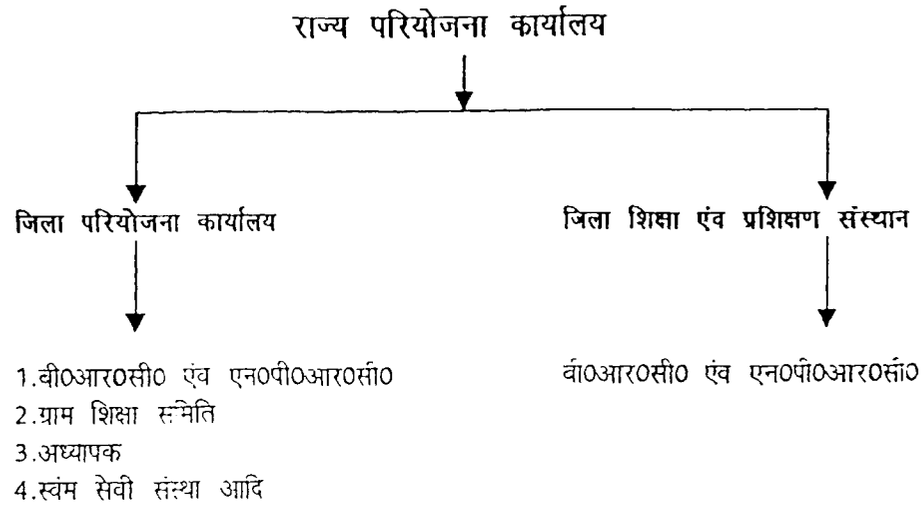

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियाान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

अनुलग्नक-II

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS													
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+ 40)	30	7770									30	7770
1	New Upper Primary Schools	451 (383+10+18+ 40)	53	23903									53	23903
2	Salary of PS Asstt.Teacher /New School (1Tr. + 1 SM)	11.2	30	3024	30	4032	30	4032	30	4032	30	4032	150	19152
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	9	212	17172	212	22896	212	22896	212	22896	212	22896	1060	108756
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	10	53	4770	53	6360	53	6360	53	6360	53	6360	265	30210
5	Furniture / Fixture & Equipment													
	PS	10	30	300									30	300
	UPS	50	53	2650									53	2650
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
	Total		**462**	**59789**	**296**	**33488**	**296**	**33488**	**296**	**33488**	**296**	**33488**	**1646**	**193741**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10												
	Cohart Study	200	1	200					1	200			2	400
	Total		1	200					1	200			2	400
	Interventions for out of school children													
A3	Alternative School (EGS + AIE)													
	EGS													

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

26.6.2002

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	11430	8059	21930	15461	18000	12690	6570	4632			57930	40842
	Primary (AIE)	1.0 per child	9375	9375	15625	15625	12500	12500	3125	3125	1563	1563	42188	42188
	Upper Primary (AIE)	1.0 per child	3250	3250	6375	6375	5125	5125	3125	3125	1563	1563	19438	19438
	Total		24055	20684	43930	37461	35625	30315	12820	10882	3126	3126	119556	102468
A4	Back to school campaign	1.5 per child	75	113	50	75	50	75	50	75	50	75	275	413
	Innovation for EGS	50	1	50									1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	100	150	50	75	50	75	50	75	100	150	350	525
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa													
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
	SubTotal (A)		**24695**	**81036**	**44327**	**71149**	**36022**	**64003**	**13218**	**44770**	**3573**	**36889**	**121835**	**297847**
(R)	**RETENTION**													
	Additional Classrooms	70	450	31500	450	31500	450	31500					1350	94500
	Additional Teachers Primary School	7	312	19656	400	33600	500	42000	600	50400	680	57120	2492	202776
	Additional Teachers Primary School(SM)	2.2	331	6554	400	10560	500	13200	600	15840	680	17952	2511	64106
R1	Toilets (PS + UPS)	10												
	Ree. of Old PS	191	29	5539	9	1719							38	7258
	Ree of Old UPS	383	2	766									2	766
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18												
	Repairs													
	Minor	20	100	2000	5	100							105	2100
	Major	70	30	2100	4	280							34	2380

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	1463	7315	1546	7730	1546	7730	1546	7730	1546	7730	7647	38235
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40												
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school	1221	2442	1251	2502	1251	2502	1251	2502	1251	2502	6225	12450
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school	242	484	295	590	295	590	295	590	295	590	1422	2844
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district		5000		5000		5000		5000		5000		25000
	Promoting Girls Education													
	Summer Camps	10 per camp	14	140	14	140	14	140	14	140	14	140	70	700
R6	MCDA including	75 per cluster					10	750			5	375	15	1125
	Gender Sensitization													
R7	SUPW for Girls	25 per school			5	125	7	175	10	250	14	350	36	900
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre												
1	Strengthening ICDs Centres													
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district							1	100			1	100
4	Civil Works (one additional room)	70												
5	TLM	5 per centre	30	150	30	150	30	150	20	100			110	550
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	130	585	160	720	190	855	210	945	210	945	900	4050

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre	100	150	130	195	160	240	190	285	210	315	790	1185
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)													
	Induction	3	30	90	30	90	30	90	20	60			110	330
	Recurring	1.2	100	120	130	156	160	192	190	228	210	250	790	946
R10	Community Mobolisation													
1	MTA/PTA Training	0.007	781	5	781	5	781	5	781	5			3124	20
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	113	904							113	904	226	1808
3	Development of Awareness Material	5 per block	14	70	14	70							28	140
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	113	565	113	565	113	565	113	565	113	565	565	2825
5	Production of Audio Tapes	10 per district		10										10
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10	1	10							2	20
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district												
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	15	75
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
R12b	Award for Best NPRC	7 Per Block	11	77	11	77	11	77	11	77	11	77	55	385

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R12c	Award for Best Teachers	5 Per Block	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	55	275
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	50	35	50	35	100	71					200	141
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child												
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)												
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)	500	600	400	480	400	480	400	480	200	240	1900	2280
R16	Computer Education for UPS composite school	100	11	1100	5	500	5	500	5	500	5	500	31	3100
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	1462	731	1491	746	1552	776	1602	801	1652	826	7759	3880
	Book Bank & School Library	5.0 per school												
	Sub Total (B)		**7657**	**88828**	**7742**	**97775**	**8122**	**107718**	**7876**	**86728**	**7226**	**96511**	**38623**	**477560**
	(Q) Quality Improvement													
Q1	Training Programmes													
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	350	735	330	693	421	884	240	504	250	525	1591	3341
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	349	147	330	139	421	177	240	101	249	105	1589	669

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	11	5									11	5
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	50	21	50	21	50	21	50	21			200	84
5	Refresher Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	5020	3514	5350	3745	5771	4040	6011	4208	6261	4383	28413	19890
6	Refresher Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day			350	368	680	714	1101	1156	1341	1408	3472	3646
7	Induction training of EGS/AIE worker	0.07 per person per day	525	1103	662	1390							1187	2493
8	Refresher course for Shiksha Mitra	0.07 per person per day												
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day	277	291	802	842	1464	1537	1464	1537			4007	4207
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day												
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day												
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day	11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	55	20

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day	113	40	113	40	113	40	113	40	113	40	565	200
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	30	42	30	42	30	42	30	42	30	42	150	210
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	50	105
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	124	186	124	186	124	186	124	186	124	186	620	930
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	22	8	22	8	22	8	22	8	22	8	110	40
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day												
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	500	750
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	391	35					390	35	391	35	1172	105
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	5	350
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	2012	704									2012	704
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	6	21	6	21	6	21	6	21	6	21	30	105

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	20	50
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	2931	616									2931	616
	Total		**12337**	**7723**	**8295**	**7750**	**9228**	**7925**	**9917**	**8114**	**8913**	**7008**	**48690**	**38520**
Q2	Teaching Learning Material													
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	5370	2685	6030	3015	6872	3436	7352	3676	7851	3926	33475	16738
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	916	458	1001	500	1251	626	1501	751	1751	876	6420	3211
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS+UPS)	0.150 per Child per year	240310	36047	259800	38970	268000	40200	276900	41535	286000	42900	1331010	199652
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1233	617	1244	622	1244	622	1244	622	1244	622	6209	3105
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	291	291	341	341	341	341	374	374	374	374	1721	1721
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS							1	1000			1	1000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	5	800
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160			1	160			1	160			2	320
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10			1	10					2	20

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each	1	400							1	400	2	800
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each	1	400							1	400	2	800
12	School Awards	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250
	Total		**248126**	**41118**	**268420**	**43818**	**277712**	**45445**	**287376**	**48328**	**297225**	**49708**	**1378859**	**228417**
	Subtotal (C)		**260463**	**48841**	**276715**	**51568**	**286940**	**53370**	**297293**	**56442**	**306138**	**56716**	**1427549**	**266937**
C1	**DIET**													
	Civil Work	5000												
1	Furniture	100	1	100									1	100
2	Equipments (including audio visual)	300	1	300									1	300
3	Computers Work Station	600												
4	Vehicle (where appkicable)	350												
5	Hiring	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
6	POL	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
7	Maintenance of Vehicle	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
8	Research/Action Research	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
	Seminars	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
9	Faculty Development	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
10	Exposure Visits	50			1	50	1	50	1	50			3	150
	Publications	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	5	2000
11	Library	25	1	25	1	25			1	25			3	75
12	Salary of Computer Operator	7	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	60	420

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
13	Salary of Driver (where applicable)	4	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	60	240
	Contingency	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Total		**36**	**1552**	**35**	**1202**	**34**	**1177**	**35**	**1202**	**33**	**1127**	**173**	**6260**
C2	Block Resource Centre													
1	Civil Construction	800												
2	Salary Coordinator	6.5												
3	Asstt. Coordinator	9	11	891	11	1188	11	1188	11	1188	11	1188	55	5643
4	Chowkidar	3												
5	Equipment/Furniture	100												
6	Travelling Allowance	5	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	55	275
7	Maint of Equipment	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	55	55
8	Maint of building	6	11	66	11	66	11	66	11	66	11	66	55	330
9	Books	10												
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	1462	438	1491	447	1552	466	1602	480	1652	496	7759	2327
11	Consumables	5	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	55	275
12	Contingency	12	11	132	11	132	11	132	11	132	11	132	55	660
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	132	40	132	40	132	40	132	40	132	40	660	200
	Total		**1660**	**1688**	**1689**	**1994**	**1750**	**2013**	**1800**	**2027**	**1850**	**2043**	**8749**	**9765**
C3	School Complex (NPRC)													

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

26.6.2002

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1	Construction	200												
2	Salary Coordinator	6.5												
3	Equipment/Furniture	10							113	1130			113	1130
4	Books for Library/Book Bank	5					113	565			113	565	226	1130
5	Contingency	2.5	113	283	113	283	113	283	113	283	113	283	565	1415
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	113	271	113	271	113	271	113	271	113	271	565	1355
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	1233	247	1244	249	1244	249	1244	249	1244	249	6209	1243
	Total		**1459**	**801**	**1470**	**803**	**1583**	**1368**	**1583**	**1933**	**1583**	**1368**	**7678**	**6273**
C4	District Project Office													
	Staffing Coordinators4													
	Consultants2													
	AAO													
	Driver1													
	(if vehicle is purchases)	88	1	792	1	1056	1	1056	1	1056	1	1056	5	5016
	Equipment	50	1	50									1	50
	Furniture & Fixtures	50												
	Books	10	1	10							1	10	2	20
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350												
	Motorcycle	50												
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
	Telephone/fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	5	375
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	11	792	11	792	11	792	11	792			44	3168
	POL for Motor Cycle	12x4	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	5	240
	Maintenance of Equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1491	236	1552	245	1602	253	1652	261	1702	269	7999	1264
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1491	447			1602	481			1702	510	4795	1438
	Total		**3004**	**2550**	**1572**	**2316**	**3224**	**2805**	**1672**	**2332**	**3414**	**2068**	**12886**	**12071**
C4 1	MIS													
1	MIS Call Furnisning	50												
2	Salary of Computer Operator (3 Nos.)	7 p.m. ×12	1	63	3	252	3	252	3	252	3	252	13	1071
	Salary of MIS Officer	10 x 12			1	120	1	120	1	120	1	120	4	480
3	MIS Equipments (where applicable)	460												
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
	Total		**4**	**128**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**32**	**1876**
	Sub Total (D)		**6163**	**6719**	**4773**	**6752**	**6598**	**7800**	**5097**	**7931**	**6887**	**7043**	**29518**	**36245**
	Grand Total		298978	225423	333557	227244	337682	232891	323484	195871	323824	197159	1617525	1078588

NIEPA DC
D11483

LIBRARY & DOCUMENTATION Centre
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11483
Date 09-07-2002